राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 01] पन्द्रहवीं विधान सभा के पहले सत्र का नवां दिवस [संख्या: 07

बुधवार,

23 जनवरी 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन

29. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा योजना के पात्रताधारियों के लिए सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की गयी है? यदि हां, तो क्रियान्वयन के लिए क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवारों को एक रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का नीतिगत निर्णय जन घोषणा पत्र में किया गया है? यदि हां, तो उक्त क्रियान्वयन कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) राज्य मंत्रिमण्डल के द्वारा स्वीकृत जन-घोषणा पत्र (नीतिगत दस्तावेज), जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को जरिये अ.शा. टीप क्रमांक सं.पी.एम.सी./2019/100 दिवसीय का.यो./10-49 जयपुर दिनांक 07.01.2019 प्राप्त है, का बिन्दु संख्या-9.2 खाद्य सुरक्षा योजना को सभी वर्गों के पात्रताधारियों के लिए लागू करते हुए वर्तमान सरकार के 69 प्रतिशत सीमा को बढ़ाते हुए 100 प्रतिशत किया जाना से सम्बन्धित है। प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, 2013 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु कुल लाभार्थियों की सीलिंग 446 लाख निर्धारित की गयी है। यह सीमा प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुल जनसंख्या का 69.09 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत अधिकतम निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा योजना के पात्रताधारियों के लिए सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत किये जाने का निर्णय नीतिगत है।

(2) राज्य मंत्रिमण्डल के द्वारा स्वीकृत जन-घोषणा पत्र (नीतिगत दस्तावेज), जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को जरिये अ.शा. टीप क्रमांक सं.पी.एम.सी./2019/100 दिवसीय का.यो./10-49 जयपुर दिनांक 07.01.2019 प्राप्त है, का बिन्दु संख्या-9.3 सभी बी.पी.एल. परिवारों को 1/- रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित करने से सम्बन्धित है। प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

बी.पी.एल. परिवारों को 1/- रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाए जाने का निर्णय नीतिगत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न, मंत्री महोदय, बड़ा सीधा था। मैंने आपसे सिर्फ इतना-सा पूछा था, क्या यह सही है कि जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 9 में खाद्य सुरक्षा योजना, जो भारत सरकार की है, उसमें पात्रताधारियों की सीमा 100 प्रतिशत किये जाने की आपने घोषणा की है? अगर हां, तो क्रियान्वयन क्या-क्या किया? आपने क्रियान्वयन के बारे में कुछ नहीं बताया और आपने मुझे एक परिशिष्ट पर राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत घोषणा पत्र, जो आपके विभाग को 7.1.2019 को भेजा गया, वह भेज दिया। मैंने पूछा भी नहीं था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, 2013 के अन्तर्गत भारत सरकार की सीलिंग क्या है पर आपने सीलिंग मुझे बता दी। मेरा सवाल यह है कि खाद्य सुरक्षा योजना, 2013, जो भारत सरकार की है, की ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो उन्होंने अधिकतम संख्या लाभार्थियों की 69.09 और 53 प्रतिशत बता रखी है तो क्या आपको भारत सरकार की किसी योजना में संशोधन करके 100 प्रतिशत करने का अधिकार प्राप्त है?

नम्बर दो, आप जब केन्द्र सरकार की योजना को 100 प्रतिशत कर रहे हैं तो इसके अन्दर 22 अलग-अलग तरह के पात्राधारियों को इस लाभार्थी में चयन के लिए अधिकृत किया गया है तो क्या 22 पात्रताधारियों की जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शर्तें हैं उनको आप बढ़ाने का विचार रखते हैं? अगर आप यह 100 प्रतिशत बढ़ाओगे तो कौन-कौनसे कितने लोग इसके दायरे में आएंगे और इसमें कितना वित्तीय प्रावधान आपने किया है तथा इसको कब से लागू कर देंगे? खण्ड 2 के अन्दर...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक साथ चार प्रश्न मत पूछो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे खण्ड का पूछ रहा था।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा योजना एक्ट में जो ग्रामीण में 69.09 परसेंट है और अरबन में 53 परसेंट है तो उसको राज्य सरकार अपने मद से बढ़ा सकती है, इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है। क्योंकि हम सहरियाओं को, खैरवाओं को और कैथोड़ी जाति को भी राज्य मद से दे रहे हैं इसलिए इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है, इसको भी बढ़ा सकते हैं।

दूसरा, सवाल आपने 22 पात्रताधारी का किया है तो 22 पात्रताधारी नहीं हैं, 24 पहले थे और उसके बाद 8 श्रेणियां और बढ़ा दीं तथा अब 32 श्रेणियां हो गयी हैं। इन सभी को देने से पहले जो आप 69 से 100 परसेंट की बात कर रहे हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल में इस योजना को जिस प्रकार आपने तहस-नहस किया है और इस सिस्टम को खराब किया है उस सिस्टम को पहले हम सही करना चाहते हैं। क्योंकि इसमें आप लोगों ने सबसे पहला काम किया है कि इस पी.डी.एस. से 79 लाख 6 हजार 440 लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जिसमें पात्र व्यक्ति भी हट गये। उसकी हम समीक्षा करवा रहे हैं, परीक्षण करवा रहे हैं।

सैकिण्ड, जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके लाभार्थी को लाभ देने के लिए कोई मतलब नहीं था, पर आपने इस योजना को आपने खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ दिया तो इसमें 2018 तक करीब 10 लाख 39 हजार ऐसे साइलेंट राशन कार्डधारी हैं जिन्होंने केवल एक बार राशन लिया है।

तीसरा बिन्दु यह है कि हमारे राजस्थान में विभिन्न जिलों में खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने से लम्बित करीब एक लाख अपीलें हैं जिनका भी हम प्राथमिकता से निस्तारण कर पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ेंगे। हमारी कोशिश है कि जो पात्र व्यक्ति है उसको इस योजना से जोड़ने

(श्री रमेश चन्द मीना)

के बाद हम प्रतिबद्ध हैं और जो मैनिफेस्टो में हमने घोषणा की है कि हम 69 से 100 परसेंट करेंगे, पर पहले इसकी पात्रता तो आए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। प्लीज, बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि इसके क्रियान्वयन के लिए क्या करेंगे। मंत्री महोदय, आपने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से इस श्रेणी के जो लाभान्वित हैं उनके लिए एतराज किया है तो क्या आप इनको हटाएंगे? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जो 67 परसेंट लोग आ रहे हैं तो क्या आप इनको हटाएंगे?

आपने 79 लाख लोगों के नाम हटाने की बात कही है, आप इनको जोड़ेंगे तो कब तक जोड़ेंगे?

मैं अध्यक्ष जी से काफी डरता हूं, यह सारा सदन जानता है। अध्यक्ष जी मुझे टोकें, इससे पहले अगर आप अनुमति दें तो मैं खण्ड 2 का अभी पूछ लूं। खण्ड 2 में आपने कहा है कि हम सभी बी.पी.एल. परिवारों को पूर्व में जो 2 रुपये किलो गेहूं दिया जाता था, अब एक रुपये किलो देंगे। क्या यह सही है कि मंत्रिमण्डल की बैठक में आपने बी.पी.एल. और ए.पी.एल. के 94 लाख अतिरिक्त परिवारों को एक रुपये किलो गेहूं देने का निर्णय किया? अगर हां, तो इसको आप कब से लागू करेंगे? क्योंकि मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद में आपका खुद का बयान और उप मुख्य मंत्रीजी ने जो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया वह कागज मेरे पास है, तो आप मेरे सवालों का जवाब दें कि आप राजस्थान के बी.पी.एल., ए.पी.एल. परिवारों को एक रुपये किलो गेहूं देना कब से लागू करेंगे? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा, जिस पर आपने एतराज किया है, क्या उनकी पात्रता थी, उनको उस बीमा योजना से हटाएंगे? आप 79 लाख जिन नामों को काटने की बात की उनको कब तक जोड़ेंगे? इस योजना को जो नीति पत्र में है, आपने इसके आधार पर वोट लिए हैं तो इसको राजस्थान में प्रारम्भ कब करेंगे? यह तारीख आप मुझे बता दें कि एक महीने में, दो महीने में या करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य, जो आप बात कर रहे हैं, पहले तो आपने अबाउट 79 लाख लोगों को बाहर कर दिया उसमें आज भी पात्र व्यक्ति हैं तो वह परीक्षणाधीन हैं, परीक्षण करवा रहे हैं, समीक्षा करवाएंगे और उसके बाद ही नाम जोड़ पाएंगे।

दूसरा, आपके जिले, जो आप कह रहे हैं कि करीब 10 करोड़ 38

(श्री रमेश चन्द मीना)

लाख लोग साइलेंट हैं जिन्होंने एक बार राशन लिया है, यदि वे पात्रता रखते..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, माननीय सदस्य, बैठें। माननीय सदस्य, बैठें।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 10 लाख 38 हजार। मेरा निवेदन है कि 10 लाख 38 हजार लोग हैं और आपके जिले से, मेरी बात तो सुन लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, करैक्ट करिए, 10 लाख है, 10 करोड़ नहीं है। प्लीज, ऐसे नहीं।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सारी, 10 लाख 38 हजार और आपके जिले से 64 हजार 975 इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने एक बार राशन लिया है तो खाद्य सुरक्षा, जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने के लिए अपात्र लोगों को आपने इसमें जोड़ दिया तथा वे राशन लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। (व्यवधान) हम तो चाहते हैं कि पात्र व्यक्ति को मिले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप इनको हटा रहे हो न? आप सदन में यह कह दो कि आप इनको हटा रहे हो। (व्यवधान) मैं तो सिर्फ आपके मुंह से यह कहलवाना चाहता हूं कि आप इनको हटा रहे हैं न? आप इनको हटा रहे हो न?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हम कोई नहीं हटा रहे हैं, हम समीक्षा करेंगे और पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करेंगे। आप जिस प्रकार से कह रहे हो कि बी.पी.एल. के लोगों को एक रुपये किलो गेहूं कब देंगे तो अभी कितने ही दिन तो हुए हैं और आपने 5 साल में..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज, माननीय सदस्य उत्तर नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा। प्लीज, उत्तर नहीं। आप प्लीज बैठ जाइए, मदन जी प्लीज। उत्तर नहीं आएगा, उत्तर नहीं सुनना है। उत्तर नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा। अगला प्रश्न। मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज आप बैठिए, don't disturb. वे प्रश्न पूछ रहे हैं। आप खड़े हो जाते हैं। प्लीज बैठिए आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जवाब तो दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए प्लीज। आप नियमों का पालन, बैठिए प्लीज। अगला प्रश्न। अब आप हल्ला करिए। अगला प्रश्न। मैं अलाउ नहीं करूंगा। बैठिए प्लीज, I'll not allow it, प्लीज बैठिए आप। सीनियर आपके लीडर हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं फिर खड़े हो रहे हैं। आप खुद आप अपनी पार्टी के डिसिप्लिन को नहीं मानना चाहते। ये मैं आपको अलाउ कर रहा हूं तीन प्रश्न पूछ लिए, चार प्रश्न पूछ लिए। माननीय सदस्य, आप बैठिए प्लीज। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं बड़ी मुश्किल से सदस्य प्रश्न पूछता है, सरकार से उत्तर आता है। हम सरकारी अधिकारियों को लैटीट्यूड देते हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं सुनने के लिए। मैं अलाउ नहीं करूंगा। जो प्रश्न पूछने वाला है, दो पूरक प्रश्न पूछेगा, बहुत जरूरी होगा तो मैं तीसरा प्रश्न अलाउ करूंगा, बाकी मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय मंत्री, आप कृपया रेलेवेन्ट जवाब दें, प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इतने इरीटेट मत हुआ कीजिए, सर।

श्री अध्यक्ष: आप शान्त रहें, मैं इरीटेट नहीं होउंगा, प्लीज।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैंने निवेदन किया था, माननीय सदस्य, आपके मार्फत कि नीति निर्धारित है, इसमें समय लगेगा। मैं जो कहना चाह रहा था कि आप लोग जिस प्रकार पूछ रहे हैं कब तक, आपने 6 सौ से ऊपर घोषणाएं की थीं..

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज रेलेवेन्ट, आप कब करेंगे, don't go by history. क्वेश्चन का बिलकुल स्पेसिफिक उत्तर दें।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): तो साहब, पांच साल का है मैनिफेस्टो, उसमें जैसे ही हमारे कैबिनेट में फाइनेंस की आएगी...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, प्लीज। मंत्रीजी प्लीज। मैं बिलकुल निवेदन करना चाहता हूं प्रश्न का उत्तर रेलेवेन्ट आएगा, तो डिबेट ठीक होगी। माननीय सदस्य ने जो पूछा है प्लीज रेलेवेन्ट, आप लागू कब से करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी यह बात का मतलब नहीं है। प्लीज, not allowed.

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पात्रता निर्धारित होते ही इसको शीघ्र करेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न। साहब आप बैठिए, प्लीज। मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं पार्टी यदि डिसिप्लिन नहीं रखेगी, don't expect from others. आप मेहरबानी करके

(श्री अध्यक्ष)
प्रश्न पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वही दो सप्लीमेंट्री करेगा। मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, 69.9 परसेन्ट और 100 परसेन्ट यह तो तय है कि जो भी हैं, उनको आपको देना है और एक रुपया प्रति किलो के हिसाब से देना है। इसके आधार पर राज्य सरकार पर अतिरिक्त कितना भार आएगा? जो आप 69 परसेन्ट से 100 परसेन्ट करेंगे या शहरों में 53 से 100 परसेन्ट करेंगे तो एक रुपया प्रति किलो के हिसाब से 100 परसेन्ट करने में कितना अतिरिक्त व्यय आपका होगा?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह पात्रता आएगी, लेकिन लगभग 115 करोड़ रुपये का व्यय है और टोटल हम करते हैं एपीएल सबको, तो 290 करोड़ आएगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न।

प्रदेश में किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र देने की योजना

30. **श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति के मार्फत अल्पकालीन ऋण वितरण किया जाता है ? यदि हां, तो क्या खरीफ ऋण 2018 सभी किसानों को वितरित कर दिया गया ?

(2) क्या सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति से नये जुड़ने वाले किसानों को भी ऋण दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त किसानों को कब तक ऋण वितरित कर दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सभी किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र दिये जाएंगे? यदि हां, तो उक्त किसानों के खातों में कब तक राशि जमा करवा दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल) : (1) जी हां। केन्द्रीय सहकारी बैंकों के स्तर पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को स्वीकृत साख सीमा के अन्तर्गत कृषकों की मांग व आवश्यकतानुसार अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष 2018-19 (खरीफ) में राज्य के

(सहकारिता मंत्री)

1901000 कृषक सदस्यों को राशि रुपये 8304.23 करोड़ का फसली ऋण वितरण कर लाभान्वित किया गया है।

(2) जी हां। वर्ष 2018-19 में राज्य के 28917 नये जुड़ने वाले किसानों को राशि रुपये 64.18 करोड़ का ऋण वितरण कर लाभान्वित किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) फसली ऋण माफी हेतु जारी आदेश दिनांक 19.12.2018 के क्रम में पात्रता की शर्तें एवं दिशा-निर्देश इत्यादि निर्धारण हेतु मंत्रिमण्डलीय आज्ञा दिनांक 01.01.2019 से मंत्रीगण एवं अधिकारीगण की अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। योजना की पात्रता की शर्तें एवं दिशा-निर्देश इत्यादि का निर्धारण प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने प्रश्न पूछा है क्रम संख्या 3 में, क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सभी किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र दिये जाएंगे? यदि हां, तो उक्त किसानों के खाते में कब तक राशि जमा करवा दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें। मैं आपके मार्फत यह पूछना चाहता हूं मंत्रीजी से कि आपके घोषणा पत्र में 10 दिन में कर्ज माफी का, जो ऐलान किया था और अब आप पात्रता और नहीं पात्रता, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कर्ज माफी की घोषणा के आधार पर राजस्थान के समस्त किसानों के खाते में कब तक जमा राशि करवा दोगे 2 लाख तक की, जो कि एक भी किसान वंचित नहीं रहे? पहला प्रश्न मेरा यह है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): सरकार ने जो अपने जन घोषणा पत्र में घोषणा की है, उसके अनुसार ऋण माफी के लिए सरकार कटिबद्ध है और पात्रता तय किया जाना तो अनिवार्य है। क्योंकि, जिस प्रकार से पहले ऋण वितरण में अनियमितता हुई और जैसे मामले सामने आ रहे हैं, वैसे मामले सामने नहीं आएं, इस कारण से पात्रता तय होने के बाद जल्दी से जल्दी ऋण माफी के प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभी प्रकार के कर्जे माफ कर देंगे और उनका जो खण्ड 3 है, बिलकुल साफ यही है कि जितने भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किसानों का कर्जा माफ है, दस दिन में आप कर देंगे। ये जो आप रैफरेन्स दे रहे हो, वह तो आप भविष्य की योजना बता रहे हो। वास्तव में हमें तो यह बताओ कि यह 10 दिन में कर्जा माफ करने की जो घोषणा आपने की थी, ये 10 हो गये कि नहीं हुए, ये कब होंगे, कितने समय बाद होंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य मुझे फिर याद दिलाना पड़ेगा, क्वेश्चन आवर में नीति संबंध में कम प्रश्न पूछें, उतना अच्छा है। नीतिगत प्रश्न इसके स्कोप में नहीं आते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही है, कोई जवाब देना चाहे, तो मंत्री जवाब दें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): 10 दिन की घोषणा की है लेकिन हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 48 घंटे के अन्दर ही दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। मंत्रिमंडल समूह की कमेटी गठित कर दी है। अधिकारियों की कमेटी गठित कर दी है। दो मीटिंग हो चुकी हैं और पात्रता निर्धारित होते ही जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट जारी कर दिये जाएंगे।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था। मेरा प्रश्न था, अध्यक्ष महोदय, पात्रता के निर्धारण का कोई समय।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री खिलाड़ी लाल बैरवा। आप बैठें, बात हो गयी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण सवाल है...

श्री अध्यक्ष: नीतिगत प्रश्न नहीं पूछ जाते हैं, मैं अलाउ कर रहा हूं इतना काफी है..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम तो तारीख पूछ रहे हैं। तारीख ही पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें, आप फिर खड़े हो गये। आप बैठें मदन जी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा प्लीज। मदन जी, आपको मैं फिर कह रहा हूं, नहीं अलाउ करूंगा मैं। अगला प्रश्न...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): तारीख ही पूछ रहे हैं। तारीख तो बतानी पड़ेगी, आपको। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रदेश के अल्पसंख्यक छात्रावासों में देय सुविधाएं

31. **श्री खिलाड़ी लाल बैरवा** (बसेड़ी): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यक छात्रावास कहां-कहां संचालित हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) धौलपुर जिले में स्थित अल्पसंख्यक छात्रावासों में क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) प्रदेश में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा वर्तमान में 19 जिलों में एवं अनुदानित अल्पसंख्यक बहुल ब्लाक्स में 50 राजकीय एवं अनुदानित अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावास संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में धौलपुर जिले में अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि धौलपुर जिले में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने हर जिले में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने का प्रावधान किया था। उसके तहत नगर परिषद द्वारा 2000 वर्गमीटर जमीन भी आबंटित हो गयी है। लेकिन, गत भाजपा सरकार की बेरुखी के कारण वहां पर कार्य नहीं हो पाया, बजट लैप्स हो गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्रीजी से आपके माध्यम से कि आगे ऐसी कोई प्लानिंग है जिससे वहां छात्रावास बनाने की प्लानिंग हो?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने धौलपुर के लिए बात कही है, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि जिला स्तर पर जो कमेटी बनी हुई है। वह कमेटी यदि रिकमंडेशन करती है तो हम उस पर छात्रावास के लिए आगे विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। मदन प्रजापत।

प्रदेश में महिला एवं बाल विकास हेतु संचालित योजनाएं

32. **श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मदन प्रजापत)

(1) प्रदेश में महिलाओं एवं बाल विकास हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं के संचालन हेतु विगत 5 वर्षों में आबंटित धनराशि, व्यय एवं लाभार्थियों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उक्त योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब, धारीवाल साहब, माननीय धारीवाल साहब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री), (महिला एवं बाल विकास मंत्री के स्थान पर): (1) प्रदेश में महिलाओं एवं बाल विकास हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनाओं के संचालन हेतु विगत पांच वर्षों में महिला अधिकारिता की 13 योजनाओं के लिए राशि रु. 29072.43 लाख की राशि स्वीकृत की गयी, जिसके विरुद्ध राशि 27473.21 लाख व्यय की गयी...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री), (महिला एवं बाल विकास मंत्री के स्थान पर): ... इसी प्रकार समेकित बाल विकास सेवाएं की 09 योजनाओं के लिए राशि रुपये 605018.61 लाख स्वीकृत की गयी जिसके विरुद्ध राशि रुपये 569238.51 लाख व्यय की गयी।

इस प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग की कुल 22 योजनाओं के लिए कुल राशि रुपये 634091.04 लाख स्वीकृत की गयी एवं कुल राशि रुपये 596311.72 लाख व्यय की गयी।

उक्त योजनाओं से लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा महिला अधिकारिता की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु प्रचार-प्रसार (इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से) जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम/आमुखीकरण कार्यक्रम/ कार्यशाला इत्यादि के जरिये अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है।

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

इसी प्रकार समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत आंगनबाड़ी कवरेज क्षेत्र के समस्त बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लाक स्तरीय एवं सैक्टर स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। साथ ही समय-समय पर विभागीय योजनाओं की समीक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब, एक मिनट।

बहिर्गमन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा नहीं है कि दस दिन में और आज प्रश्न के जवाब में भी जिस प्रकार का उत्तर दिया, इससे लगता है कि यह होने वाली चीज नहीं है, न ये बताने की स्थिति में हैं। मैं और मेरा दल इससे नाराजगी जाहिर करते हुए बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब, आप बोलिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ... योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय समितियां भी गठित की गयी हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

इसके इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विभिन्न माध्यमों यथा आर.आर.एस., एम.आई.एस., राजधरा एप, कामन एप्लीकेशन सोफ्टवेयर (कैस) के द्वारा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर योजनाओं का गहन पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत छोटी-सी जानकारी देना चाहता हूं कि बाड़मेर जिला भौगोलिक दृष्टि से रेगिस्तान है इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि शिथिलता प्रदान कर सखी केन्द्र, अन्य केन्द्र जो भी महिला बाल विकास विभाग के हैं,

(श्री मदन प्रजापत)

आंगनबाड़ी केन्द्र और ज्यादा खोलने की मंशा रखते हैं? और विशेषकर माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से यह निवेदन करता हूं कि यह विभाग गत भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही के कारण...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। भाषण नहीं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बदनाम है। आज उन आंगनबाड़ी केन्द्रों में जो भ्रष्ट अधिकारी लगे हुए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं और करते हैं तो कब तक? क्योंकि सब जानते हैं मुंह से कहते नहीं हैं महिला बाल विकास इतना बदनाम हो गया है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी। प्लीज, खाली प्रश्न पूछें। माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने बाड़मेर के बाबत पूछा है वीमन एम्पावरमेंट की जो 11 योजनाएं हैं उनमें जो लाभान्वित हैं उनकी संख्या भी काफी बड़ी है। वह मैंने परिशिष्ट 'ब' में आपको दिया है। ठीक इसी तरीके से आईसीडीएस की योजनाओं में भी काफी बड़ी संख्या में जो कुछ लाभान्वित हैं वह भी आपको दिया है। लेकिन आपको अगर कोई शिकायत किसी प्रकार की है तो आप मुझे दें, उन पर अविलम्ब कार्यवाही करवाने का प्रयत्न किया जाएगा।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामनारायण मीना।

प्रदेश में वन्य पशुओं से किसानों की फसलों की सुरक्षा

33. **श्री रामनारायण मीना** (पीपल्दा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में रोजड़े आदि वन्य पशुओं से किसानों को भारी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं तथा उनके द्वारा किए जा रहे नुकसान की भरपाई भी नहीं की जा रही है? यदि हां, तो किन कारणों से एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त वन्य पशुओं द्वारा फसलों में किये जा रहे नुकसान से बचाने तथा इनसे उत्पन्न समस्या से निजात दिलाने के लिए इन्हें

(श्री रामनारायण मीना)

जंगलों में छोड़ने आदि उपायों पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त वन्य पशुओं से किसानों की फसलों को बचाने हेतु ठोस कारगर नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जंगली जानवरों से बचाव के लिए तथा किसानों को क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने के लिए कोई नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो क्या? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। वर्तमान में रोजड़े आदि वन्य पशुओं से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाये जाने पर किसी भी योजनांतर्गत नुकसान की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि वन्य जीवों से जनहानि होने पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.11.2017 (संलग्न परिशिष्ट 'ए') से मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। उक्त समस्या से निजात दिलाने के लिए इन वन्य प्राणियों को पकड़कर जंगलों में छोड़ने के उपायों पर तकनीकी रूप से विचार व प्रयास करने के बाद यह पाया कि यह उपाय वन्य जीव प्रबंधन, प्रचलित विधानों एवं तकनीकी व व्यावहारिक समस्याओं के कारण व्यवहार्य नहीं है।

वर्तमान में वन्य एवं आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसलों में किये जा रहे नुकसान से बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 से सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर कांटेदार/चैनलिंक तारबंदी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। जिसके अनुसार समूह में कम से कम 10 हैक्टेयर क्षेत्रफल हो एवं इसमें कम से कम 5 कृषक शामिल हों। तारबंदी हेतु परिधि (Periphery) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु. 40,000/ जो भी कम हो, प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय है।

उक्त के अतिरिक्त किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले रोजड़ों को प्रभावित कृषक के आवेदन पर मारने की अनुमति दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

(3) प्रदेश में किसानों की फसलों को वन्य पशुओं के नुकसान से बचाने हेतु मौजूद/हाल ही प्रारम्भ किये गये प्रावधानों संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'बी' अनुसार है।

(4) वर्तमान में इस संदर्भ में कोई प्रावधान प्रचलित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहता हूं कि राजस्थान में रोजड़े जितने भी हैं, आपने खण्ड-1 में उत्तर दिया है, ये लाखों की संख्या में हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उसी के ऊपर लागू होना चाहिए या नहीं जो कम संख्या में हो, जिसे संरक्षण की जरूरत हो? नंबर-1

नंबर-2 - माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुओं का मुआवजा भी इन्होंने बताया है। आप देखिये माननीय अध्यक्ष महोदय, गधा, खच्चर को 2 हजार रुपये, भैंस आज दो लाख रुपये में आती है मुआवजा है 20 हजार रुपये, तो एक तो इसको बढ़ाने के बारे में भी मैं आगे जानकारी चाहूंगा। दूसरा आज की तारीख में सदन की कमेटी बैठायी जा सकती है अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मैं बिलकुल वही पूछ रहा हूं। उसी पर पूछ रहा हूं। एक लाइन तो उस पर बोलूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्रश्न पूछें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): न तो किसान दिन में जग पाता है न रात में सो पाता है। इतने रोजड़े हैं, इतने जंगली सूअर हैं जो संख्या में बहुत ज्यादा हैं। क्या आपने भारत सरकार को रोजड़ों को संरक्षण सूची से निकालने के लिए पत्र लिखे? लिखे तो कितनी दफा लिखे? उसके बाद में आपने राजस्थान प्रदेश के बारे में यह जानकारी चाही कि नहीं चाही कि यहां रोजड़ों की संख्या कितनी है और क्या आपने इसके बारे में सर्वे करवाया?

दूसरा मेरा आपसे अर्ज करना है कि 10 हैक्टेयर इलाके का नियम वहां लागू होता है क्या कि जिस जंगल में किसी किसान की जमीन आयी हुई है और आपने उसे मुआवजा देकर बाहर स्थापित नहीं किया? यह पूरे, जहां हजारों-लाखों हैक्टेयर जमीन है, आज पूरे राजस्थान में रोजड़ों की समस्या है, एक गांव में समस्या नहीं है। तो क्या यह उसके बारे में व्यावहारिक है और यदि व्यावहारिकता में लाना चाहते हो तो क्या 40 हजार रुपये में किसानों की फसल बच सकेगी?

तीसरा मेरा इस संबंध में निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, तीन प्रश्न हो गये हैं पहले जवाब आने दीजिये फिर पूछ लीजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, लाखों में संख्या नहीं है। जो वन विभाग ने 2015 में सर्वे में रोजड़ों की गिनती की है वह 70 हजार के आस-पास थी। 2016 में 73 हजार और 2017 में 77,377, यह इन रोजड़ों का आंकड़ा है और जहां तक मुआवजे का प्रावधान है, जनहानि होने पर चार लाख रुपये है। अस्थायी अयोग्य होने पर दो लाख रुपये है, स्थायी पर चार लाख रुपये है। बाकी ये जो गाय और भैंस की मुआवजा राशि है इस बारे में लोगों की शिकायत आयी नहीं है, शिकायत आएगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो पालतू भैंस, गाय हैं, उनका मुआवजा बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से जानकारी चाही थी, क्या रोजड़ों की अधिकता को देखते हुए, सूअरों की अधिकता को देखते हुए भारत सरकार को पत्र लिखे? यदि वह जानकारी आपके पास नहीं है तो क्यों नहीं है और उन पत्रों के आधार पर, यह जिसने भी संख्या दी है, क्या सरकार इस पर कार्यवाही करेगी कि रोजड़ों की संख्या इतनी है। एक गांव में दस-दस हजार रोजड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आप फसल बीमा भी करते हो, फसल में ओले तो कभी-कभी पड़ते हैं, लेकिन इससे रोजाना फसल का नुकसान हो रहा है, क्या उनके मुआवजे के लिये राज्य सरकार, चूंकि किसानों के प्रति हम संवेदनशील हैं और हर पार्टी किसानों का नाम लेकर आती है, क्या किसानों को फायदा पहुंचाने के लिये इसका मुआवजा दिलाने की बात करोगे और दिलाने की बात करोगे तो कब तक आप इसके बारे में निर्णय कर लोगे?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, रोजड़ों को मारने से संबंधित जो तमाम जिले हैं उनमें कलेक्टर को, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को, सरपंच को पावर दे रखे हैं। चूंकि यह नील गाय का शब्द है, इसलिए न तो कोई एप्लीकेशन दे रहा है और न ही व्यावहारिक रूप से पालना हो रही है। इसलिए आप अपने विधान सभा क्षेत्र में जो सरपंच है, तहसीलदार है, उन सबको पावर दे रखी है, कोई एप्लीकेशन किसी ने दी नहीं है, व्यावहारिक नहीं है, इसलिए असम्भव चीज है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नरेन्द्र नागर।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): एक निवेदन। मैं यह चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, नरेन्द्र नागर।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया। प्लीज बैठिए आप, अगला प्रश्न।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): आप तो दो-दो घंटे तक बहस करा कर आये हैं, यह प्रश्न पूरे राजस्थान के लिये है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठिए, सीनियर आदमी हैं आप, बैठिए, बैठिए। अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): 000

श्री अध्यक्ष: आप अपनी गरिमा रखिए। आप बैठिए। अपनी गरिमा रखिए, प्लीज, प्लीज।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, माननीय सदस्य, बैठिए। अंकित नहीं होगा, नहीं होगा अंकित।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। सीनियर लीडर, मुझे आपको नेम करना पड़ेगा। प्लीज आप बैठिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, आप बैठिए, चेयर आन लैग। आप बैठिए प्लीज।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, मैं कह रहा हूं। आप सीनियर लीडर हैं और आप इस तरह से व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न, नरेन्द्र नागर।

प्रदेश में राशन की दुकान आबंटन के मानदण्ड

34. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नरेन्द्र नागर)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्तमान में राशन की दुकानों के आबंटन का कोई मानदंड निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) उक्त मानदंडों में दुकान की गांवों की दूरी का कोई प्रावधान निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) वर्तमान में राशन की दुकान के आबंटन हेतु दिशा-निर्देश क्रमांक एफ 17(1)खा.वि. विधि 08 दिनांक 17.03.2016 के प्रावधानित अनुसार मापदण्ड निर्धारित है। आदेश क्रमांक एफ 17(1)खा.वि. विधि 08 दिनांक 17.03.2016 की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में 500 राशन कार्ड अथवा 2000 यूनिट पर दुकान खोले जाने का प्रावधान है। स्थानीय स्तर पर दूरी अथवा अन्य कारण से नई उचित मूल्य दुकान खोले जाने बाबत निर्णय राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत जिला स्तर से लिया जाता है। इस संबंध में जारी निर्देश क्रमांक 17(1)खा.वि. विधि 2008 दिनांक 07.04.2010 की प्रति परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा का बिल बना हुआ है और साथ ही राशन की दुकानों का जो आबंटन होता है, उसके नियम बने हुए हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जो नियम बना हुआ है उसमें महिला सहायता समूह, ग्राम पंचायत में बेरोजगारों को, निःशक्तजन, सबको प्राथमिकता दी जाती है। नियम को ताक में रखकर किसी दुकान का आबंटन हुआ है तो उसकी क्या कोई जांच या ऐसी दुकानों को निरस्त रखने का विचार रखते हैं? पहला।

दूसरा प्रश्न, खाद्य सुरक्षा का कानून बना हुआ है, कानून बनने के बाद भी पिछले महीने जिन राशन की दुकानों को गेहूं का आबंटन नहीं हुआ है, चाहे वह आचार संहिता के कारण हो, ऐसे गेहूं को भी क्या आप आबंटन करने का विचार रखते हैं?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपका पहला सवाल था कि पात्रता नहीं रखते हैं, उसके बाद इस प्रकार की कोई नियुक्ति हुई है तो जांच कराकर उस राशन की दुकान को निरस्त करेंगे। दूसरे सवाल का जवाब है कि चुनावों के समय आचार संहिता के समय में हमारा राशन सामग्री वितरण का जो कार्यक्रम है वन प्लस वन मंथ, तो उस महीने

(श्री रमेश चन्द मीना)
अगर नहीं लिया तो नैक्स्ट मंथ ले सकते हैं, उसके बाद यदि लेना चाहेंगे तो वह लैप्स हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय मंत्री महोदय, मैं तो यह कह रहा हूं कि सरकार के द्वारा उनको आबंटन ही नहीं हुआ, डीलरों के पास गेहूं ही नहीं गया, उसके बाद भी निरस्त हुआ है तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे कोई मामले हों तो उसको देने का विचार रखते हैं क्या, दुबारा आप बता देना।

इसके साथ ही मैं एक और प्रश्न पूछ रहा हूं। खण्ड दो में आपने बताया 500 राशन कार्डों के आधार पर दुकानों का आबंटन करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ पंचायत मेरी ऐसी हैं जिनकी अभयारण्य के कारण दूरी बहुत ज्यादा है। अभयारण्य होने के कारण 12-12 किलोमीटर उनकी दूरी है और जब उपभोक्ता वहां पहुंचता है, उस दिन वह दुकान बंद हो जाती है और वह दुबारा वहां जाता है तो उसको बड़ी समस्या होती है। मंत्री महोदय, मैं आपको ऐसे गांव बता रहा हूं कानपुरा, मशालपुरा और ढंढिया जिनका जिला हैडक्वार्टर पर दुकान का संचालन हो रहा है। जिला हैडक्वार्टर की जगह इन गांवों में ही क्या आप दुकान शिफ्ट करने का विचार रखते हैं?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने सवाल किया कि गेहूं नहीं मिला, उसकी जांच करवा लेंगे। अगर नोर्म्स में है तो उनको खाद्य सामग्री वितरण करेंगे।

आपका दूसरा सवाल है कि दूरी बहुत है, इसमें हमने एक सिस्टम लागू किया है डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी और स्टेट पोर्टेबिलिटी, कहीं पास की दुकान से ले सकते हैं। उसके बावजूद भी तीन किलोमीटर से अधिक दूरी पर है और नोर्म्स में आती है तो नई राशन की दुकान खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। बैठिए प्लीज, बैठिए। प्रश्न लिखवाकर दीजिए पहले, प्लीज।

किसानों की ऋण माफी योजना

35. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(1) प्रदेश में किसानों के ऋण माफ करने की योजना के लिए क्या पात्रता एवं प्रक्रिया निश्चित की गयी है?

(2) क्या किसानों के ऋण माफी की प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है? यदि हां, तो कितने किसानों को अब तक ऋण माफी का लाभ मिला एवं कितनी राशि के ऋण माफ किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजसमन्द जिले में ऋण माफी योजना में कितने किसानों के ऋण माफ हो चुके हैं, कितने किसानों की ऋण माफी प्रक्रियाधीन है एवं कितनी राशि का लाभ दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ऋण माफी की पूरी प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) फसली ऋण माफी हेतु जारी आदेश दिनांक 19.12.2018 के क्रम में पात्रता की शर्तें एवं दिशा-निर्देश इत्यादि निर्धारण हेतु मंत्रिमण्डलीय आज्ञा दिनांक 01.01.2019 से मंत्रीगण एवं अधिकारीगण की अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। योजना की पात्रता की शर्तें एवं दिशा-निर्देश इत्यादि का निर्धारण प्रक्रियाधीन है।

(2) उपरोक्तानुसार

(3) उपरोक्तानुसार

(4) उपरोक्तानुसार

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी द्वारा जो यहां पर उत्तर दिया गया है उसमें आपका हस्तक्षेप चाहूंगी, इसलिए कि आपके पास भी उत्तर है, आपने भी पढ़ा होगा। इसमें प्रश्न का कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने इनसे पूछा, राजसमन्द जिले में ऋण माफी योजना में कितने किसान के ऋण माफ हो चुके, इन्होंने लिखा उपरोक्तानुसार। क्या इनके पास आंकड़े नहीं हैं या इन्हें पता नहीं कि अभी तक कोई किसान का कर्जा माफ हुआ है, उसके कोई आंकड़े इनके पास नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि 1.1.2019 को मंत्रीगण एवं अधिकारीगण की समिति का जो गठन किया गया, उस समिति ने कोई टाइम-बाउंड किया है कि हम इतने दिन में ऋण माफी की प्रक्रिया को तय कर लेंगे? क्या पात्रता होगी, क्या इसकी प्रक्रिया होगी, इसकी कोई तिथि तय की है क्या कि हम इतने समय तक कर देंगे? या केवल लोगों को झांसा देने के लिये, बेवकूफ बनाने के लिये,

(श्रीमती किरण मोहश्वरी

कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे? आपके सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपके कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न यही है पूरे राजस्थान के किसान को ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा धोखा हुआ है, वे अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। किसान यह सोच रहे हैं कि क्या कर दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न। प्रश्न पूछिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जो कहा गया था कि दस दिन में कर्जा माफ करेंगे, 35 दिन से ज्यादा हो गये, अभी तक इनका टाइम-बाउंड प्रोग्राम नहीं बना कि कौन तो पात्र होंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न क्या है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरा प्रश्न यही है कि जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के अनुसार कौन पात्र होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, कब तक इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और क्या इसकी कोई तारीख तय की है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): धोखा देने का काम गत सरकार का था। धोखा देना, चक्कर देना, बेवकूफ बनाने के जो आरोप लगाये हैं, वह गत सरकार का कार्यकाल था। ऐसा इस सरकार का कार्यकाल बिलकुल नहीं रहेगा। 1 तारीख को समिति का गठन हो चुका है और दो मीटिंग हो चुकी हैं। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा, ऋण माफ कर दिया जाएगा। इस प्रकार के आरोप आप नहीं लगा सकते कि किसानों को धोखा दिया गया है। पारदर्शिता के साथ बात की है, और ऋण माफ होगा, होगा और होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। माननीय मंत्रीजी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम इसको जल्द से जल्द करेंगे, यदि कोई कमेटी जब बनी तो आपने इसमें क्या कोई तारीख दी? आपने कहा कि 19.12.18 के क्रम में पात्रता की शर्तें एवं दिशा-निर्देश इत्यादि के निर्धारण हेतु मंत्रिमण्डलीय आज्ञा दिनांक 01.01.2019 से मंत्रीगण एवं अधिकारीगण की अंतर्विभागीय समिति

(श्रीमती किरण मोहश्वरी)

का गठन किया गया। जब आप कोई तारीख दे रहे हो कि कमेटी का गठन किया गया, तो वह कमेटी बैठी होगी। 1 तारीख को बैठी होगी, आज हम लोग यहां पर 23 तारीख को बैठे हैं। 1 तारीख से 23 तारीख तक 23 दिन निकल गये। क्या केवल लोगों को झांसा देने के लिये ही कमेटी बनायी है या वास्तव में कमेटी ने कोई निर्णय भी किया है। अगर कमेटी ने कोई निर्णय किया है। कमेटी कितनी बार बैठी है? इसकी भी जानकारी दीजिये कि 1 तारीख से 23 तारीख में कितनी बार कमेटी की मीटिंग हुई है और उसके अनुसार क्या पात्रता होगी, क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में बताइये।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्या ने फिर आरोप लगाया। ये धोखा देने की बात कर रही हैं। इस प्रकार के आरोप लगाना नितांत गलत है। दो मीटिंग हो चुकी है, 1 तारीख एवं 5 तारीख को। आज उसका फैसला आ जाएगा। आपके कार्यकाल में ऋण माफी हुई थी। उस समय दो महीने तक तो किसी की सुध ही नहीं ली। आपकी सरकार के टाइम जो अनियमितताएं हुईं, अपात्र लोगों को भुगतान कर दिया, उसकी अभी तक जांच चल रही है। आगे ऐसी गलती नहीं, इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है और कोई कारण नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। राजेन्द्र राठौड़ जी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक और पूरक प्रश्न। जब उन्होंने कहा...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): प्रश्न संख्या 36

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय मंत्रीजी बैठे-बैठे बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता। आप भी बैठे-बैठे बोल रही हैं।

प्रदेश में रूरल माल अन्नपूर्णा भण्डारों का आबंटन

36. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार अन्नपूर्णा भण्डार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
शिक्षित विधवा महिलाओं को अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिये उचित मूल्य की दुकान से अलग ही 'रूरल माल' के रूप में अन्नपूर्णा भण्डार आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन/विचाराधीन नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। क्या यह सही है कि अन्नपूर्णा भण्डार की यह योजना वर्ष 2015 में प्रारम्भ की गयी थी? क्या यह भी सही है कि इस योजना के अंतर्गत गांवों में, आपने कहा कि कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन/विचाराधीन नहीं है, रूरल माल का एक स्थान पर खोलने का निर्णय हुआ था, जिसमें 45 प्रकार के 150 उत्पाद उपलब्ध कराये गये थे? क्या महिला स्वावलंबन की दृष्टि से इन अन्नपूर्णा भण्डारों में भावी आबंटन आप विधवा शिक्षित महिलाओं का कोटा रखने की मंशा रखते हो या नहीं?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो सवाल किया है, उसमें अन्नपूर्णा योजना के अनुबंध की अवधि 20.08.2018 तक थी। 20 अगस्त को यह समाप्त हो गयी है। नवीन टेण्डर जो 01.10.2018 को किया गया, जिसमें किसी भी निविदादाता ने भाग नहीं लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरा सीधा-सा सवाल है कि क्या आप अन्नपूर्णा योजना को भविष्य में चालू रखने की मंशा रखते हो या इसको बंद रखने की मंशा रखते हो?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अन्नपूर्णा भण्डार योजना के संचालन हेतु सफल निविदादाता मैसर्स फ्यूचर कंज़ूमर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ अन्नपूर्णा भण्डारों की सामग्री हेतु तीन वर्ष के लिए कांट्रेक्ट हुआ था। उस कांट्रेक्ट में अन्नपूर्णा भण्डारों की जो दुकानें थीं, उन पर मार्केट से ज्यादा कीमत पर माल मिल रहा था, कौन लेगा? क्या यह आपकी माननीय मुख्य मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें भारी लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ। मार्केट में जो दुकानें थीं, उनसे ज्यादा कीमत पर कौन लेगा? उसमें इस फर्म को ओब्लाइज किया...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इस प्रकार मंत्रीजी आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: क्या आरोप लगाया है? क्या पैसे का आरोप लगाया है? आप प्लीज बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय मंत्रीजी आप मेरे सवाल का, स्पेसिफिक सवाल का जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र जी एक मिनट। मंत्रीजी, आप अपना उत्तर समाप्त करें।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जो अन्नपूर्णा भण्डार की दुकानें थीं, कोई उन दुकानों पर सामान लेने के लिये नहीं जाता है, तो उससे क्या फायदा है? आप बताइये, कैसे चालू करेंगे? क्योंकि जिस फर्म को आपने काम दिया था, उसमें महंगी चीजें मिल रही थीं। अगर आम उपभोक्ता हमारी दुकान पर जाए और कम कीमत पर मिले तो अच्छा होगा। आपने तो ऐसी फर्म को काम दिया, जिससे लोगों ने सामान लेना ही बंद कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इसका आशय यह हुआ कि राजस्थान में जो 5 हजार अन्नपूर्णा भण्डार चल रहे हैं, उसको आप सीधा-सीधा बंद करने की मंशा रखते हैं।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): किसने कहा, बंद करने की मंशा है? हमने तो बंद करने की बात की ही नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने जिस 20.08.2018 की निविदा की बात कही है। क्या आप पुन: निविदाएं आमंत्रित करने की मंशा रखते हैं या इन अन्न भण्डारों को बंद करने की मंशा रखते हैं? ताकि पांच हजार लोग राजस्थान में रोजगार देने वाली सरकार की आहट से ही बेरोजगार हो जाएंगे।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हम इसकी समीक्षा करेंगे। जहां गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच कराएंगे और इसमें सुधार करने के बाद इसकी नीति हमें आमजन के लिये ठीक लगती है तो इसमें सुधार करने के बाद इसे लागू करेंगे। इसमें क्या प्रोब्लम है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप बंद करोगे या लागू करोगे? मेरा एक ही सवाल है।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सुधार कर, जांच कर, समीक्षा कर इसको लागू करें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती संतोष।

प्रदेश में मूंग की खरीद के केन्द्र

37. **श्रीमती संतोष** (अनूपगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर मूंग की बुवाई की गयी है? यदि हां, तो गत वर्ष कितने रकबे में कितनी पैदावार हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत खरीफ की फसल के लिए बीकानेर संभाग में मूंग की खरीद के लिए कितने स्थानों पर कितनी अवधि के लिए कांटे लगाये गये? मूंग पैकेजिंग के क्या नियम निर्धारित किये गये थे व इन पर कितने किसानों की कितनी फसल बाजार में विक्रय हेतु आयी और कितनी समर्थन मूल्य पर खरीदी गयी और उसके पेटे किसानों को कितना भुगतान किया गया? बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर व चूरू जिले का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तत्समय समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए किसानों का ई-मित्र पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर उसे टोकन जारी करने की व्यवस्था लागू की गयी थी? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को बार-बार पंजीकरण से बचाने के लिए किसान कार्ड जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बीकानेर संभाग में वर्तमान मूंग की समर्थन मूल्य पर कितने मैट्रिक टन की खरीद की गयी? जिलेवार किसानों को किये गये भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार प्रदेश के किसानों की शेष राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष 2017-18 में मूंग की बुवाई का क्षेत्रफल 22,49,619 हैक्टेयर तथा उत्पादन 9,71,322 मैट्रिक टन रहा।

(2) गत खरीफ सीजन 2017-18 में बीकानेर संभाग में मूंग खरीद हेतु कुल 30 स्थानों पर क्रय केन्द्र स्थापित किये गये थे जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

भारत सरकार द्वारा गत खरीफ अर्थात् खरीफ 2017 उपार्जन अवधि

(सहकारिता मंत्री)

90 दिवस निर्धारित की गयी थी, जिसे बढ़ाया जाकर 120 दिवस किया गया। संदर्भित आदेशों की प्रति परिशिष्ट-2 व 3 पर संलग्न है।

मूंग पैकेजिंग हेतु भारत सरकार द्वारा 50 किलो प्रति कट्टा भर्ती निर्धारित है। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

बाजार एवं समिति के खरीद केन्द्र पर जो फसल एफ.ए.क्यू. होती है उसकी खरीद की जाती है और समिति खरीद की गयी फसल का ही रिकार्ड संधारित करती है।

बीकानेर संभाग के बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर व चूरू जिलों में मूंग खरीद हेतु स्थापित खरीद केन्द्रों पर लगे कांटों पर एफ.ए.क्यू. किस्म की मूंग की 28313.97 मैट्रिक टन की खरीद की गयी। किसानों को खरीद एवं भुगतान की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(3) जी हां। संदर्भित आदेशों की प्रति परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

समर्थन मूल्य पर खरीद भारत सरकार के द्वारा जारी पी.एस.एस. गाइडलाइन्स के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है।

(4) वर्तमान खरीफ 2018 अर्थात खरीद वर्ष 2018-19 सीजन में बीकानेर संभाग में 40534.27 मैट्रिक टन मूंग की खरीद की जाकर 25035 किसानों को 110.07 करोड़ रु. का भुगतान किया गया है।

जिलेवार खरीद एवं भुगतान की सूचना परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

(5) जी हां। प्रदेश में दिनांक 18.01.2019 तक 67663 किसानों को 796.14 करोड़ रु. का भुगतान सीधे ही कृषकों के खाते में जारी किया जा चुका है।

नैफेड से प्राप्त पुनर्भरण राशि तथा राजफैड के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या 2 के अनुसार भारत सरकार द्वारा 50 किलो प्रति कट्टा भर्ती निर्धारित है, जो शेष फसल है उसके लिए सरकार कोई प्रावधान करेगी और क्रम संख्या 3 के अनुसार जो किसानों को बार-बार पंजीकरण के लिए जाना पड़ता है, किसान बारी का इंतजार करता है और जब बारी आती है, उसे कोई समस्या आ जाए तो दोबारा उसे फसल बेचने के लिए जाना पड़ता है। बार-बार जो पंजीकरण

(श्रीमती संतोष)

वाली समस्या आ रही है, उसके लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है और जो शेष भुगतान किसानों का बकाया है, वह भुगतान कब तक किया जाएगा, कृपया स्पष्ट करें?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): शेष भुगतान के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी और अधिकारीगण प्रधान मंत्री और खाद्य मंत्री, सहकारिता मंत्री, भारत सरकार से सम्पर्क कर रहे हैं। भुगतान आते ही जल्दी से जल्दी करा दिया जाएगा। जितनी खरीद की गाइड लाइन भारत सरकार ने दे रखी है, उसके अनुरूप ही गाइड लाइन से खरीद की जाती है। बाकी ओपन मार्केट में ही बिकती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगला प्रश्न।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): स्पष्ट करें कि कब तक भुगतान राशि किसानों को दी जाएगी ?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): समस्त भुगतान राशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है, वहां से प्राप्त होते ही जल्दी से जल्दी भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा आपने अपने उत्तर में कहा मुख्य मंत्रीजी और आप प्रयत्नशील हैं कि भारत सरकार से भुगतान की राशि प्राप्त हो। क्या यह सही है आपने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की है कि आप 1000 करोड़ रुपया राजफैड को, किसानों की जो समर्थन मूल्य पर खरीद होती है, उसके लिए देंगे और आप केन्द्र सरकार पर ज्यादा निर्भर नहीं करेंगे? नंबर एक बात।

नंबर दो, मूंग की फसल में जिन किसानों को टोकन दे दिये गये हैं, जो आज भी मंडी के बाहर खड़े हैं, आपकी संवेदनशील सरकार, उन सारे किसानों, जिनको टोकन आबंटित हो गये हैं, उनकी फसल को खरीदने की मंशा रखती है या नहीं ?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जिनको टोकन दिये गये थे, उनकी खरीद हो गयी है। आज की तारीख में कोई ट्रैक्टर मंडियों के बाहर नहीं खड़े हैं। काफी का माल तुल गया है। जिनका बाकी है, उनका भुगतान हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था जो मंत्रीजी ने अभी बताया है, मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण से कम से कम 3200 टोकन अभी कटे हुए हैं और किसानों की मूंग खरीद बाकी है। मैं पहले भी आपसे निवेदन कर रहा था और सरकार से मेरा निवेदन है कि मूंग खरीद, जो अभी 8 दिसम्बर को आपने बंद कर दी थी, उसको पुन: चालू करवाने की कृपा करें ताकि जो 3200 टोकन किसानों के कटे हुए हैं और आपको तो पता है कि किसान अन्नदाता है, उनकी गाढ़ी कमाई है। अगर मूंग खरीद की तारीख आप बढ़वा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कम से कम आप तारीख तो बढ़वा दें। मेरे जैतारण क्षेत्र में 3200 टोकन कटे हुए पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट मंत्रीजी। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 1000 करोड़ रुपये जो इन्होंने कहा था कि राजफैड को हम दे देंगे। भारत सरकार से पैसा आने का इंतजार नहीं करेंगे तो आप उस 1000 करोड़ रुपये में से भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत सरकार की तरफ क्यों देख रहे हैं? अभी तक राजफैड को आपने 1000 करोड़ का वादा किया था, उसमें से कितना दे दिया है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): मूंग खरीद के मामले में 678 करोड़ रुपये के लगभग बाकी हैं। 460 करोड़ रुपये कल आए हैं, भुगतान हो जाएगा। बाकी मुख्य मंत्री महोदय ने जो 1000 करोड़ रिवाल्विंग फंड की घोषणा की है, उससे भी भुगतान किया जाएगा। किसानों को निराश नहीं किया जाएगा। समय पर भुगतान होगा।

श्री अविनाश (जैतारण): मूंग खरीद में जो मैंने आपसे निवेदन किया है कि कम से कम मूंग खरीद की तारीख बढ़वा दीजिए। मैं बार-बार कह रहा हूं कि जैतारण क्षेत्र में 3200 किसानों के टोकन कटे हुये हैं। किसानों का मूंग ट्रैक्टर में लदा हुआ है। तारीख बढ़ाने के लिए आप सदन को बतायें कि आप कब तक करेंगे?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): मैंने अभी अपने उत्तर में बताया है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी पत्र लिखा है। अधिकारियों को भी दिल्ली भेजा है। लेकिन उसके बाद भी वहां से तारीख बढ़ाना तय नहीं हुआ है और तारीख बढ़ने की संभावना नहीं लग रही है। इसलिए हम प्रयास कर सकते हैं। तारीख भारत सरकार बढ़ायेगी तब ही खरीद हो पायेगी।

श्री अविनाश (जैतारण): किसानों के टोकन कटे हुये हैं श्रीमान।

श्री अध्यक्ष: माननीय पुखराज जी।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आज की तारीख में 1800 टोकन लिये हुये किसान खड़े हैं। मंत्रीजी कह रहे है एक भी टोकन नहीं है, यह बिल्कुल असत्य है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी कुछ बोलना है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुआ था। 52000 आदमियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था लेकिन टोकन जितने जारी हुए थे, टोकन के आधार पर सबको खरीद....

श्री पुखराज (भोपालगढ़): टोकन जारी किये हुये हैं। 1800 टोकन विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट मंत्रीजी की बात सुन लें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जो 52 हजार रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, उनकी खरीद के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पत्र प्रधान मंत्रीजी को लिखा है, अधिकारीगण गये हैं। पहले भी बता चुका हूं, वापस बता रहा हूं, तारीख बढ़ने के बाद ही हो पायेगा और जितने टोकन इश्यू हुए हैं, वे दो हजार के करीब थे, उनकी खरीद कर ली गयी है और उनका भुगतान भी हो जाएगा। जो बाकी है ...(व्यवधान) भारत सरकार का काम है। भारत सरकार के आदेश से ही खरीद की जाती है। आप भी प्रयास करें ताकि किसानों का भला हो सके।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपकी सरकार कर क्या रही है? पत्र लिखने से गाड़ी नहीं चलती है। आप तो पैसे दिलाओ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट। बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी मैंने जो सवाल किया था, स्वायत्त शासन संबंधी माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि 95 परसेंट काम हो चुका है। यह बिल्कुल असत्य आंकड़ा है, इनको अधिकारियों ने गलत सूचना दी है। उन पर कार्यवाही होनी चाहिये। अब मैं आपसे कह रहा हूं। मैं कल की बात कह रहा हूं।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): कल की बात कर रहे हैं आप।

श्री अविनाश (जैतारण): अभी आपने कहा था कि एक भी टोकन इश्यू नहीं है। मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं कि मेरे क्षेत्र जैतारण में 3200 किसानों के टोकन कटे हुए हैं। जब आप किसानों के हित की बात करते हैं, जो ये 3200 किसान परिवार हैं, वे कहां जाएंगे? अगर आप मूंग खरीद नहीं करेंगे

(श्री अविनाश)

तो इनका हाल क्या होगा? आप संवेदनशील सरकार अपने आपको साबित करना चाहते हैं तो कम से कम स्थिति स्पष्ट करें?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। बुडानिया जी। कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, बात बहुत सामान्य-सी है, जो आपकी सीमा में हैं क्योंकि जो टोकन इश्यू हो गये, जिनके पास टोकन हैं, वे तो आपकी खरीद की सीमा में आते हैं। उनको आप कब तक खरीद देंगे, इतना ही बता दें?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जिनका माल तुल गया है, उनका भुगतान हो जाएगा। जिनके टोकन कट चुके हैं, उनके लिए कोई रास्ता माननीय मुख्य मंत्रीजी निकाल रहे हैं, उनको कुछ न कुछ दिया जाएगा क्योंकि भारत सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिये हैं। वह तुलवाने के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए राजस्थान सरकार अपने लेवल पर व्यवस्था कर रही है।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

माननीय सदस्य नियमों का पालन करें व सदन की गरिमा बनाये रखें

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं लिबर्टी ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आवर 12 बजे खतम होना चाहिये। तीन मिनट बाकी हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस इम्पॉर्टेन्ट सवाल पर जितने ज्यादा माननीय सदस्य, जिन्होंने प्रश्न नहीं दिया, उनको भी मैंने अलाउ किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रश्नों की महत्ता को समझते हुए, मुझे कठोर बात कहनी पड़ती है। लेकिन जो प्रश्न लिखता है सदस्य, उन्हीं को प्रश्न पूछने का अधिकार होने से दो फायदे होते हैं जो प्रश्न पूछने वाला है, उसकी इम्पॉर्टेन्स रहती है। दूसरा जितने क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, उतनी सरकारी अधिकारियों की अकाउन्टेबिलिटी होती है, हाउस के सामने।

मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके क्वेश्चन आवर की महत्ता के लिए जो प्रश्नकर्ता है, उन्हीं को सप्लीमेंट्री करने का जो दो प्रश्न का अधिकार है, उसको वहां तक ही सीमित रहने दें। बहुत ही जरूरी होगा तो प्रतिपक्ष के नेता बैठे हैं और कोई सीनियर लीडर होगा, उनको हम अलाउ करेंगे। परन्तु मुझे अनप्लीजेंट यह काम करना पड़ता है। मैं आप सबसे क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे क्वेश्चन आवर की महत्ता के लिए आप

(श्री अध्यक्ष)

मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दें। आज का उदाहरण है कि 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि क्वेश्चन टू दी पाइंट होंगे, रिलेवेंट होंगे, दो ही सप्लीमेंट्री होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चश्न हम हाउस में डिस्कस कर सकेंगे और जो जनता की अपेक्षा है, उसको पूरा कर सकेंगे।

मुझे एक निवेदन और करना था जो हमारे माननीय सदस्य हैं, वे वैल क्रोस करते हैं। मैं आपका ध्यान फिर आकर्षित करना चाहता हूं जो हमारे नियम हैं, वैल क्रोस करने का नियम नहीं है। आप कृपया नियम और कानून दोबारा पढ़ लें। सीनियर लीडर जो करते हैं, उनको फालो करें। मेहरबानी करके कोई बोल रहा है, उसको क्रोस नहीं करें। ये कुछ जनरल आब्जर्वेशन मैं आपके सामने इसलिए करना चाहता हूं कि यह पहला सत्र है। जैसे-जैसे हम ज्यादा से ज्यादा नियमों का पालन करेंगे। उतना ही प्रभावशाली ढंग से हम सदन की गरिमा को बनाये रख सकेंगे। मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेताओं से भी अपेक्षा करता हूं कि उनको अधिकार है अपनी बात को रखने का, इस विधान सभा के माध्यम से प्रोटेस्ट करने का। मैं उस पर आपत्ति नहीं करता लेकिन प्रोटेस्ट की एक लिमिट है, वह आप भी जानते हैं। सरकार और विपक्ष की अलग-अलग भूमिका है। मैं समझता हूं कि विपक्ष की पूरी भूमिका के लिए हम पूरा-पूरा अवसर देंगे। परन्तु सरकार की जो बाध्यता है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। आपमें से बहुत-से लोगों को सरकार में रहने का अवसर मिला है। मेहरबानी करके इस सदन की गरिमा को बनाये रखें। जो दोनों का अनुभव है, उनका लाभ उठाकर इसकी गरिमा को बनाये रखें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं।

(12.00 बजे)

मैं इस बात के लिए पूर्ण आशान्वित हूं कि हम इस सदन की गरिमा को बनाये रखेंगे और नियम-कानून का पूरा पालन करेंगे। यही बात मुझे आपसे कहनी है। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण होने के कारण विकास कार्य ठप्प हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में पुलिसकर्मी द्वारा महिला के साथ किये गये दुष्कर्म तथा चैन स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा शहर के वार्ड नं. 4 व 5 के कुछ भाग को वन विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर करवाकर वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से पाली जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हो रही घोर अनियमितताओं एवं राशन सामग्री उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर) एवं अन्य सदस्यों की ओर से टोंक जिले के ग्राम सेदरिया तहसील निवाई में 12 जनवरी, 2019 को नाई समाज की 5 वर्षीय बालिका की हत्या के आरोपी को नाबालिग घोषित करवाकर बचाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से प्रदेश में 02 अप्रैल, 2018 को भारत बंद के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं पर दर्ज मुकदमों को वापस न लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्रीमती रमीला खड़िया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की सड़कों की हालत खराब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री अविनाश एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से पाली जिले के जवाई बांध को नर्मदा परियोजना से नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के पुराने रेलवे स्टेशन के पास बसी कालोनियों के वाशिन्दों के आवागमन के लिए रेलवे अण्डरपास न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री कान्ति प्रसाद मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में गौरव पथ निर्माण में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से राजस्थानी भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा बनाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा में c-65 साहबा रोड पर ROB व RUB बनाये जाने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(13) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से ग्राम सहकारी समिति, को-आपरेटिव बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों द्वारा किसानों के ऋण माफी की आड़ में किये गये करोड़ों रुपये के गबन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से चौमूं बस स्टैण्ड पर अतिक्रमण से लगातार लगने वाले जाम से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री हनुमान बैनिवाल, सदस्य की ओर से नागौर जिले में पुलिस से प्रताड़ित होकर दलित पुलिसकर्मी गेनाराम मेघवाल द्वारा परिवार सहित आत्महत्या करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से राज्य में पूर्ववर्ती सरकार के 6 माह के कार्यकाल की संवीक्षा के नाम पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का भुगतान रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री बलजीत यादव, श्री रामलाल शर्मा, श्री हनुमान बैनिवाल एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री संदीप कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र तिजारा के नगरपालिका क्षेत्र में बंदरों के उत्पात से आमजन को राहत पहुंचाये जाने के संबंध में।

(2) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के अकालग्रस्त ग्रामों में पेयजल, चारा डिपो व पशु शिविर प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

(3) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से ब्यावर-भीलवाड़ा मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन किये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर एवं कोटड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(5) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर स्थित सुमेरगढ़ खेड़ा बांध की ऊंचाई बढ़ाये जाने के संबंध में।

(6) श्री गिरधारी लाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में किसानों की सम्पूर्ण फसल समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने के संबंध में।

(7) श्री बिहारी लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा के नगरपालिका क्षेत्र में थड़ी गाड़ा लगाने वालों को नगरपालिका प्रशासन द्वारा परेशान किए जाने के संबंध में।

(8) श्री अमर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के खनन क्षेत्र को वन भूमि से मुक्त कर छोटे-छोटे खनन पट्टे जारी करवाये जाने के संबंध में।

(9) श्रीमती जाहिदा खान, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र कामां के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में चम्बल परियोजना से जलापूर्ति करवाये जाने के संबंध में।

(10) श्रीमती मंजू देवी, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल स्थित राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की प्रयोगशालाएं खोले जाने के संबंध में।

(11) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में चल रहे सीवरेज कार्य की धीमी रफ्तार से हो रही परेशानी के संबंध में।

(12) श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य की ओर से यूआईटी उदयपुर के पैरीफेरी क्षेत्र में किसानों व जनजाति के परिवारों को पट्टे न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 23 जनवरी, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 25 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं जो निम्नानुसार हैं:-

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्रीमती संतोष, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई के पानी के रेगूलेगशन में 4 में से 2 समूह में पानी दिये जाने के संबंध में।

(2) श्री अमृत लाल मीणा, उदयपुर जिले की स्वीकृत नोन पेचेबल सड़कों की मरम्मत किये जाने तथा सगमेश्वर पुलिया का निर्माण पूर्ण कर चालू करवाये के संबंध में।

(3) श्री मेवाराम जैन, बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पोक्सो कोर्ट खोले जाने अथवा बालोतरा में खुली पोक्सो कोर्ट का 15 दिन का कैम्प लगाये जाने के संबंध में।

(4) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, किसानों को शीत ऋतु में दिन में बिजली दिये जाने के संबंध में।

स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा। श्री बलजीत यादव।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

अधिकारियों द्वारा ऋण माफी की आड़ में करोड़ों रुपये का गबन

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मेरे बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बहरोड़ तहसील के किसानों की पहले की पूर्ववर्ती सरकार ने 36 करोड़ 79 लाख 27 हजार 277 रुपये की ऋण माफी की। नीमराना तहसील के किसानों की 20 करोड़ 56 लाख 46 हजार 621 रुपये की ऋण माफी की। अध्यक्ष महोदय, जब पोर्टल पर कर्ज लेने वाले किसानों की लिस्ट जारी हुई तो लोगों को पता चला कि हजार से भी ज्यादा किसानों के ऐसे नाम आए जिन्होंने न तो कभी को-आपरेटिव बैंक में खाता खुलवाया, न कभी ऋण लिया। आश्यर्च तो इस बात का हुआ कि बहुत से ऐसे किसानों के भी नाम आए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जब शिकायत की गयी तो पांच लोगों को सस्पैंड किया गया, जिसमें बहरोड़ कोआपरेटिव बैंक के मैनेजर जगदीश रैगर, लोन सुपरवाइजर कालूराम, कैशियर जयसिंह थे। इसके बाद जब लोगों की भीड़ आने लगी, लोग पोर्टल पर लिस्ट देखने लगे, जब इस बात की चर्चा क्षेत्र में हुई तो जो घोटालेबाज थे उन्होंने फिर जुगाड़ करके पोर्टल से उस लिस्ट को ही हटवा दिया। उसके बाद हैड आफिस में कम्प्यूटर कर्मी भूपेन्द्र भारद्वाज और अंकित शर्मा थे, उन दोनों को सस्पैंड किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी दो लाख रुपये की कर्ज माफी सरकार ने की है उसके लिए भी फर्जी डाकूमेंट से,

(श्री बलजीत यादव)

लोगों के नाम से लोन उठा लिए गये, अभी पैसा बैंकों में नहीं डला इसलिए निकल नहीं पाया। मेरे बहरोड़ से शुरूआत में बैंककर्मियों ने बताया कि केवल बहरोड़ में दस करोड़ रुपये का घोटाला हो चुका है। केवल बहरोड़ में नीमराना तहसील में 5 करोड़ के लगभग घोटाला हो चुका है। मेरे बहरोड़ तहसील में 19 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, नीमराना तहसील में 17 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, इनमें कुछ परिवारों का ही कब्जा है। एक परिवार का ही एक सोसाइटी में अध्यक्ष होता है, दूसरी जगह जाकर वह सचिव बन जाता है, तीसरी जगह, दूसरे परिवार का दूसरा मैम्बर अध्यक्ष हो जाता है और दूसरा सचिव हो जाता है, उन्हीं के मैम्बर होते हैं और घोटाले का पता नहीं लगता।

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने करोड़ों रुपये की सम्पत्तियां अर्जित कर लीं, जैसे मेरा पहाड़ी गांव है, पहाड़ी गांव के ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष मिस्टर रमेश रावत है जो भाजपा के अलवर के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी है, कोई आय का साधन नहीं है, उन्होंने लगभग 50 करोड़ रुपये की सम्पत्ति घोटाले से एकत्रित कर ली। यह घोटाले करीब 15-20 साल से चले आ रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि इसकी जांच एसीबी से करवाई जाए और तुरन्त मुकदमा दर्ज किया जाए। जो घोटालेबाज हैं वह जेल के अंदर होने चाहिए। पिछली दफा एक्ट आया अगर आपको लगता है कि प्रोपर्टी घोटाले से कमाई हुई रकम की है तो उसको तुरन्त जब्त किया जाए। वरना वह जेल में जाता है और उसके बाद उस सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द कर देता है। मैं सरकार से अपेक्षा रखता हूं कि तुरन्त ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेगी, उनकी सम्पत्ति को सीज करेगी। ताकि जो भी कोर्ट का फैसला आए उसके बाद फाइनल डिसीजन हो सके। गरीब जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई ऐसे घोटालेबाज नहीं ले जा सकें। अध्यक्ष महोदय, इस ऋण माफी में लगभग दो हजार करोड़ रुपये...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीस सैकिण्ड, अध्यक्ष महोदय, दो हजार करोड़ रुपये के लगभग जारी हुए पिछली सरकार में।

मेरा अनुमान है, केवल एक जगह के ही नहीं, गंगानगर के, जालौर के, जोधपुर के, अनेक जगह के लोग मेरे पास आये, यहां विधान सभा के बाहर भी आये। कोई कहता है ढाई करोड़ रुपये का हमारी दो पंचायतों में गबन हो गया, कोई कहता है हमारे डेढ़ करोड़ का हो गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा

(श्री बलजीत यादव)
अनुमान है राजस्थान में कम से कम दो हजार करोड़ में से यह मानकर चलें कि एक हजार करोड़ रुपये घोटालेबाज ले गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर नहीं रोका गया तो आगे जो दो लाख रुपये की ऋण माफी की गयी है, उसको भी घोटालेबाज ले जाएंगे। आशा करता हूं, इनके साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी और जनता के पैसे को बचा पाएगी। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं बस स्टैण्ड पर अतिक्रमण से यातायात में बाधा

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे चौमूं बस स्टैण्ड के ऊपर जो अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं बस स्टैण्ड से लेकर थाना चौराहा तक और थाना चौराहा से लेकर धोली मण्डी तक, लगातार प्रतिदिन एक से डेढ़ घण्टे तक जाम रहता है। अध्यक्ष महोदय, इसी एन.एच. के ऊपर पुलिस स्टेशन भी स्थित है, इसी एन.एच. के ऊपर हास्पिटल भी स्थित है और इसी एन.एच. के ऊपर स्थिति यह बन गयी कि आज जयपुर से जाने वाली जो अन्य जिलों की बसें हैं, सीकर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, एक भी बस चौमूं शहर से नहीं गुजरती। सारी की सारी बसें बाई-पास से गुजर जाती हैं। इस जाम की वजह से कई बार एम्बुलेंस भी फंस जाती है। समय के ऊपर किसी मरीज का इलाज भी नहीं हो पाता।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करुंगा कि इस अतिक्रमण का, एक प्रमुख एन.एच. के ऊपर जो अतिक्रमण है, वह सिर्फ एक ट्रोली पत्थरों का अतिक्रमण है, कोई बड़ा अतिक्रमण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने एक ट्रोली पत्थर की डाल रखी है। उस पत्थरों की ट्रोली को हटाने के लिये एन.एच. के अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। शहरवासियों ने ही जाकर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के अन्दर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 29/2987 यह वाद दायर मुंसिफ कोर्ट के अन्दर हुआ। मुंसिफ कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण को एन.एच. से हटाया जाना चाहिये। उसके

(श्री रामलाल शर्मा)

बाद में दूसरा समुदाय अपील के अन्दर चला गया, 78/96, उसका 20.04.2011 को निर्णय हुआ। अध्यक्ष महोदय, 20.04.2011 की उनकी अपील खारिज होने के बावजूद भी एन.एच. के ऊपर जो अतिक्रमण करके लोग बैठे हुए हैं, उनको हटाया नहीं गया। आपके माध्यम से मेरा एक ही निवेदन है कि एन.एच. के ऊपर अतिक्रमण सिर्फ एक पत्थर की ट्रोली का है। उनको न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए हटाएं, ताकि चौमूं की जनता को राहत मिल सके और जो प्रतिदिन लगने वाला जाम है, उस जाम से भी निजात मिल सके। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बैनिवाल। एक मिनट, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने यही मुद्दा पहले भी सदन में उठाया था। चौमूं बस स्टैण्ड पर जो अतिक्रमण है, उसके बारे में अपनी राय प्रकट की है। अध्यक्षजी, जो पुराना नेशनल हाई-वे है, वह लगभग आठ किलोमीटर का है। जो यह हिस्सा है, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, यह तीन सौ मीटर की लम्बाई का है। इसके आस पास काफी आबादी भी है। सरकार यह सोच रही है, अगर सदस्य चाहें तो, पी.डबल्यू.डी. का, नगरपालिका का और जे.डी.ए. का, एक संयुक्त दल जाएगा, मौके का निरीक्षण करेगा और जो समस्या ये बता रहे हैं, उसका निराकरण हम जल्द से जल्द करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री हनुमान बैनिवाल।

नागौर में पुलिस से प्रताड़ित दलित पुलिसकर्मी द्वारा परिवार सहित आत्महत्या

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन पर बोलने का समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, हम आज आपका इतना-सा संरक्षण चाहेंगे कि बहुत गम्भीर मामला है, और इस मामले पर निश्चित रूप से जवाब जो भी हो, सरकार से जवाब भी दिलाएं।

अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले के अन्दर वर्ष 2018 में राजस्थान पुलिस के मेघवाल समाज के दलित पुलिसकर्मी गेनाराम मेघवाल, जिसने अपने परिवार के साथ, उसके बच्चे और बच्ची, जो बी.टेक की पढ़ाई कर रहे थे, उन चारों व्यक्तियों ने सुसाइड किया। वह पुलिस में एस.पी. आफिस के अन्दर

(श्री हनुमान बैनिवाल)

नौकरी कर रहा था। अध्यक्ष महोदय, 21 जनवरी, 2018 की यह घटना है। वहां पर इसको लेकर लम्बा-चौड़ा आन्दोलन भी हुआ था, सर्व समाज ने आन्दोलन किया। अभी हमारी जायल से जो एम.एल.ए. जीतकर आई हैं, माननीय सदस्या, ये भी मौके पर थीं। पूर्व के अन्दर पिछली बार जो बी.जे.पी. से जीतकर आई थीं, वे भी थीं। यह पुरानी घटना है। उस समय जब मैंने मामला विधान सभा के अन्दर उठाया तो तत्कालीन गृह मंत्री, जो आज प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने आई.जी. स्तर के अधिकारी से इस प्रकरण की जांच कराने के आदेश दिये थे। आई.जी. बी.एल. मीना ने, जो अभी बीकानेर लगे हुए हैं, इस पूरे प्रकरण की जांच की थी। उसमें नागौर के तत्कालीन डीवाई.एस.पी. को दोषी माना था, कई पुलिसकर्मियों को दोषी माना था और एस.पी. के खिलाफ कार्यवाही की अनुशंसा भी की थी।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उसके बाद सदन के अन्दर जो घोषणा की, सदन की इस घोषणा के बाद पता नहीं किसका दबाव था, सितम्बर-अक्टूबर के अन्दर जब चुनाव नजदीक आये तो उस जांच को बदलकर, जो इनके नजदीकी लोग थे उनको आनन-फानन के अन्दर निकालकर, मुझे तो आज पता लगा, अध्यक्ष महोदय, अभी उस परिवार को तो पता ही नहीं है कि वह जांच कौन कर रहा है। सदन के अन्दर जिस आई.जी. को जांच दी गयी, वह जांच चार महीने बाद बदलकर किसी और को दे दी। अध्यक्ष महोदय, यह तो एक तरीके से सदन का अपमान हो गया। सदन के अन्दर कही हुई बात का हमें पता ही नहीं। यहां तो सारा राजस्थान सदन पर भरोसा करता है और सदन के अन्दर जो बात हुई उस बात का अता-पता नहीं। आज मुझे पता लगा कि उसके चालान की तैयारी हो गयी, या तो धारीवालजी कह देंगे कि उसका चालान हो गया, ये कह देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पुराना मामला है।

अध्यक्ष महोदय, 09 फरवरी, 2018 को तत्कालीन गृह मंत्रीजी ने घोषणा की थी। नागौर कोतवाली के अन्दर राधाकिशन नामक एक पुलिसकर्मी ने 171/12 मुकदमा चोरी का दर्ज कराया। वह राधाकिशन भी पुलिसकर्मी था। राधाकिशन का यह कहना था, पहले आपस में ये दोनों धर्म के भाई थे। उसकी वाइफ को इसने धर्म बहन बना रखा था। उसने कहा कि इसको फंसाओ। तो तत्कालीन एस.पी. अनिल पारिस देशमुख, डीवाई.एस.पी. ओम प्रकाश गौतम, उन्होंने चैम्बर में बुलाकर गेनाराम मेघवाल और उसके बच्चों को कहा कि आपका चालान करेंगे, आप तैयार हो जाओ। तब उसने कहा कि पुलिस के

(श्री हनुमान बैनिवाल)

अन्दर रहते हुए मैंने नौकरी की है। उसने जो सुसाइड नोट लिखा, अध्यक्ष महोदय, उस नोट को जब पढ़ा, सुसाइड नोट में उसने यह भी लिखा, मेरा कानून से भरोसा उठ गया। मैं एस.पी. आफिस के अन्दर नौकरी कर रहा हूं, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। आजादी के 70 साल बाद गरीब, दलित मेघवाल जिसने पूरे परिवार की इह लीला इसलिये समाप्त की कि उसे इस कानून पर भरोसा नहीं। उसने लिखा, महोदय, कानून का सिपाही यह बात लिख रहा है। इतनी बड़ी घटना हो जाने के एक साल बाद भी इस सदन ने उसके अन्दर कुछ नहीं किया। उसने कहा, मेरा कानून से भरोसा उठ गया और भगवान उन दोषियों को सज़ा देगा, जो मेरे परिवार के मेरे बच्चे, और उसकी बेटी, जो बी.टैक. किये हुए थे, वे अच्छे इंजीनियर लगते, अच्छी नौकरी लगती। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से इतना ही संरक्षण, आपसे इतना ही संरक्षण चाहता हूं कि ऐसे गम्भीर मामले, जो पूर्ववर्ती सरकार के थे, आपने छह महीने का जो कार्यकाल था, पिछली सरकार का, उसकी समीक्षा की बात तो कर ली, लेकिन ऐसे मामलों को भी उनके अन्दर लें। मैं इस मामले के अन्दर सी.बी.आई. जांच की मांग करता हूं। आखिर उस डीवाई.एस.पी. को, जिसको बी.एल. मीना ने जांच में दोषी माना था, एस.पी. पर कार्यवाही की बात की थी, अनुशंसा की थी। आखिर बी.एल. मीना से जांच किसके दबाव में, सदन की घोषणा के बाद चोरी छिपे जांच बदल दी। आज उस परिवार को न्याय नहीं मिला। जो शिड्यूल्ड कास्ट के अलग से नियम बने हुए हैं कि अगर कोई मर्डर हो जाता है, कोई सुसाइड करता है, पुलिसकर्मी था, पुलिस का अलग पैकेज ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार जारी करती है। लेकिन न तो उसको पैकेज मिला, न उसको न्याय मिला।

अध्यक्ष महोदय, आज यह सरकार बनी है। सबसे ज्यादा अगर वोट इस सरकार को किसी ने डाला तो शिड्यूल्ड कास्ट और मुसलमानों के वोटों से आप सत्ता के अन्दर आये हो। अगर इस तरह के मामलों में गम्भीर नहीं होंगे, यह तो उठ गये मामले सदन में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): आजकल तो राजस्थान का पूरा यूथ

(श्री हनुमान बैनिवाल)

इस चीज को देख रहा है कि भा.ज.पा. ने जो गलती की, अगर आप उसको नहीं सुधारोगे तो लोक सभा में आप लोग तैयारी कर लो। इस तरह नहीं कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): नहीं, एक मिनट, यही मांग करूंगा कि धारीवालजी यहां विराजे हैं। सी.एम. साहब का महकमा है, आप इसका भी जवाब दे दें और उस दिन भी जो आपने बात मुझे कही कि सी.आई. के खिलाफ हम आई.जी. से जांच करा देंगे। आपने कहा, हमने जांच नहीं मांगी। तो नागौर कोतवाली की डोडा पोस्त की भी मैंने जांच मांगी थी, उसको तुरन्त वहां से हटाएं और उसकी भी जांच आई.जी. स्तर के अधिकारी से कराएं। दोनों का जवाब मुझे देकर, इस मामले की भी सी.बी.आई. जांच कराएं और उसमें हटाकर आई.जी. से जांच कराने के आदेश फर्माएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी बैनिवाल साहब ने बताया कि डीवाई.एस.पी. के विरुद्ध आई.जी. के द्वारा जांच करा दी गयी थी और उस जांच को बदल दिया गया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उस जांच को उठवाएंगे। उसको देखेंगे और जो कुछ भी उसमें वाजिब हो सकेगा, वह करेंगे। अगर मान लीजिये उस जांच के अंतर्गत वाकई डीवाई.एस.पी. को दोषी माना गया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

रहा सवाल उस रोज का, वह आपने बताई थी। वह तो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि आई.जी. को ही आथोराइज करेंगे कि वह अपने निर्देश से जांच करवाएं।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): उसको हटवा दो, साहब, वह वहीं रहती है। (व्यवधान) उसको सी.आई. को। वहां से तो हटवा दो कम से कम।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह आई.जी. के ऊपर निर्भर करता है। अगर आई.जी. ने उसको दोषी माना तो निश्चित रूप से वह हटेगा।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): नहीं, नहीं। (व्यवधान) वह तो एक साल ही दोषी नहीं मानेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, एक साल नहीं, उसको टाइम दे देंगे। दे देंगे, उसको एक महीने का टाइम दे देंगे। महीने भर के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अगर वह दोषी है तो निश्चित तौर पर हटा दिया जाएगा।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): डोडा पोस्त वाले मामले में। (व्यवधान) गैर हाजिर करवा दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस तरह से बहस नहीं, प्लीज।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): और इस मामले में आप इसकी सी.बी.आई. जांच करवा दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मंत्रीजी से बहस नहीं करें, प्लीज।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): क्योंकि सी.बी.आई. के बिना एस.पी. सलाख़ों के पीछे नहीं जाएगा। अनिल परिस देशमुख भी इसके अंदर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बात आ गयी। (व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो-जो अधिकारी दोषी है, उन सबकी जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करें। श्री राजेन्द्र राठौड़।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का भुगतान

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन जो किंवदंती है राजस्थान के लिए अब जन आदत बन चुकी है और सत्ता परिवर्तन निश्चित तौर पर होता है। सत्ता परिवर्तन के साथ ही पिछली सरकार के छह माह के काम-काज की समीक्षा करने का काम भी सरकारें करती हैं। पर, इस समीक्षा की आड़ पर वह जन-कल्याणकारी योजनाएं जो वर्षों से चल रही हैं, जिन जन-कल्याणकारी योजनाओं से एक, दो नहीं, राजस्थान के 11 लाख से ज्यादा श्रमिक लाभान्वित हो रहे हैं उनकी वह राशि रोक देना, जो राशि सेस के रूप में भारत सरकार पूरे देश में लेती है और श्रमिक कल्याण के लिए खर्च करती है, मैं इसको उचित नहीं मानता।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2009 से पूरे देश के अंदर असंगठित मजदूरों की एक कल्याणकारी योजना चल रही है और इस योजना में जो पैसा आता है, पूरे प्रदेश में और देश में दस लाख रुपये से ज्यादा की लागत का कोई भी निर्माण कार्य, चाहे भवन बनना हो, चाहे सड़क हो, चाहे नहर हो, चाहे बिजली घर हो, कोई भी हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे बात नहीं करेंगे, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): या किसी भी प्रकार की कोई मैंटिनैंस का काम बड़े भवन का होता है उसमें एक परसेंट का सेस सरकारें वसूल करती हैं और इसको किस प्रकार से खर्च किया जाए इसका एक माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल बना हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे जो लाभान्वित होने वाले हैं वह सारे असंगठित श्रमिक हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंदर जो कार्ड-धारी हैं, वह भी सारे इसमें हैं। नरेगा में जिसने 90 दिन पूरे कर लिए वह सारे श्रमिक भी हैं। इसमें भवन निर्माण से जुड़ा हुआ श्रमिक है, चाहे वह निजी मकान का भवन बना रहा हो या सरकारी बना रहा हो, सड़क निर्माण हो, नहर हो, तालाब हो, बिजली घर हो, इसमें इलेक्ट्रिशियन भी हैं, मजदूर हैं, बेलदार हैं, ईंट भट्टा वाले भी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान के 67 फीसदी मजदूर इस योजना के अंदर जिन्होंने अपना पंजीकरण करवा रखा है, इस योजना के अंतर्गत उनको लाभ दिया जा सकता है और लाभ भी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर दुर्घटना हो गयी उस पात्रताधारी श्रमिक की तो पांच लाख रुपये, साधारण मृत्यु पर दो लाख रुपये, अपंग हो गया तो तीन लाख रुपये, अगर आवासहीन है तो डेढ़ लाख रुपये, अगर उसकी बच्ची 18 साल की हो गयी तो शुभ शक्ति योजना में 55 हजार रुपये और छात्रवृत्ति, मैं ज्यादा लम्बा नहीं बोलूंगा, आठ हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक अलग-अलग।

अब 2017-18 तक राजस्थान की सरकार के पास यह एक परसेंट सेस से जो पैसा आया यह 1264 करोड़ 31 लाख 12 हजार 64 रुपया आज इस सरकार के पास है और पंजीकृत जो श्रमिक हैं वह 11 लाख हैं। क्योंकि कांग्रेस सरकार की पूर्ववर्ती सरकार के अंदर जो पंजीकृत श्रमिक थे, माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उप मुख्य मंत्रीजी, आपको लोगों ने ज्ञापन दिया इसलिए आपको जानकारी होगी, वह 3,79,350 थे। अब छह महीने की समीक्षा आप कर रहे हैं और आपने यह सारी राशि रोक दी। अब माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से 18 जनवरी को सैकड़ों लोग मिले, कामगार कांग्रेस संघ की अगुवाई के अंदर।

जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आता हूं वहां के लोगों ने धरने देने का नोटिस दे रखा है और अकेले चूरू के अंदर आठ करोड़ से ज्यादा की राशि सरकार ने रोक रखी है। अब गरीब कल्याण का दम आप भरते हो। कभी इन योजनाओं का नाम बदलते हो, इस योजना का भी नाम बदलना, मुझे कोई एतराज नहीं पर मेरा निवेदन है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Please, wind up.

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बदलने का काम आपका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, मंत्रीजी, बैठे-बैठे नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि चूरू, जहां से मैं आता हूं 2208 श्रमिक हैं, 8,77,46,000/- रुपया बकाया है। मैं समझता हूं कि मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुग्रह, निवेदन कर रहा हूं, आपका राजनीतिक प्रतिशोध और विरोध किसी के साथ हो सकता है, पर हर चीज को इस नजरिये से देखना क्योंकि यह योजना भारतीय जनता पार्टी के काल-खंड के अंदर चरम पर थी। 11 लाख से ज्यादा श्रमिकों को हमने लाभ दिया। इस योजना के अंदर लगभग 6778 करोड़ रुपये श्रमिकों के खाते में किसी न किसी रूप में गये। आप इस योजना की राशि को रोक रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया, आप वाइंड-अप करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कम से कम आप यह निर्देश दें और अगर आप मंत्रीजी नहीं बोलेंगे, उप मुख्य मंत्रीजी विराजे हैं, नहीं बोलेंगे तो राजस्थान के श्रमिकों में यह संदेश जाएगा कि आप छह महीने की समीक्षा के नाम पर भारत सरकार की योजना का, जो उनका पैसा एक परसेंट आता है, जिसमें सरकार का लेना-देना नहीं, आप उस योजना को रोकने का, राजनीतिक चश्मे से देखकर रोक रहे हैं, यह आपके लिए अहितकारी होगी।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। 295.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जवाब तो दिलवाएं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप सरकार में रहे हैं, Can you compel?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): मैं जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने समीक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं रोका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली 3 जनवरी को ही हमने इस डिपार्टमेंट की मीटिंग लेकर 100 दिवसीय कार्य-योजना तैयार कर ली है और जो बी.ओ.सी.डब्ल्यू. बोर्ड है, उसका गठन भी हम 20 फरवरी तक कर देंगे। इसके जो वास्तविक निर्माण श्रमिक हैं, उनका रजिस्ट्रेशन और उसके समुचित प्रचार-प्रसार की भी हमने पूरी तैयारी कर ली है। निर्माण श्रमिक को बार-बार परेशान नहीं होना पड़े इसलिए उनका जब पंजीयन हो उसी समय पूरा वेरिफिकेशन हो जाए, यह भी तैयारी हमने कर ली है। उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाते हैं, पिछली सरकार के समय में इसकी सूचना बैनिफिशियरी को नहीं जाती थी, वह सिर्फ ई-मित्र पर जाती थी और बैनिफिशियरी बार-बार परेशान होता था। अब वह एस.एम.एस. हम बैनिफिशियरी को भी देंगे। जो भवन निर्माण हो रहे हैं, वहां पर वह सेस नहीं वसूला जा रहा था, उस पर भी हम ध्यान देंगे कि वह सेस समय पर वसूला जाए। पिछले तीन महीनों में, अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर में 6639 निर्माण श्रमिकों को हमने कल्याण मंडल की तरफ से उनका आवेदन स्वीकृत करके लाभान्वित किया है, जिन पर कुल 21.08 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप चूरू का बता दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि चूरू का कोई आठ करोड़ रुपया बाकी है तो उसके संबंध में कोई बात बता दें।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): सर, पूरे राजस्थान में ही चूंकि, पिछली सरकार के द्वारा जल्दबाजी में चुनाव के समय में इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवाये गये, फर्जी रजिस्ट्रेशन भी करवाये गये हैं, जिनकी डिमांड पैंडिंग है, हम बहुत ही जल्दी, हमने 100 दिवसीय कार्य योजना बना दी है और उससे नीचे भी हमने एक महीने का पूरा रोड-मैप तैयार कर दिया है। सभी जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उन सबको यह निर्देश दे दिये गये हैं कि जल्द से जल्द वैरिफिकेशन करके भुगतान कर दिया जाए और चूरू का भी जो भुगतान है, वह भी हम जल्द से जल्द करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। 295, श्री संदीप कुमार।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

तिजारा में बंदरों का उत्पात

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा में उप खण्ड मुख्यालय पर बंदरों का बड़ा आतंक है। लगभग 200-250 की संख्या में बंदर हैं और अभी तक, भाई साहब, हंसने की बात नहीं है, बड़ी गम्भीर समस्या है, लगभग तीन दर्जन लोगों को काट चुके हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, आप बंदरों की बात करो, हमारी तरफ इशारा कैसे कर रहे हैं, आपने उधर इशारा क्यों नहीं किया?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह एतराज है। इन्होंने 200-250, यूं घूमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपने आपको क्यों सम्मिलित कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बंदर हमारी प्रजाति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बंदर से पैदा हुए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य संदीप कुमार, केवल लिखा हुआ ही पढ़ेंगे। प्लीज, आपने जो लिखकर दिया है, वही पढ़ेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री संदीप कुमार (तिजारा): लगभग तीन दर्जन लोगों को काट चुके हैं और काफी लोगों को लहूलुहान कर दिया। बंदर गर्दन से काटता है, जिसके कारण से काफी लोगों की नसें कट गयीं। हास्पिटल में व्यवस्था नहीं है। लगभग पांच डाक्टरों की पोस्ट खाली हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 295 में आपने जो लिखकर दिया है केवल वही पढ़ेंगे, नहीं तो आप बैठें।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा में तकरीबन एक महीने से बंदरों ने उत्पात मचा रखा है। आये दिन बंदर लोगों पर हमला कर लहूलुहान कर देते हैं उनको इलाज के लिए तिजारा अस्पताल में उचित इलाज नहीं मिलने के कारण अलवर रैफर कर दिया जाता है।

(श्री संदीप कुमार)

कल अजीत पब्लिक स्कूल के कक्षा आठ के तीन छात्रों को बंदरों ने क्लास रूम में घुसकर गर्दन पर काट लिया, जिससे उनको अलवर रैफर कर दिया गया है। एक महीने के अंतराल में तकरीबन 35 से 40 लोगों को बंदरों द्वारा लहूलुहान कर दिया गया है। इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश एवं भय है। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है तथा तिजारा उप खण्ड व नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को बंदरों को पकड़ने के लिए स्थानीय जनता द्वारा काफी ज्ञापन भी सौंपे गये परन्तु आज दिनांक तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने के कारण हाल ज्यों के त्यों बने हुए हैं।

अत: उक्त समस्या पर ध्यान दिलाते हुए मेरा स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन है कि बंदरों को पकड़ने के जल्द से जल्द इंतजाम करें जिससे क्षेत्र की इस गम्भीर समस्या से जनता को निजात मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री मदन प्रजापत।

पचपदरा के अकालग्रस्त ग्रामों में पेयजल, चारा डिपो व पशु शिविरों की शुरुआत

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि जिला बाड़मेर में कुल 2775 राजस्व ग्राम हैं, जिनमें से 2694 राजस्व ग्राम अकाल से ग्रस्त हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की तहसील पचपदरा में 293 गांवों में से 293 गांव ही अकालग्रस्त हैं। पश्चिमी राजस्थान में लगभग प्रति वर्ष अकाल की स्थिति ही रहती है। कृषि एवं पशुपालन जीवन-यापन का यहां मुख्य आधार है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक मार के कारण यहां का आम नागरिक विशेषकर, किसान एवं पशुपालक आर्थिक रूप से परेशानी से जूझ रहा है और कर्जदार हो गया है। जिले में उद्योग नहीं होने के कारण लोग जीवन-यापन हेतु पलायन कर रहे हैं, लेकिन किसान का जमीन के साथ लगाव होने के कारण वह मवेशियों एवं परिजनों को लेकर आखिर कहां जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्रीजी एवं अकाल राहत मंत्री से मेरा आग्रह है कि बाड़मेर-जैसलमेर जिले, विशेषकर मेरे पचपदरा क्षेत्र में जनता की मांग एवं जरूरत को देखते हुए पेयजल हेतु टैंकर, चारा डिपो एवं पशु शिविर प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी कर शीघ्र प्रारम्भ किये जाएं, जिससे आमजन विशेषकर किसान एवं पशुपालक राहत महसूस कर सकें। मेरा सुझाव एवं माग है कि-

(श्री मदन प्रजापत)

1. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में 131 चिह्नित ढाणियों में पेयजल परिवहन पर पिछले साल लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। इस बार भी तीन करोड़ खर्च होने का अनुमान है। यदि रेवाड़ा, गंगावास एवं सिणली के परम्परागत तालाबों में पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा वृहत् पेयजल योजना से पाइप लाइन से भर दिया जाता है तो पचपदरा तहसील के 70 प्रतिशत गांवों को राहत पहुंच जाएगी। इस हेतु अकाल राहत कोष से 20-30 लाख रुपये ही खर्च होंगे।
2. तहसील पचपदरा में प्रशासन से प्रस्तावित 20 चारा डिपो एवं 25 पशु शिविर स्वीकृत किये जाएं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री जब्बर सिंह सांखला।

ब्यावर से भीलवाड़ा मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार सदन में आया हूं, आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया है, उसके लिये मैं आपको प्रणाम करता हूं और पूरे सदन को प्रणाम करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये ब्यावर से भीलवाड़ा मार्ग पर रोड़वेज की बसों के संचालन बाबत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में विगत 70 सालों से रोड़वेज की बसों का संचालन नहीं हो रहा है। ब्यावर से भीलवाड़ा का मार्ग 110 किलोमीटर लंबा है व अति-व्यस्त मार्ग है तथा इस मार्ग पर तीन एस.डी.एम. हैडक्वार्टर हैं तथा आसीन्द कपास एवं खनिज मिनरल की एक बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी है। कई व्यापारी यहां दूर-दूर से आते हैं तथा आसीन्द में गुर्जर समाज का प्रसिद्ध अन्तरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर व देवनारायण भगवान की जन्म-स्थली मालासेरी डूंगरी भी आसीन्द के पास ही है। जनता ने कई बार इस मार्ग पर रोड़वेज बसों की एवं लम्बी दूरी की बसों के संचालन की मांग रखी। कई बार आन्दोलन भी हुए, मगर प्राइवेट बस मालिकों की, अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। व्यापारी, कर्मचारी, किसान एवं सभी नौजवान साथियों का प्रदेश के कई बड़े-बड़े शहरों में आना-जाना पड़ता है, इसलिये उनको मजबूरन प्राइवेट बसें, जोकि खटारा हालत की बसें हैं, उनमें अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है तथा प्राइवेट बस मालिकों की

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

दादागीरी के आगे किसी की नहीं चलती है। बहुत-सी बार उनके और जनता के बीच झगड़ा होता है तथा कई बार पैसेंजरों को बीच रास्ते में ही उतार दिया जाता है। इसके कारण से सरकार को भी राजस्व की बहुत बड़ी हानि हो रही है, क्योंकि ब्यावर से भीलवाड़ा मार्ग पर हर आधे घंटे में बस चलती है एवं अफसरों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि अफसरों की जेबें प्राइवेट बस मालिकों द्वारा भर दी जाती है और सारा मामला ठण्डे बस्ते में डाल दिया जाता है। अत: मैं श्रीमानजी से निवेदन करता हूं कि आसीन्द की यह मांग बहुत बड़ी है, इसको स्वीकार कर रोड़वेज की लम्बी दूरी की बसें चलाकर जनता को राहत प्रदान कराएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीगण, फिर चैम्बर की व्यवस्था खतम करनी पड़ेगी। माननीय मंत्रीगण, प्लीज, असेम्बली में फिर चैम्बर की व्यवस्था खतम करनी पड़ेगी। आप बोलें, माननीय सदस्य श्री गोपी चन्द मीणा, जहाजपुर।

जहाजपुर और कोटड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में गरीब तबके के लोग, एस.टी., एस.सी., ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को जिला मुख्यालय पर 90 किलोमीटर दूरी पर पढ़ने के लिये जाना पड़ता है और निजी महाविद्यालयों में फीस की राशि अधिक होने के कारण बारहवीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते, अत: सरकार से मांग करता हूं कि जहाजपुर और कोटड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये जाएं। पूर्व के जन प्रतिनिधियों ने इस मांग को बार-बार सदन में रखा है, अत: मैं राजकीय महाविद्यालय भवन भूमि वित्तीय बजट में स्वीकृति की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, श्री छगन सिंह जी।

आहोर के सुमेरगढ़ खेड़ा बांध की ऊंचाई

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये आहोर विधान सभा सभा क्षेत्र के सुमेरगढ़ खेड़ा का बांध की ऊंचाई बढ़ाने के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सुमेरगढ़

(श्री छगनसिंह)
खेड़ा में पीने के पानी की कमी हो गयी है, अत: वहां स्थित बांध सुमेरगढ़ खेड़ा बांध की ऊंचाई बढ़ायी जाए ताकि पीने के पानी की व सिंचाई की समस्या दूर हो सके जिससे आम जन को राहत महसूस हो। वहां के पशुधन एवं जीव-जन्तु भी जीवन-यापन कर सकें।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारी लाल।

फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत आपने अपनी बात कहने का मौका दिया। मेरा सरकार से आग्रह है कि राजस्थान के किसानों को बचाने के लिये उनकी पूरी फसल सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदे, समय पर भुगतान करे। किसानों से सम्पूर्ण फसल खरीद समर्थन मूल्य पर नहीं करती, तब तक किसानों की जमीन की नीलामी (कुर्की) को रोककर किसानों की सम्पूर्ण कर्जमाफी करने का श्रम करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 295 में लिखा हुआ पढ़ते हैं। प्लीज बैठें। श्री बिहारीलाल। (व्यवधान) धन्यवाद। श्री बिहारीलाल।

नोखा के नगरपालिका क्षेत्र में थड़ी, गाड़ा लगाने वालों को परेशानी

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि नोखा शहर में थड़ी, गाड़ा लगाकर अपना पेट पालने वाले कमजोर तबके के लोगों को नगरपालिका प्रशासन द्वारा आये दिन खदेड़ दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जो लिखकर दिया है, वही पढ़ें। रूल्स को फालो करें। आपका लिखा हुआ है, लिखा हुआ ही पढ़िये।

श्री बिहारीलाल (नोखा): ऐसे में इन वेंडर्स को उचित स्थान उपलब्ध करवाने तक बेदखल नहीं किया जाए, ऐसा हाई कोर्ट का नियम भी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य, बैठें आप। नैक्स्ट, श्रीमती जाहिदा खान। सारी श्री अमर सिंह। एक मिनट, आप बैठें। श्री अमर सिंहजी।

बयाना में वन भूमि से मुक्त कर छोटे-छोटे खनन पट्टों की स्वीकृति

श्री अमर सिंह (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय व सदन को प्रणाम करते हुए पहली बार जीतकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष: 295 के नियम, आप लिखा हुआ पढ़ें।

श्री अमर सिंह (बयाना): राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना सैंड स्टोन (इमारती पत्थर) देश में ही नहीं, विदेश में भी अपनी पहचान रखता है। विगत कई दशकों से यहां के बंशी पहाड़पुर क्षेत्र में खनन कार्य होता आया है। यहां लगभग दो लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से खनन कार्य से जुड़े हुए हैं। यहां पर जीवन-यापन का मूल स्रोत खनन कार्य ही है। पिछले कई दशकों से खनन क्षेत्र को वन क्षेत्र में शामिल किये जाने से यहां पर खनन पट्टे स्वीकृत न होने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में भुखमरी और बेरोजगारी के हालात पैदा हो गये हैं। खनन पट्टे जारी न होने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना एवं रूदावल में सैकड़ों गैंगसा व स्प्रिटिंग मशीनें बंद होने के कगार पर हैं जिससे क्षेत्र का विकास रुक गया है और लाखों लोग बेरोजगारी के कगार पर हैं।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना के खनन क्षेत्र को वन भूमि से मुक्त कर छोटे-छोटे खनन पट्टे जारी करवाने का श्रम करें जिससे क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान की जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती जाहिदा खान।

कामां में पेयजल संकट का निराकरण

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र कामां के ग्रामीण तथा कामां कस्बे में पेयजल संकट के निराकरण हेतु चम्बल परियोजना से शीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ कराने बाबत प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र कामां के ग्रामीण क्षेत्र तथा कामां-पहाड़ी एवं नगर तक के लिए पेयजल की समस्या का स्थाई समाधान करने की दृष्टि से चम्बल परियोजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति की शीघ्र क्रियान्विति कराया जाना आवश्यक है जिससे इस क्षेत्र में व्याप्त गम्भीर जल संकट की स्थिति का निराकरण हो सके और आम जनता को राहत मिल सके।

(श्रीमती जाहिदा खान)

अत: उक्त परियोजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति शीघ्र प्रारम्भ कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मंजु देवी।

जायल महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की प्रयोगशालाएं खोलने व अजमेर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता

श्रीमती मंजु देवी (जायल): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख- राजकीय महाविद्यालय, जायल की स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जायल में 2013 से राजकीय महाविद्यालय कांग्रेस सरकार में स्वीकृत होकर चालू हुआ था। अब भवन भी बन गया है। साइन्स संकाय भी गत सरकार ने खोली थी परन्तु साइन्स की लेबोरेट्रीज तीनों भौतिक, रसायन और बायो की नहीं है तो ऐसे में विद्यार्थियों का अध्ययन बाधित हो रहा है। अत: तीनों प्रयोगशालाएं खोलकर सुचारु कराएं।

वर्ष 2013 से चालू हुए महाविद्यालय, जायल को अजमेर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नहीं होना दुर्भाग्य की बात है तो इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाए ताकि महाविद्यालय को अन्य गतिविधियों का लाभ मिल सके।

पर्याप्त भवन, फर्नीचर व सुविधाएं होते हुए भी परीक्षा केन्द्र जायल में नहीं है क्या? परीक्षा केन्द्र जायल खुलवाया जाए ताकि विद्यार्थियों को सुविधाएं सुलभ हो सकें।

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनियां।

सूरतगढ़ में चल रहे सीवरेज कार्य

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के कस्बे में सीवरेज का कार्य पिछले तीन-चार वर्ष से चालू कर रखा है। शहर की ज्यादातर सड़कें तोड़ दीं। जगह-जगह गड्ढे हो गये जिससे आये दिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पूरे शहर में मिट्टी व धूल उड़ती है जिससे लोगों को सांस लेने में समस्या होती है।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

शहर में दमे के मरीजों की संख्या बढ़ गयी। सीवरेज योजना के नियमों के अनुसार पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है तो जगह-जगह गड्ढ़ों में पानी भर जाता है जिससे राह चलते राहगीरों के कपड़े गन्दे हो जाते हैं। वाहनों के टायरों से पानी उछलकर गिर जाता है। इतना ही नहीं, दुकानदार भी इससे अछूते नहीं हैं। दुकानों में पड़े सामान पर भी मिट्टी जम जाती है। गन्दे पानी के छींटे गिर जाते हैं जिससे ग्राहकों की संख्या कम हो जाती है। इतना ही नहीं, शहर की मुख्य रोड का निर्माण किया गया जिसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा। ऐसे ही दुकानों के आगे दोनों साइड़ों में बड़े नालों का निर्माण किया गया, इसमें भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जिसके कारण से दुकानों के अण्डर ग्राउण्ड्स में पानी भर गया जिससे दुकानदारों का लाखों रुपये का नुकसान हो गया। सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि शेष जो कार्य बाकी हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र नियमों की पालना करते हुए कराएं व पूर्व में जो कार्य शिड्यूल के अनुसार नहीं हुआ उसकी जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करके न्याय प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

यूआईटी, उदयपुर के पैरीफेरी क्षेत्र में किसानों व जनजाति के परिवारों को पट्टा आबंटन

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव।

महोदय, यूआईटी पैरीफेरी क्षेत्र में नगरपालिका क्षेत्र में वर्षों से बसे किसानों को व जनजाति परिवारों को पट्टे दिलवाने का काम करने की मंशा है तो कब तक यह कार्य पूर्ण होगा जिससे आम गरीब किसान को पट्टा मिलने के बाद वह गरीब परिवार के लिए अपना लोन लेकर अपना मकान बना सके, परिवार को आशियाना मिल सके और परिवार सुखपूर्वक जिन्दगी व्यतीत कर सके। क्योंकि वर्षों से वह आदिवासी परिवार कच्चा मकान बना रह रहा है और आज प्रधान मंत्री आवास के लिए 01 लाख 48 हजार 290 रुपये दिए हैं और पैसा आ भी गया मगर सरकारी जमीन होने से वह गरीब पट्टे के अभाव में मकान नहीं बना सकता। यह भी डर है कि कभी यूआईटी नोटिस देकर उस गरीब का मकान तोड़ने आ जाते हैं।

(श्री फूल सिंह मीणा)

सरकार एक बात तो यह कह रही है कि गरीब का ध्यान रखेंगे और आज मकान से वंचित कर रहे हैं इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन गरीबों को पट्टा दिलाने की मंशा है तो कब तक यह मांग पूरी करने का आदेश हो जाएगा और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी उल्लेख किया है इसलिए पट्टा देने का तो तुरन्त प्रभाव से वादा पूरा करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सन्तोष।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की मरुधरा की जीवनदायिनी कही जाने वाली हमारी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर प्रदेश के करोड़ों लोगों का जीवन आश्रित है। केवल मात्र मेरा विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ ही नहीं, बल्कि समूचे बीकानेर सम्भाग का किसान वर्ग इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा उपलब्ध सिंचाई जल के सहारे अपना जीवन का ताना-बाना बुनता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में वर्तमान में जारी वरीयता क्रम को यथावत रूप से रखा जाए ताकि रबी की फसल को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी उपलब्ध हो सके। वर्तमान में पोंग बांध का जो जल स्तर है वह 1372 फीट है। अगर सरकार द्वारा जनवरी और फरवरी माह में सिंचाई पानी के लिए तीन समूहों में से एक समूह का प्रावधान किया जाता है तो इससे इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के किसानों का भारी नुकसान होने की आशंका है। गत वर्ष पोंग बांध का जल स्तर 1280 फीट होने के बावजूद भी किसानों को पूरा पानी दिया गया था। मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग है कि भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की जो आगामी प्रस्तावित बैठक है, उसमें राज्य के किसानों के हित को देखते हुए वर्तमान सिंचाई पानी वरीयता क्रम जो चार समूहों में से दो समूहों में दिया जा रहा है, को यथावत करें अन्यथा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश पैदा हो सकता है।

पोंग बांध का जल स्तर संग्रहण क्षेत्र में इस बार पानी की भरपूर

(श्रीमती संतोष)

आवक के चलते बांध का जल स्तर गत वर्ष के जल स्तर से करीब 17 प्रतिशत अधिक रहा है। बांध में पर्याप्त जल उपलब्ध होने के बावजूद इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के किसानों को पर्याप्त सिंचाई पानी नहीं मिल पा रहा है। गत 12 जनवरी को हनुमानगढ़ में सम्पन्न जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी विधायकों द्वारा चार में से दो समूह चलाकर सिंचाई देने की मांग की गयी थी लेकिन इसमें आंशिक राहत देते हुए एक अतिरिक्त बारी दी गयी। फसल पकाव तक चार में से दो ग्रुप एक साथ चलाया जाए, इस स्थिति के लिए बांध में हमारे हिस्से का पर्याप्त पानी उपलब्ध है।

सर्दियों के दिनों में सीपेज और निर्माण आदि के कारण पानी की बचत होती है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र में रबी की फसल अब बढ़वार पर है। अगर इस समय फसलों को पूरा पानी नहीं मिला तो किसान वर्ग को नुकसान होगा। अत: मेरा आग्रह है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में किसानों को चार में से दो समूह में सिंचाई पानी दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, राज्य का किसान इन दिनों यूरिया की भारी किल्लत से जूझ रहा है।

श्री अध्यक्ष: आपका इंदिरा गांधी नहर के पानी के लिए है, नया पाइंट नहीं, जिस पर आपने पर्ची दी उसी पर बोलें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): हां जी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यूरिया भी किसानों से जुड़ा हुआ है, उसके लिए भी किसानों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। समय पर खाद नहीं मिल पाती है और पानी की बारी आ जाती है तो यूरिया नहीं मिल पाता, उससे भी किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, उसके लिए भी यह सरकार प्रयास करे। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि किसानों को समय पर खाद, बीज और पानी मिले और उचित मूल्य पर फसल खरीदी जाए तो ऋण माफी की जरूरत ही नहीं रहेगी और किसान खुशहाल होगा।

मेरा सरकार से यही आग्रह है कि जो चार समूह बनाकर दो ग्रुप में पानी दिया जा रहा है उसको यथावत रखें ताकि जो हमारी फसल पकाव पर है वह अच्छे से पके और किसानों को लाभ हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले की स्वीकृत नोन पैचेबल सड़कें ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): यह मन्थन आप बी.जे.पी. कार्यालय में कर लेना, यहां क्यों घूम रहे हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): जो मेयर हार गया, यहां बार-बार घूमकर और कैसे हार गया, क्यों हार गया, तो बी.जे.पी. के कार्यालय में बैठ कर लो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): किसने हराया, किसने नहीं हराया, हार गया, बस बात खतम।

उदयपुर की स्वीकृत नॉन-पैचेबल सड़कों की मरम्मत तथा सगमेश्वर पुलिया को चालू कराना

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): 500 किलोमीटर से अधिक सड़कें मरम्मत के लिए तथा सगमेश्वर पुल की स्वीकृति मिलने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, नोन पैचेबल सड़कों की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी, ठेकेदारों के टेण्डर भी हो गये, वर्क आर्डर भी दे दिये और मौके पर कार्य शुरू नहीं हो पाया है पूरे उदयपुर जिले में, जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करवाया जाए।

दूसरा, महत्वपूर्ण है कि एक बहुत बड़ा सगमेश्वर पुल है, तीन जिलों को जोड़ता है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, पिछले बजट में 24 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई। ठेकेदार द्वारा 26 करोड़ 54 लाख से अधिक राशि भरने के बाद जयपुर के मुख्यालय पर यहां टेण्डर हो गये, टेण्डर की स्वीकृति मिलने के बाद वर्क आर्डर नहीं दिया जा रहा है, वह पुल बहुत महत्वपूर्ण है, सोम और गोमती नदी पर बनने वाला यह बहुत बड़ा पुल है, तीन जिलों को जोड़ता है, इसके टेण्डर का आर्डर देकर के ठेकेदार का काम शुरू कराया जाए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद, जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, नोन पैचेबल सड़कों पर मरम्मत के काम के बारे में आपने उल्लेख किया है। उदयपुर जिले में सड़कों की कुल लम्बाई 8550 किलोमीटर की है जिसमें से नोन पैचेबल कार्यों की संख्या 465 है, उसकी स्वीकृत राशि है 167 करोड़। जो काम पूरे हो चुके हैं, 67 काम पूरे हो चुके हैं और वह राशि है 37 करोड़ रुपये की। जो शेष काम हैं, अगले छह महीने में पूरे करने का प्रस्ताव हमारे पास है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासित करना चाहता हूं कि

(श्री सचिन पायलट)
जो पैचेबल, नोन पैचेबल रिपेयर वर्क हैं, अगले छह महीने में सम्पूर्ण करने का प्रस्ताव हमारे पास है।

दूसरा, सदस्य महोदय ने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया सगमेश्वर पर आपने जो पुल की बात कही, यह बात सही है कि पहले इसके लिए 24 करोड़ का बजट आबंटित किया गया था और अभी उसका टेण्डर प्रोसेस चालू है, उसमें कुछ दिक्कत आयी थी क्योंकि कोटेशन ज्यादा आया था, हम टेण्डर प्रोसेस को चालू करा कर जल्दी काम को करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: मेवाराम जैन।

श्री अविनाश (जैतारण): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: बैठें, प्लीज, नो, नोट अलाउड। प्लीज बैठें।

श्री अविनाश (जैतारण): सर, दस सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: बैठें आप, प्लीज बैठें।

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पोक्सो कोर्ट

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत पर्ची के माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बाड़मेर में पूर्व में जो पोक्सो कोर्ट कार्य कर रही थी, बाड़मेर जिले में करीबन 120 प्रकरण हैं और जिसमें 90 बाड़मेर मुख्यालय के हैं और 30 बालोतरा के हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय है और मुख्यालय पर यह पोक्सो कोर्ट चल रही थी, उसको बदलकर बालोतरा मुख्यालय किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर बाड़मेर मुख्यालय पर कोर्ट होती है तो 17 थाने लगते हैं और बालोतरा के अन्दर सिर्फ 7 थाने और बाखासर और सुंदरा बालोतरा से 200-250 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पड़ती है जिससे पीड़ित का खर्चा ज्यादा होता है, यह भी जरूरी है कि उनको सस्ता न्याय मिले और जल्दी न्याय मिले।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय महेन्द्र जी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पोक्सो कोर्ट जिसके लिए वकील डेढ़ माह तक हड़ताल पर रहे और यह बहुत ही जरूरी है, बाड़मेर मुख्यालय जिला मुख्यालय है और इस कोर्ट को बाड़मेर रखें। इसमें नियम भी है कि 50 केस हो उस पर नई कोर्ट खुलनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर नई कोर्ट नहीं खुले तो भी दो सप्ताह का

(श्री मेवाराम जैन)

कैम्प बाड़मेर मुख्यालय पर करें ताकि जनता को, वहां के पीड़ित व्यक्तियों को इसका तुरन्त लाभ मिले।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि इसका मुझे जवाब दें। या तो नई कोर्ट खुलवा दें या फिर आप डाइरेक्शन दें कि दो सप्ताह के लिए बाड़मेर में कैम्प करें ताकि वहां के पीड़ित लोगों को सस्ता न्याय और जल्दी न्याय मिल सके।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर का न्यायालय, जिला दृष्टि से, जहां पर जिला जज और जिला सैशन जज बैठता है बालोतरा है और बालोतरा में यह कोर्ट लगती है। बाड़मेर के लिए जैसा आपने कहा कि, साहब, सौ से ज्यादा केस हैं तो नीति तो यही बनी हुई है कि सौ से ज्यादा केसेज जहां पर होंगे वहां पर कोर्ट खोल दी जाएगी। फिलहाल राजस्थान में 56 कोर्ट काम कर रही हैं।

यह मैं दिखवा लेता हूं कि कितने केसेज हैं लेकिन मुझे जो इन्फोर्मेशन मिली है उसके अनुसार बाड़मेर में सौ से नीचे पोक्सो केसेज हैं। अगर मान लीजिए इसके ऊपर केसेज होते हैं तो फिर उच्च न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ती है। उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही ...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): साहब, कैम्प तो खोल सकते हैं। बाड़मेर में कैम्प तो करा ही सकते हैं न?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कैम्प के लिए भी उच्च न्यायालय के पास ही जाना पड़ेगा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप निर्देश तो जारी कर सकते हैं न।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

किसानों को सर्दी में दिन में बिजली का वितरण

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत ही गम्भीर विषय रखना चाहता हूं। मेरे नदबई विधान सभा क्षेत्र के साथ-साथ पूरा भरतपुर जिला है, उसमें जो किसानों को रात को बिजली दी जा रही है उससे आपको अवगत कराना चाहता हूं।

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

किसानों को जो किसानों को रात को बिजली दी जा रही है उसके कारण कई किसानों की मौत हो चुकी है। क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में जब किसान अपने घर से खेत पर जाता है तो हमारे कई बुजुर्ग किसान हैं, मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र नदबई में कई लोगों की मौत हो चुकी है। यह बहुत गम्भीर विषय है। बिजली के तार भी रात को टूटे हैं जिस कारण एक किसान की अभी 15 दिन पहले भी मौत हुई। मैं मांग करना चाहता हूं कि जो रात वाला फीडर है उसकी पूरे क्षेत्र के किसानों को दिन में सप्लाई हो।

और भी कई इसी विषय से जुड़ी हुई समस्या हैं। जो वी.सी.आर. भरकर किसानों से दलालों के माध्यम से अवैध उगाई अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की जा रही है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। कर्मचारी वी.सी.आर. के नाम पर फोटो खींचकर उपभोक्ताओं से वसूली करते हैं, पैसे मांगते हैं और न देने पर गलत तरीके से वी.सी.आर. भरते हैं।

बिजली का जो रात को छह-छह घंटे का समय है फीडर का, मात्र तीन-चार घंटे बिजली दी जा रही है। फीडर में कहीं भी ब्रेकर नहीं हैं, अगर एक जगह फाल्ट हो जाता है तो पूरे क्षेत्र की सप्लाई बंद होती है जिससे पूरे क्षेत्र को परेशानी उठानी पड़ती है।

सिंगल फेज व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, नाम मात्र बिजली दी जा रही है। पेयजल के लिए हैण्ड पम्पों में पानी नहीं होने के कारण डीप बोर, घरेलू सबमर्सिबल हैं, बिजली नहीं आने से पानी की किल्लत है। यहां पर बिजली नहीं आ रही है तो वहां पानी के लिए भी लोगों को तरसना पड़ रहा है।

बिजली न आने के कारण बच्चों का भविष्य अंधेरे में है क्योंकि अभी दो माह बाद बोर्ड की परीक्षा है और जब बिजली नहीं आ रही है तो बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।

घरेलू कनेक्शन के लिए उपभोक्ता दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। लम्बे समय से उनके पैसे जमा होने के बावजूद उनको बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। वहां गलत तरीके से लट्ठा, नट-बोल्ट, मीटर, केबल के नाम पर वसूली की जा रही है। एग्रीकल्चर कनेक्शन पैंडिंग में पड़े हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट और चाहूंगा।

एग्रीकल्चर कनेक्शन पैंडिंग में पड़े हैं। किसानों को कनेक्शन नहीं मिलने के कारण यहां उनको परेशानी हो रही है। महीने में चार सप्ताह में से

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

तीन सप्ताह ठंड के मौसम में कम से कम दिन में बिजली दी जाए। ढाणियों का सर्वे करा कर कनेक्शन दिये जाएं। क्षेत्र में बिजली की अति आवश्यकता है। हमारे यहां पर बिजली बहुत कम समय दी जा रही है।

सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के जो मोबाइल नम्बर हैं वे अक्सर बंद रहते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इश्यु पर बोलें। हो गयी आपकी बात। माननीय मंत्री जी।

(13.00 बजे)

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): एक मिनट में मैं ओर कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपकी पर्ची किस पर है और आप जनरल बोल रहे हैं।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): मैं उसी विषय पर बोल रहा हूं। 2011 में कांग्रेस सरकार ने बीपीएल उपभोक्ताओं को बिजली के नि:शुल्क कनेक्शन दिए थे। जिसमें 5 उपभोक्ताओं पर एक ट्रांसफार्मर देने की योजना थी जो पूरी तरह से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका इश्यु यह नहीं है। प्लीज।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी कुछ बोलना है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में रबी सीजन के दौरान सिंचाई हेतु बिजली की आपूर्ति दिन में 2 ब्लाक और रात में 1 ब्लाक में की जा रही है जिससे कि विद्युत आपूर्ति में व्यवधान नहीं हो। हर 7 दिन बाद ब्लाक को रोटेशन के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार रात्रि वाले ब्लॉक को अगले 2 सप्ताह बाद दिन वाले ब्लाक में रखा जाता है। उत्पादन क्षमता के संतुलन को बनाए रखने के लिए वर्तमान में उक्त प्रकार से ब्लाकों के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जहां तक माननीय सदस्य ने वीसीआर गलत भरने वालों की जो बात कही है, उसमें यह जनरल बात कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक शिकायत मुझे करेंगे तो मैं उस पर कार्यवाही करुंगा। सिंगल फेज की बिजली सवेरे 7 से 11 और शाम को भी 7 से 11 दिए जाने के निर्देश हैं। इन्होंने ढाणियों में कनेक्शन की बात कही है, उसमें सौभाग्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

पहले बजट नहीं भेजा था। अब वह बजट भेजने की बात कर रहे हैं। जैसे ही बजट मिलेगा, हम आगामी 2 महीनों में कनेक्शंस कराने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): स्वयं ने घोषणा की है बीकानेर के अंदर कि हम दिन में लाइट देंगे।

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। ऐसे नहीं बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष जी, मंत्रीजी ने स्वयं घोषणा की है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठें आप। बैठें, माननीय सदस्य। नीचे बैठें, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। बैठें प्लीज।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज बैठें। प्लीज बैठिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। सीनियर सदस्य हैं। प्लीज बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, नहीं मैं ...

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब, आप बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए। आप उप नेता हैं। आप खुद एनकरेज कर रहे हैं, रिइंपोज कर रहे हैं बिहेवियर को। प्लीज बैठें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। प्रतिवेदन।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वित्त-लेखे

(खण्ड-I एवं II) एवं विनियोग लेखे वर्ष 2017-18

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

महालेखापरीक्षक के वित्त-लेखे (खण्ड-I एवं II) वर्ष 2017-18 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं। वित्त विभाग। माननीय वित्त मंत्रीजी।

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 43 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-पार्ट-II-95 दिनांक 9.9.2018 जिसके द्वारा पैट्रोल तथा डीजल की वैट दरों में कमी से संबंधित वैट शिड्यूल-VI में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.12(24)वित्त/कर/2018-109 दिनांक 10.9.2018 जिसके द्वारा मैसर्स नितिन स्पिनर्स लिमिटेड को विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की गयी है।

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-110 दिनांक 10.9.2018 जिसके द्वारा 1.50 करोड़ रुपये तक सकल पण्यावर्त वाले करदाताओं को त्रैमासिक फार्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने के लिये तिथि निर्धारित की गयी है।

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-111 दिनांक 10.9.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है।

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-112 दिनांक 13.9.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है।

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-113 दिनांक 13.9.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 (टीडीएस से संबंधित प्रावधान) को दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी किया गया है।

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-114 दिनांक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

13.9.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 52 (टीसीएस से संबंधित प्रावधान) को दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी किया गया है।

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014पार्ट-115 दिनांक 14.9.2018 जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में विशेष राहत योजना लागू की गयी है।

(9) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-II-116 दिनांक 20.9.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है।

(10) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-II-117 दिनांक 20.9.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रत्येक इलेक्ट्रोनिक कामर्स आपरेटर द्वारा संग्रहित टीसीएस की दर निर्धारित की गयी है।

(11) अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010पार्ट-118 दिनांक 25.9.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-73 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(12) अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-119 दिनांक 25.9.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(13) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-122 दिनांक 16.10.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है।

(14) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-123 दिनांक 16.10.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है।

(15) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-II-124 दिनांक 23.10.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-86 दिनांक 15.9.2017 के अधिक्रमण में तथा अनौपचारिक कराधीन व्यक्तियों, जिनको कि पंजीकरण करने से छूट प्रदान की जाएगी, की श्रेणी स्पष्ट की गयी है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(16) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-125 दिनांक 23.10.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-113 दिनांक 13.9.2018 में संशोधन किया गया है।

(17) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-126 दिनांक 26.10.2018 जिसके द्वारा दिनांक 30.9.2018 को या उससे पहले जिनका पंजीकरण रद्द किया जा चुका है, उस श्रेणी के व्यक्तियों के लिये फार्म जीएसटीआर-10 में अन्तिम रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि निर्धारित की गयी है।

(18) अधिसूचना संख्या:एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-127 दिनांक 30.10.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है।

(19) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-128 दिनांक 5.11.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-113 दिनांक 13.9.2018 में संशोधन किया गया है।

(20) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-129 दिनांक 15.11.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-127 दिनांक 30.10.2018 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी कर संशोधन किया गया है।

(21) अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-130 दिनांक 13.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-73 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(22) अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010पार्ट-131 दिनांक 13.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(23) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-132 दिनांक 13.12.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर (समस्याओं का समाधान) आदेश, 2018 विरचित किये गये हैं।

(24) अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-133 दिनांक 14.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कर/2013-21 दिनांक 31.5.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(25) अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-134 दिनांक 14.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-22 दिनांक 31.5.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(26) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-135 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-40 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(27) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-136 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-41 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(28) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-137 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत स्वर्ण आभूषणों के निर्यातकों को मनोनीत एजेंसियों द्वारा स्वर्ण की आपूर्ति के संबंध में सशर्त छूट प्रदान की गयी है।

(29) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-138 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(30) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-139 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(31) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-140 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-51 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(32) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-141 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(33) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-142 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-84 दिनांक 6.8.2018 में संशोधन किया गया है।

(34) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-143 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-110 दिनांक 10.9.2018 में संशोधन किया गया है।

(35) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-144 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-113 दिनांक 13.9.2018 में संशोधन किया गया है।

(36) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-145 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है।

(37) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-146 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-159 दिनांक 23.1.2018 में संशोधन किया गया है।

(38) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-147 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-128 के अन्तर्गत किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माह जुलाई, 2017 की फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहने पर देय विलम्ब शुल्क की राशि को माफ किया गया है।

(39) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-148 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-153 दिनांक 29.12.2017 में संशोधन किया गया है।

(40) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-149 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-16(4) के अन्तर्गत आगत कर के दावे से संबंधित आदेश जारी किये गये हैं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(41) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-150 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-44(1) के अन्तर्गत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने संबंधी आदेश जारी किये गये हैं।

(42) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-151 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-52(4) के अन्तर्गत संचालक द्वारा विवरण प्रस्तुत करने संबंधी आदेश जारी किये गये हैं।

(43) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-152 दिनांक 15.1.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-122 दिनांक 18.10.2017 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: वित्तीय कार्य। वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की अतिरेक मांगों का उपस्थापन। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

अतिरेक मांग

अतिरेक मांगों वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 का उपस्थापन

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की अतिरेक मांगों का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों को मुझे सूचित करना है कि 3 बजे प्रतिपक्ष के नेता अपना भाषण देंगे। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे। 5 बजे सदन की कार्यवाही समाप्त होगी। जो समय है उसमें सभी माननीय सदस्यों को मुझे सूचित करना है कि अधिकांश पार्टियों ने अपना समय ले लिया है। बीजेपी के 51 मिनट बचे हुए हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी के बचे हुए हैं। प्लीज बैठिए, माननीय सदस्य। फिर भी सदन में चर्चा करने के लिए हम जितने भी सदस्यों के नाम आये हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि 5 से 7 मिनट में अपनी बात समाप्त करें, जिससे हम 3 बजे प्रतिपक्ष के नेता का भाषण शुरू कर सकें। श्री रोहित बोहरा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फार्मेशन की कोई जानकारी देना चाह रहा था।

श्री अध्यक्ष: क्या जानकारी है?

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आचार संहिता लगी तब से उदयपुर के अंदर पीडब्ल्यूडी का पेमेंट नहीं हो रहा है, चाहे वह मिसिंग लिंक हों।

श्री अध्यक्ष: यह इन्फार्मेशन नहीं है। प्लीज बैठिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): कहीं पर पेमेंट नहीं हो रहा है। काम ठप्प पड़ा है।

श्री अध्यक्ष: बैठें प्लीज। प्लीज बैठें। इसका दूसरा तरीका है। प्लीज बैठें। श्री रोहित बोहरा।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं किसानों की बात आपके बीच में रखना चाहूंगा। जिस हिसाब से पिछली बार, पूर्ववर्ती सरकार ने

(श्री रोहित बौहरा)

कहा कि 8 हजार करोड़ का किसानों का ऋण माफ करेंगे। मुझे बड़ा खेद है कि उन्होंने बजट डाकूमेंट में सिर्फ 2 हजार करोड़ कर्ज माफी का कराया। बाकी पूर्ववर्ती सरकार ने हम सबको, पूरे राजस्थान की जनता को धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि 8 हजार करोड़ माफ करेंगे, सहकारिता बैंकों के लोनों को, उनमें सिर्फ 2 हजार करोड़ रुपया माफ किया। इसी तरह से उनके बजट डाकूमेंट में लिखा हुआ है, बजट डाकूमेंट देखें तो उसमें सिर्फ 2 हजार करोड़ माफ किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं। प्लीज।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): इसी वजह से आप लोग वहां पहुंचे हैं। आप चिंता न करें। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं आपका ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूं कि जब पिछली कांग्रेस सरकार गयी थी तो हमारा रेवेन्यू सरप्लस 3 सालों में 2010-11 में 1054 करोड़, 2011-12 में 3357 करोड़, 2012-13 में 3451 करोड़ रुपये था। जैसे ही यह बीजेपी सरकार आई, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हर साल दुगना बढ़ता गया। पहले साल में 3215 करोड़ रुपये, 2015-16 में 5954 करोड़ रुपये, 2016-17 में जब इन्होंने उदय का लोन लिया तो वह उठकर हो गया 9114 करोड़ रुपये। 2017-18 में उदय के साथ यह लोन, रेवेन्यू डेफिसिट 20 हजार करोड़ रुपया हो गया। 2018-19 में बजट एस्टीमेट के मुताबिक यह लोन 17454 करोड़ हुआ विदाउट उदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षण दूसरी तरफ ओर करना चाह रहा हूं कि इन्होंने बजट के अंदर, जो मुख्य मंत्री महोदय बोलती थीं कि राजस्थान बीमारू हो गया। इन्होंने तो राजस्थान को आईसीयू में भर्ती करा दिया। आईसीयू में भर्ती कराने के बाद भी उसको वेंटीलेटर पर छोड़कर गए हैं। इन्होंने इतना बुरा हाल किया है कि जो टोटल डेफिसिट था राजस्थान का, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार छोड़कर गयी थी, वह करीब 1 लाख 29 हजार करोड़ था। इस नई सरकार के जो बजट एस्टीमेट्स हैं 2018-19 के वह 3 लाख 8 हजार 34 करोड़ रुपये हैं। इसका मतलब इन्होंने 5 साल के अंदर 1 लाख 78 हजार 124 करोड़ रुपया लेकर हमें ऐसी पोजिशन पर डाल दिया है कि Now we are in a debt trap; without taking a loan, we will not be able to survive. हमारे बजट एस्टीमेट्स के अकोर्डिंग यह चल रहा है आपके सामने।

अध्यक्ष महोदय, आपको पता है, आज 30 साल पुराना मैं आपको

(श्री रोहित बौहरा)

ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगा कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, हर 5 साल में पुराने हिन्दुस्तान का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5 साल में डबल होता गया है। 94 में 5 साल में ही यह 122 परसेंट बढ़ा। 94-99 में 133 परसेंट बढ़ा। 1999-2000 में 134 परसेंट बढ़ा। 2000-2009 में यह 204 परसेंट बढ़ा। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 2014-2019 में यह टैक्स कलेक्शन सिर्फ 82 परसेंट बढ़ा। जबकि हमारे भारत के फाइनैन्स मिनिस्टर कहते हैं कि There is a robust growth in the revenue. मुझे यह आप लोगों को बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा 82 परसेंट ही रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। इससे हमारे राजस्थान में यह असर पड़ेगा जो हमें डिवोल्वमेंट मिलेगा, जो

(13.09 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

हमें सेन्ट्रल से डिवोल्व होगा वह पैसा हमारे को हर साल कम होता जाएगा। इस सरकार के ऊपर एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी कैग की नई रिपोर्ट आई है 2016-17 में भारत सरकार ने 4 लाख करोड़ का आफ लाइन बजट कर दिया है। न तो वह कहीं बजट डाकूमेंट में कहीं 4 लाख करोड़ मेंशन है और न ही संसद में पता है कि यह 4 लाख करोड़ रुपया कहां गया और कहां से आया। इन लोगों ने अपनी जितनी पब्लिक सैक्टर कंपनीज थी, उन कंपनियों पर लोन ले लिया और लोन लेकर वह बजट एस्टीमेट में नहीं दिखाया गया तो अल्टीमेटली राजस्थान जैसी जगह पर जो कि बहुत छोटी जगह है, छोटी स्टेट है वहां पर भी इतना कर्ज लेने से हमारा डिवोल्वमेंट कम हो गया।

एक चीज मैं कहना चाहूंगा किसानों के ऊपर, पिछली सरकार ने किसानों के बिजली के कनेक्शन के लिए छह महीने पहले उनसे पैसे जमा करवा लिए थे, छह महीने से डिमांड नोटिस चले आ रहे थे, दिसम्बर में जाकर जो पहला फेज है उसमें कनेक्शन दिए गए, इससे पहले छह महीने तक पूरा पैसा यूज करते रहे और इस पैसे का इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इतना लेट कर दिया कि किसान दर-दर ठोकरें खाते फिरते रहे। एक चीज जो पिछले सरकारी डाकूमेंट के अंदर है बजट के, आज यदि राजस्थान 100 रुपये कमाता है तो 88 रुपये सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट में चले जाते हैं, सिर्फ 12 प्रतिशत पर हम नए कैपिटल असैट बना पाते हैं। क्या इस तरह से सरकार चल पाएगी राजस्थान की, यह हमें सोचना पड़ेगा।

(श्री रोहित बौहरा)

माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे मुख्य मंत्री महोदय और उप मुख्य मंत्री महोदय, दोनों से दरख्वास्त करूंगा कि यह जो स्थिति आज आईसीयू वाली इस सरकार के लिए पिछली बीजेपी की सरकार ने छोड़ी है, उस आईसीयू में से इन दोनों को मिलकर, मेहनत करके निकालना पड़ेगा। यह और बताना चाहूंगा कि 14वें वित्त आयोग ने जिसमें हमारे Fiscal Responsibility and Budget Management, i.e. FRBM में यह उल्लेख है कि कोई भी राज्य सरकार तीन प्रतिशत से ऊपर एफआरबीएम का उल्लंघन नहीं कर सकती है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा तीसरा राज्य है जो चार प्रतिशत एफआरबीएम आलरेडी क्रोस कर चुका है और एफआरबीएम के अकोर्डिंग 2026 तक हम तीन प्रतिशत पर नहीं आ पाएंगे, यह भी बड़ा चिंता का विषय है जो इस नई सरकार को अपने बजट मैनेजमेंट में करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि Rajasthan is one of the most poor State on capital expenditure as compared to other States in India...हमारे यहां कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 12 प्रतिशत हो रहा है और स्टेट में यह Percentage of capital expenditure is huge as compared to any other States.

माननीय सभापति महोदय, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा खाद्य सुरक्षा पर। मैं चाहूंगा कि यह जो नियम है 69 प्रतिशत क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता 69 प्रतिशत से भी हम खाद्य सुरक्षा सबको नहीं दे पा रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह करीब-करीब हमारे जो मंत्री भी बोल रहे हैं कि इसको शत प्रतिशत कर दिया जाए जिससे कम से कम हमारे हर आदमी के पास खाद्य सुरक्षा का पैसा दे दिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ पांच मिनट का समय दिया है तो मैं उससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने दिया। जय हिन्द। राम-राम साहब।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं आज क्योंकि यह पहला सत्र है और हमारी 15वीं विधान सभा में हमारे सारे माननीय सदस्य नए और पुराने

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जो फिर से चुनकर आए हैं उनको अपनी ओर से बहुत शुभकामना देती हूं, बधाई देती हूं। जनता ने हम सबको चुनकर यहां भेजा है और जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं हमसे हैं, हम जनता की आवाज बनकर इस विधान सभा में सही बात को उठाएं और उन बातों को उठाएं उनमें अपेक्षा रखते हैं कि सरकार उसके अंदर अपनी ओर से बराबर जवाब भी दे और जहां कहीं भी ठीक करना है उसको ठीक भी करे लेकिन इस प्रकार का ऐसा कोई ईगो न बनाएं कि हमने कहा है और जो उन्होंने कहा है वही सही है। कुछ चीजें मैं आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहूंगी कि जो अभिभाषण है उसको मैंने बहुत गहनता से पढ़ा है और जो आंकड़े इसमें दिए गए हैं उसमें यह लग रहा है कि यह जो अभिभाषण है वह एक तरह से इन आंकड़ों का मैंने देखा है कि बहुत तरीके से तोड़ मरोड़ किया है, खिलवाड़ किया है। यह प्रूव करने की कोशिश की है कि कांग्रेस की जो सरकार है, पूर्व में जो थी उसने बहुत अच्छा किया, बीच में जो भाजपा की सरकार आई उसने बहुत खराब किया और वापस से हमारी जो सरकार आई वह बहुत अच्छा करेगी। इस प्रकार का यह डाकूमेंट इन्होंने दिया है। अभिभाषण के रूप में जो बात इन्होंने कही है उसका मैं बिन्दुवार सदन के सामने आपके माध्यम से रखना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 6 पर जो आंकड़े दिए हैं, हमारी जीडीपी के उसमें इन्होंने कहा है कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में स्थिर मूल्यों पर वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.16 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि में मात्र 7.19 प्रतिशत रह गयी। यानी यह बताना चाहते हैं कि इनके समय में बहुत अच्छी थी जीडीपी और अभी घट गयी। लेकिन हमारी आर्थिक समीक्षा 2012-13 और 2013-14 और उसके बाद आर्थिक समीक्षा 2017-18, इन तीनों में जो आंकड़े हैं, वह मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहती हूं। वर्ष 2009-10 के अंदर वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर थी 4.13, वर्ष 2010-11 में थी 9.69, वर्ष 2011-12 में थी 6.11, वर्ष 2012-13 में थी 5.31 और वर्ष 2013-14 में थी 6.97, यानी इन्होंने जो कम्पेरिजन किया है वह 4 साल बीजेपी गवर्नमेंट और 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट, 5 साल का पूरा इसमें एड करते हैं 32.38 एवरेज जो निकलकर आ रहा है वह 6.47, यहां वर्ष 2009-10 से 2013-14 का इसमें इन्होंने दिया है 8.16 प्रतिशत जो बिलकुल गलत है, 8.16 प्रतिशत नहीं है यह मात्र 6.47 प्रतिशत है। जिसको कि यहां पर वैरीफाई करें, इसको सुधार करें, अधिकारियों ने क्या लिखकर दिया है क्योंकि जब सरकार आती है तो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अधिकारियों को लगता है कि हम हमारी सी आर बहुत अच्छी करें, इसलिए हम इस प्रकार से लिखें कि आपके पिछले कार्यकाल में कुछ अच्छा काम हुआ था और अभी जो जीडीपी है वह बहुत घट गयी है। ऐसा नहीं है यह सारे आंकड़े हैं और यही से उठाए गए हैं। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि जिस किसी ने भी इस अभिभाषण को लिखा है, जिस किसी ने भी इस अभिभाषण के पीछे जो उनकी मंशा रही है, वह मंशा, सही बात को बताने की नहीं बल्कि केवल और केवल लीपापोती करना और इसके अंदर यह सुधार करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, यह मात्र इन्होंने 6.47 को 8.16 प्रतिशत बताया है और वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 की अवधि में जो इन्होंने बताया है 7.29 प्रतिशत। आई एग्री, वह फोर ईयर्स का ही है, फाइव ईयर्स का नहीं है। अगर फाइव ईयर्स का क्योंकि आंकड़े हमारे पास वर्ष 2017-18 के बाद वर्ष 2018-19 भी रहा था वह अभी वर्ष 2018-19 का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। ये चार साल के आंकड़े इन्होंने 7.19 और फाइव ईयर के दिए वर्ष 2009 से 2014-15 तक के वह आंकड़े 6.47 में आ रहे हैं और यहां पर इन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर 8.16 प्रतिशत किया, जो कि बिलकुल गलत है और इस प्रकार के गलत आंकड़े अभिभाषण में माननीय राज्यपालजी से बुलवाना इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है, जो यहां पर सदन में देखने को मिला कि पहला ही अभिभाषण और उस अभिभाषण में गलत आंकड़े देकर सदन को गुमराह करने की कोशिश की गयी।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा कृषि क्षेत्र में, मैं पढ़कर बताना चाहती हूं कि वर्ष 2008-09 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.19 प्रतिशत थी जो बढ़कर वर्ष 2013-14 के अंत में 8.94 प्रतिशत हो गयी। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान कृषि क्षेत्र में अपनाई गयी गलत नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में घटकर 3.95 प्रतिशत। यह क्या शो करना चाह रहे हैं माननीय सभापति महोदय, इनके समय में कृषि की वृद्धि हुई और हमारे समय में कृषि का डाउनफाल हुआ। आंकड़े यहां पर बताते हैं उन आंकड़ों के माध्यम से मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि कुल खाद्यान्न उत्पादन जो अपना था वह अगर हम देखें तो निरंतर बढ़ता रहा है, निरंतर बढ़ता रहा है, इसमें कोई कांग्रेस गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट का सवाल नहीं। बराबर से इसका ग्राफ बढ़ा है। खाद्यान्न उत्पादन फिर अगर ईयर वाइज कहेंगे तो इन्होंने वर्ष 2013-14 के अंदर 8.94 प्रतिशत बताया

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

और फिर कहा कि वर्ष 2017-18 में घटकर 3.95 प्रतिशत हुआ, यह बिलकुल गलत है क्योंकि वर्ष 2013-14 के अंदर जो 207.19 लाख मैट्रिक टन था, बढ़कर वर्ष 2016-17 में 231.04 लाख मैट्रिक टन हुआ। यह बराबर बढ़ा है। वर्ष 2017-18 का जो प्रोविजनल 255.78 है वह आ गया है। मैं यह कहती हूं कि कृषि के क्षेत्र के अंदर कहां घटा है, बढ़ा ही बढ़ा है लेकिन इस प्रकार के गलत आंकड़े देकर सदन को गुमराह करने का काम किया जाता है।

इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती कि इस प्रकार के आंकड़े देना, जो कि सरासर गलत है। अगर हम लोग इसमें देखें कि हमारा कृषि सकल सिंचित क्षेत्र, अब सिंचित क्षेत्र निरन्तर बढ़ा है। आपके समय और हमारे समय की बात करें तो 2013-14 में 98.64 लाख हैक्टेयर लैण्ड के ऊपर कृषि सिंचित होती थी और आज 2015-16, जहां तक के आंकड़े उपलब्ध हैं उसमें 105.62 लाख हैक्टेयर के ऊपर कल्टिवेशन हो रहा है। अब यह 7 लाख हैक्टेयर तो मात्र दो साल के अन्दर ही बढ़ा है और अब अगर आगे के आप आंकड़े लेंगे, 2017-18 व 2018-19 तक जाएंगे तो यह लगभग 2 लाख हैक्टेयर लैण्ड के ऊपर कल्टिवेशन हुआ है। तो ये क्या आंकड़े हैं, इसके लिए, सभापति महोदय, मैं आपसे निश्चित रूप से यह चाहूंगी क्योंकि आप जिस चेयर पर बैठे हैं वह न्याय की चेयर है और यहां आपके दोनों तरफ लिखा हुआ है कि 'सभा में या तो प्रवेश न किया जाए और यदि प्रवेश किया जाए तो यहां स्पष्ट और सच बात कही जाए।' क्योंकि यहां पर सच और स्पष्ट बात कहते हैं तो निश्चित रूप से आपको देखना है, करक्शन करवाना है क्योंकि यह मैटर कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। इस प्रकार के गलत आंकड़े देकर सदन को गुमराह करना और इसमें दर्ज होना इसको आने वाले समय में कोई भी माफ नहीं करेगा। अगर गलत आंकड़े देकर आप सोचो कि हमने बहुत बड़ा काम किया या आपके अधिकारी यह सोचेंगे कि हमने इस प्रकार के आंकड़े दिए जिससे कि हमारी सरकार के मिनिस्टर हमें बहुत अच्छी जगह पोस्टिंग दे देंगे और हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन यह साफ दिख रहा है आपकी जो आर्थिक समीक्षा वर्ष 2012-13, 2013-14 से लेकर 2017-18 तक की बुक छपी है उसके अन्दर से ये सारे आंकड़े वैरिफाई किए हैं। यदि आप कहें तो मैं इसे सदन के पटल पर भी रखने के लिए तैयार हूं। आप इसको अच्छी तरीके से वैरिफाई कराइए और जो बात मैंने कही है वह 101 परसेंट इसमें से निकालकर कही गयी है। आपकी इस बुक के अन्दर कही गयी है, पर मुझे नहीं पता कि ये कहां से आंकड़े उठाए गए हैं। उन्होंने जहां से भी आंकड़े उठाए

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हैं, या तो इसको वैरिफाई करें कि ये आंकड़े हमने इस जगह से उठाए हैं। टोटल ही फाल्स के ऊपर फाल्स और जो गलत चीजें हैं वह आप लोग यहां पर कहते गये।

न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी सदन पटल के ऊपर रखना चाहती हूं। पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार ने किसानों के हितों के लिए बहुत सारे अच्छे कदम उठाए। जो गेहूं मार्केट के अन्दर 1300 रुपये क्विंटल मिल रहा था, उसी गेहूं की भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने 1700, 1750 और 1800 रुपये तक में खरीद की। जो समय आपका 2008 से 2013 तक का था उसमें मार्केट के अन्दर हम लोगों को गेहूं 1300 रुपये में मिलता था और आप लोग 800 और 900 रुपये में खरीदते थे यानी यह स्थिति थी कांग्रेस की गवर्नमेंट में। खाद मिलता नहीं था, ब्लैक मार्केटिंग होती थी। बीजेपी की गवर्नमेंट जब आई तब से खाद हम लोगों को आराम से मिल रहा था और किसी प्रकार की कोई लाइन नहीं लगी। अब आपकी गवर्नमेंट को आए हुए एक महीना हुआ है और इस एक महीने के अन्दर वापस से खाद के ऊपर वही ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गयी।

श्री सभापति: दो-तीन मिनट में अब आप समाप्त करें अपनी बात।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): समाप्त नहीं करेंगे, आपने कहा कि हमारी पार्टी के लिए जो समय है उसी समय में मैं बोल रही हूं।

श्री सभापति: मैं उसी समय के अनुरूप बात कर रहा हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): तो उसी समय में बोलेंगे। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि हम सदन के अन्दर जो कुछ बात कहें वह सही बात कहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, 51 मिनट हैं हमारे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हम जो बात सदन में रख रहे हैं फैक्ट्स के साथ रख रहे हैं, फैक्ट्स के साथ में बात रखी गई है और टू-द-पाइंट रख रही हूं। मैं कोई बाहर की बात नहीं कह रही हूं और जो यहां पर आपके फीगर्स उपलब्ध हैं उन्हीं फीगर्स को मैं कोट कर रही हूं।

आपने सदन के सामने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अब किसानों का कर्जा माफ करेंगे और आपने ऐसे कई लुभावने सपने जनता जनार्दन को केवल और केवल सरकार में आने के लिए दिए। ऐसे कई सारे आपने दिए। आपने कहा कि हम युवाओं को 3500 रुपये भत्ता देंगे। आपने

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कहा कि हम किसानों का कर्जा दस दिन के अन्दर माफ कर देंगे, आपने कहा कि हम लोग एक रुपये किलो के गेहूं तुरन्त अभी दे देंगे, जब कर्मचारियों की स्ट्राइक चल रही थी, रोडवेज की स्ट्राइक थी, हमारे चिकित्साकर्मियों की थी, सचिवालय के कर्मियों की थी तो आपने उन सब लोगों को कहा कि हमें सरकार में तो आने दो, 15 दिन के अन्दर आपकी सारी प्राब्लम्स को साल्व कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। संविदाकर्मियों को आपने कहा कि हम आपको तुरन्त पक्की नौकरी दे देंगे। जिसको कहते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वह सपने आपने इस जनता को दिखाये। आज जनता अपने आपको ठगी हुई सी महसूस कर रही है। जनता को लग रहा है कि किसान का कर्जा कब माफ होगा, 35 दिन से ज्यादा दिन हो गये और अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ, संविदाकर्मियों को कहा कि परमानेंट करेंगे लेकिन अभी तक उसका कोई हिसाब-किताब नहीं। किसान की कोई मीटिंग नहीं हुई अभी तक और फिर आप कहेंगे कि पहले महीने को आपने मंत्रिमण्डल की मीटिंग रखी.....

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): आप आए थे तब दो महीने तक चर्चा ही नहीं की थी, हमने तो काम शुरू कर दिया। बार-बार क्यों बात उठा रहे हो आप?

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे नियमों में, परम्पराओं में यह है कि माननीय मंत्री महोदय अपनी सीट पर जाकर बोलें। यह कोई पार्क नहीं है जो मर्जी आए जहां जब चाहे खड़े होकर कोई बोलने लग जाएगा। यह पब्लिक पार्क नहीं है, सैण्ट्रल पार्क भी नहीं है। मंत्रीजी को प्रताड़ित करिए और इनको बाहर जाने का हुक्म दीजिए आप।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, जो हमारे उप नेता जी ने कहा उसी बात को आगे बढ़ाकर मैं कहना चाहूंगी कि हमेशा से इनकी नीति रही है कि ये लोग कभी भी संवैधानिक तरीके से तो काम करते नहीं और जितना भी उल्टा-सीधा कर सकें, कहने की कोशिश करते हैं, कहते क्या हैं और करते क्या हैं। क्योंकि इन्होंने अपने नियम-कानून जो बनाने की बात कही और किस प्रकार से द्वेषतापूर्वक काम कर रहे हैं उसको आप सुनो।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सदस्य, सरकार जो कहती है वही करती है और यह जो आरोप लगा रहे हैं वह उस सरकार का कार्यकाल गिना रही हैं। इस सरकार में तो जो कहते हैं, करके बताते हैं।

श्री सभापति: आप उन्हें बोलने दें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और यहां पर बैठे हुए मंत्री महोदय, जो कहते हैं वह करते हैं तो एक-एक करके जवाब दे देना और जब रिप्लाई आएगा तब रिप्लाई में दे दीजिएगा, बीच-बीच में टोकने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अभी चार बजे दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उनके पास कोई तारीख ही नहीं तो बताएंगे क्या क्योंकि माननीय सभापति महोदय, केवल उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को छला है और यह कहा है कि आपका कर्जा माफ करेंगे, कमेटी बना दी है, किसान क्या जानें। उस कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही है, अभी तक तिथि दे नहीं सके हैं और फिर कहेंगे कि मार्च में तो आचार संहित लग गयी, अब तो आचार संहिता के बाद में हम लोग करेंगे। ये सिर्फ आचार संहिता वेट कर रहे हैं कि लोक सभा चुनाव की आचार संहिता लग जाए इसलिए लिंगर-आन कर सकते हैं, लिंगर-आन कर रहे हैं और यही एक काम है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, यह क्या हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान) विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, हाउस को सम्भालो। आपके मिनिस्टर इस तरीके से बार-बार खड़े होकर बीच-बीच में

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

बोल रहे हैं। आपके मिनिस्टर इस तरीके से बीच-बीच में टोक रहे हैं लेकिन सुनने की उनमें क्षमता होनी चाहिए।

श्री सभापति: आप बोलिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जो सही है वह बता रहे हैं उसको सुनिए आप और कैसे क्या-क्या आपने कृत्य किए हैं एक महीने में वह देखिए। अब इस सरकार में एक कीर्तिमान ऐसा स्थापित हुआ है महीने भर में, जहां हमेशा देखते हैं कि कोई भी अध्यादेश अगर निकलता है तो पहले कैबिनेट की मीटिंग होती है, मीटिंग के अन्दर प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव पारित होता है और उसके बाद अध्यादेश निकलता है। अब इन्होंने सबसे पहले एक अध्यादेश निकाला है कि डेयरी फैडरेशन के अध्यक्ष जो हमारे सदस्य भीलवाड़ा जिले से आते हैं और माण्डल विधान सभा क्षेत्र से, रामलाल जी जाट, मैं नाम भी कहना चाहूंगी क्योंकि वह इस सदन के सदस्य भी हैं। अब उनके लिए इन्होंने एक अध्यादेश निकाला क्योंकि वे डेयरी के अध्यक्ष थे। को-आपरेटिव एक्ट के अन्दर संशोधन किया गया और उस एक्ट में यह संशोधन किया गया कि जो भी डेयरी का अध्यक्ष अगर कहीं निर्वाचित होता है आइदर एमएलए और एमपी इलैक्ट होता है तो 14 दिन के अन्दर उससे इस्तीफा देगा। उससे इस्तीफा दे देना चाहिए था, लोकतंत्र का सम्मान रखना चाहिए था लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा तो इन्होंने शुरू में ही खतम कर दी और 1975 से ही हम देख रहे हैं कि किस प्रकार इन्होंने इमरजेंसी लागू की थी इस देश के ऊपर इसलिए इनके लिए तो लोकतंत्र की हत्या ही हमेशा है.... (व्यवधान)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): उस समय घोषित इमरजेन्सी थी और अभी जो सरकार चल रही है, अघोषित इमरजेन्सी लगी हुई है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं आपको एड्रैस करके बोल रही हूं। मैं चेयर को एड्रैस कर रही हूं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, मैं फिर आपसे आग्रह करना चाहूंगा, समय की अपनी सीमा है। तीन बजे नेता प्रतिपक्ष को बोलना है। माननीय सीएम साहब का रिप्लाई होगा। 5 बजे सदन एडजोर्न होगा। यह क्या तरीका है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आधा टाइम तो ये ही...

श्री सभापति: आप विराजिए। विराजिए। आवश्यक नहीं है आपका बोलना, सबको रोक रहे हैं। मेरा पुन: आप सबसे आग्रह है मेहरबानी रखें...

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): नहीं, उधर तो कुछ कह ही नहीं रहे हो।

श्री सभापति: विराजिए आप, विराजिए आप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति जी, आप तो खाली हमको ही रोक रहे हो, कहीं उधर भी रोको, थोड़ी मेहरबानी हम पर भी करो।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सत्ता पक्ष पर इतनी मेहरबानी मत करो, सभापति जी। आप तो केवल उनको मना ही नहीं करते। हमको ही कह रहे हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ।

श्री सभापति: बैठे-बैठे बोल रहे हैं आप। पहली बार आए हैं, कुछ सीखिए। अवसर दिया है जनता ने आपको। विराजिए आप। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं समय की सीमा है। 3 बजे नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। आवश्यक रूप से कोई नहीं बोल पाएगा तो नहीं बोल पाएगा। श्रीमती किरण माहेश्वरी। प्लीज।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, आप जितना समय यह बीच-बीच में गया है उसको कट-आफ कर देना, क्योंकि आपके...

श्री सभापति: आप उकसाने वाली बात न करके अपने अभिभाषण पर रहिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ये होशियारी वर्ड इसमें होता नहीं है।

श्री सभापति: आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ठीक है, साहब। आपने जैसा कहा मैं बताना चाहती हूं कि को-आपरेटिव एक्ट के अन्दर विदिन ए मंथ ऐसा संशोधन किया, क्योंकि उन्हें अपने विधायक को बचाना था दो जगह, विधायक

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

भी रखना था और डेयरी का अध्यक्ष भी रखना था तो डेयरी का अध्यक्ष रखने के लिए नियम के अन्दर संशोधन किया गया। अध्यादेश नया लाया गया और उस अध्यादेश के अन्दर यह कहा गया कि इसकी आवश्यकता नहीं अध्यादेश को संशोधन करने की। सिर्फ एक सदस्य के लिए अब हम यह पूछ रहे हैं कि ऐसे अध्यादेश आप और भी ले आते।

हमारे सदन के अन्दर दो मैम्बर्स और भी चुनकर आए हैं, घाटोल से भी हमारे एक एमएलए चुनकर आए हैं, जो प्रधान थे घाटोल के। जयपुर के मेयर भी हमारे चुनकर आए, जो सांगानेर से माननीय सदस्य चुने गए हैं। दोनों ही, मेयर थे, वे प्रधान थे। आप पंचायती राज के अन्दर संशोधन ले आते। आप स्थानीय निकाय के अधिनियम में संशोधन ले आते। आपको ये संशोधन लाना था तो आप तीनों में ले आते। को-आपरेटिव एक्ट में लाते, पंचायती राज के एक्ट में लाते, स्थानीय निकाय के एक्ट में लाते लेकिन चूंकि केवल रामलाल जाट कांग्रेस से जीतकर आए इसलिए को-आपरेटिव एक्ट में तो संशोधन लाएंगे। दो सदस्य बीजेपी के जीतकर आए हैं, इसलिए उनके लिए संशोधन नहीं लेकर आएंगे।

श्री सभापति: 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अब ये किस प्रकार का काम किया जा रहा है। आप देखिए सभापति जी, हम फैक्ट कह रहे हैं और जो सही बात है, उस सही बात को सुनना ही होगा। क्योंकि, मुझे समय मिला है, मेरी पार्टी ने मुझे समय दिया है। अभिभाषण में पाइंट नम्बर 35-इसमें लिखा है प्रदेश में सिंचाई के लिए सीमित जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बेहतर जल प्रबंधन से संबंधित नवाचार कर सिंचाई तंत्र का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश की सभी नहरों एवं विस्तारिकाओं के जाल को सुदृढ़ करने के साथ ही ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति को विकसित किया जाएगा।

मैं आपके माध्यम से सदन के अन्दर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि एक तरफ आप अभिभाषण में कह रहे हैं कि हम नहरों को अच्छा करेंगे। उसको रिपेयर करेंगे, उसे सुदृढ़ बनाएंगे। लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद एक लैटर निकला है 19.12.2018 को और 19.12.2018 को राजसमन्द के अन्दर जो बाईं और दाईं मुख्य नहर है हमारे लैफ्ट कैनाल और राइट कैनाल राजसमन्द की ये दोनों कैनाल्स जिनके ऊपर रिपेयर का काम, यानी ये कैनाल्स बने 50 से 55 साल हुए एक कट्टा सीमेन्ट का उसकी रिपेयर के लिए नहीं लगा।

श्री सभापति: समाप्त करें। 25 मिनट बोल लिए आप। अब समाप्त करिए। आपके माननीय सदस्य और भी हैं बोलने वाले।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कहने का पूरा हक रखती हूं यहां पर। समाप्त करेंगे आप बीच में, आप जितना बीच में बोलेंगे, उतना ही देर लगेगी। नहर की रिपेयर का वर्क, पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें 28 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। मैं पूर्व की हमारी मुख्य मंत्रीजी श्रीमती वसुन्धरा राजे जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इसमें इतनी संवेदनशीलता रखी कि जिन नहरों को बने 55 साल हुए लेकिन एक कट्टा सीमेन्ट नहीं लगा था, उन नहरों की रिपेयर के लिए 28 करोड़ रुपया सैंक्शन किया कि इन नहरों की रिपेयर होनी चाहिए। किसान को टेल एण्ड तक पानी मिलना चाहिए और उन नहरों के रिपेयर के काम को सैंक्शन। आपकी गवर्नमेंट आकर 19.12.2018 को आपने इस आदेश का कैंसिल किया जिसका टेण्डर हो गया था। जिसका वर्क ऑर्डर सिर्फ आचार संहिता की वजह से नहीं हो पाया था। टैण्डर हुए काम को भी आपने कैंसिल किया। इसका एक नमूना है, जो मैं आपके सामने यहां पर रखना चाहती हूं। कांग्रेस गवर्नमेंट जो आई है, किस प्रकार द्वेषतापूर्वक काम कर रही है। इसका दूसरा नमूना सुनिए। जन घोषणा पत्र जो कांग्रेस का है, ये आप सब देख लें। जन घोषणा पत्र जिसको अब आपने अपना सरकारी दस्तावेज बना दिया है, इस जन घोषणा पत्र के अन्दर लिखा है, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में स्वायत्ता प्रदान करेंगे एवं भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया जाएगा। ये इसमें लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूं। ये आपके कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): स्थितियां क्या हैं। स्थिति यह है 18 जनवरी, 2019 को आपने कहा भयमुक्त वातावरण देंगे और आपने कैसे भय व्याप्त किया है लैक्चरर्स के अन्दर, वह सुनिए। 18 जनवरी, 2019 को आप एक आदेश निकालते हैं, 12 लैक्चरर्स का ट्रांसफर होता है और कैसे होता है...

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें अब आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): किसी को साढ़े छह सौ किलोमीटर, किसी को छह सौ किलोमीटर, इस प्रकार उनका आदेश निकलता है और यह कहा जाता है कि इसको तुरन्त जोइन करना है। विदिन टू आवर्स

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आपको जोइन करना है। जो जयपुर में बैठा है, वह 2 घंटे में बीकानेर कैसे पहुंचेगा। जो जयपुर में बैठा है वह 2 घंटे में भरतपुर कैसे पहुंचेगा? अब आपका यह आदेश है, फोरनून के अन्दर ही आपको जोइन करना है, आपको कार्य मुक्त किया जाता है, एण्ड जोइन इन फोरनून। कभी भी ऐसा आदेश नहीं निकला। एक तरफ आपका घोषणा पत्र कहता है भयमुक्त वातावरण बनाएंगे विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में और यह भययुक्त वातावरण बनाया जा रहा है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में। इसको आप जरा समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार जो कहते हैं, करते नहीं हैं। जो बात आप लोगों ने जनता को कही, केवल जनता को गुमराह करने के लिए कही। अब मैं आपके सामने वह बात भी कहना चाहूंगी जो अभी हम सुन रहे हैं..

श्री सभापति: आप समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप सुनें। महिला आरक्षण देने वाले हैं। महिलाओं को आरक्षण देंगे, हम बहुत स्वागत करेंगे लेकिन स्वागत कब करते? हमें जब वास्तव में दिखता कि आप महिलाओं को सम्मान करते हैं। वास्तव में हमको दिखता कि आप महिलाओं के बारे में सही सोच रखते हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य अब समाप्त करें, आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट में महिला के नाम पर एक केवल सोनिया गांधी और दूसरी अगर आती हैं तो प्रियंका गांधी, उसके अलावा कोई महिला....

श्री रामनिवास गावडिया (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रही हैं कि किस तरह से इन्होंने भयमुक्त...

श्री सभापति: समाप्त करिए, अब आप। विराजिए, विराजिए।

श्री रामनिवास गावडिया (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात रखना चाहूंगा। इन्होंने कहा है विश्वविद्यालय में भय, इन्होंने जो अपनी मानसिकता थी, उसको थोपने का काम किया और पूरे राजस्थान में जो दो बड़े विश्वविद्यालय थे, इनकी सरकार ने बन्द किये...

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामनिवास गावडिया (परबतसर): तब ये, आज छात्रों की हितैषी, विश्वविद्यालयों की हितैषी हैं..(व्यवधान) तब कहां गये थे ये लोग? (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय जी, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, यह देखना आपका काम है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे आप।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं और महिलाओं को बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): सभापति महोदय, इन्होंने नाम लिया, जो हाउस की मैम्बर नहीं हैं। सोनिया जी का नाम लिया, जो हाउस की मैम्बर नहीं हैं। उसको तो एक्पंज कराइए।

श्री सभापति: सब हो जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): सोनिया जी का नाम लिया है, जबकि वे हाउस की मैम्बर नहीं हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, इनको तो बोलने दिया जा रहा है बीच-बीच में। इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): ऐसे अनर्गल बोल रहे हो, ललित मोदी का लेंगे तो ठीक लगेगा क्या।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): करा लो न एक्सपंज।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय मंत्री महोदय, महिला का सम्मान करना सीखो थोड़ा बहुत।

श्री सभापति: समाप्त करिए अब आप। एक मिनट में समाप्त करिए आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): देखिए, मैं बात कर रही हूं माननीय सभापति जी, सदन में मैं अभिभाषण पर चर्चा के अन्दर भाग ले रही हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसमें भाग ले रही हूं। अब मैं सदन में आपके माध्यम से रखना चाहती हूं जब हम यह सुनते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात तो हमें बहुत खुशी होती है। चलो देर आए दुरुस्त आए, महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। लेकिन, जो मैंने कहा जो कहते हैं वह कभी नहीं करते। यूपीए-फर्स्ट निकला, यूपीए-टू निकला, केन्द्र में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। उस समय कितने आंदोलन हुए? हम लोग सब उसके भागीदार थे, रामलीला मैदान दिल्ली में, जहां पर एक लाख महिलाओं ने मांग की थी कि महिला आरक्षण का बिल लाइए, 33 परसेन्ट महिलाओं को आरक्षण दीजिए विधान सभा और लोक सभा में, लेकिन उस समय नहीं दिया। आज

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जब लोक सभा का चुनाव सामने है तो महिलाओं को गुमराह करना चाहते हैं। जैसे किसानों को गुमराह किया, युवाओं को किया, अब महिलाओं को गुमराह करना चाहते हैं। 33 परसेन्ट महिला रिजर्वेशन लाना, क्या केवल इस सदन में पास होने से लागू हो जाएगा? इसको पास करना होगा तो दिल्ली में केन्द्र सरकार के अन्दर पास होगा।

यहां केवल थोथी बात करके, आप बताइये 25 इनके मिनिस्टर हैं अभी उनमें एक महिला मिली इनको मंत्री बनाने के लिए। एक महिला मंत्री।

श्री सभापति: श्रीमती जाहिदा खान।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कहते हैं कि हम महिलाओं का आरक्षण लाएंगे और केन्द्र में हमारी सरकार है आप देखें लोक सभा की अध्यक्ष महिला, रक्षा मंत्री महिला, विदेश मंत्री महिला।

श्री सभापति: अंकित नहीं। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा गया उसे अंकित करें। माननीय सदस्या, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय सभापति जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपके माध्यम से सरकार के समर्थन में मैं अपना पक्ष रख रही हूं। सभापति जी, आपने विधान सभा में अपना पक्ष रखने के लिए मुझे जो मौका दिया है उसके लिए मैं तहेदिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूं।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के उपनेता महोदय, मुझे आपके जो सदस्य हैं उनका समय कम करना पड़ेगा। आप विराजिए अब।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: समाप्त हो गयी। श्रीमती जाहिदा खान।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): सभापति जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय सचिन पायलट जी का आभार प्रकट करना चाहती हूं जिन्होंने चुनाव के दौरान किसानों के लिए किये गये कर्ज माफी के वादे को सरकार बनते ही पूरा किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, विराजिए अब आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: हाउस आर्डर में है, आप विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): और इसे जन घोषणा पत्र में भी शामिल किया। गत भाजपा सरकार ने अपने चुनावी फायदे के लिए पचास हजार तक के ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, एक मिनट। कनक्लूड कर रहे हैं।

श्री सभापति: एक मिनट विराजिए माननीय सदस्या। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): महिला होकर हम महिलाओं की ही बात कर रहे हैं आपको ध्यान रखना चाहिए।

श्री सभापति: अब अपनी बात समाप्त करें माननीय सदस्या। एक मिनट में।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल समाप्त करेंगे। हम अपनी बात को समाप्त करें, कनक्लूड करें, लेकिन जो फैक्ट है वह तो रहेगा। आप मुझे बंद कर सकते हैं बोलने के लिए कि आप कनक्लूड कर दीजिए, लेकिन ये जो तथ्य सामने रखे हैं उसका सुधार करवा लेना।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें एक मिनट में अपनी बात।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, कनक्लूड करूं, उससे पहले एक और बात जो संविधान का सम्मान करने के लिए अपन सबको यहां पर जनता ने भेजा, जनता ने चुनकर भेजा। आज दस प्रतिशत का आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण की जो बात हुई, वह आरक्षण लोक सभा में, राज्य सभा में पूरे बहुमत से, दो-तिहाई बहुमत से पास हुआ। क्या प्रोब्लम आ गयी यहां पर? हम क्यों नहीं इस सदन के पटल पर रख पाए? हम लोग किस तरीके से नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे युवाओं के साथ में। इसको कभी सोचा है राजस्थान सरकार ने। यहां पर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बैठी है। आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन यहां पर जो बिल्स वहां पास हुए उसको यहां पर करने के लिए तो आपको प्रोब्लम है और आर्डिनेंस लेकर आते हैं कोआपरेटिव के अन्दर हम चेंज कर देंगे, अध्यादेश निकाल देंगे। हम ये सब चीजें करेंगे। जो कानून सम्मत हैं उस काम को तो करने में प्रोब्लम है इसलिए मैं आज माननीय प्रधान मंत्रीजी नरेन्द्र मोदी जी को इस सदन के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि वे इस प्रकार का बिल लेकर आये

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

और उन्होंने ऐसा इतिहास स्थापित किया। ये चीजें जो उन्होंने कीं, उसके लिए उनको धन्यवाद, लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं उसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगा है, वह क्वेश्चन मार्क केवल सदन में ही नहीं लगा, सड़कों पर भी अब आने वाले समय में लगेगा। इस बात का ध्यान रखियेगा। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती जाहिदा खान।

सूचना

कोटा में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति जी, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के तहत मैं बताना चाहता हूं कि कोटा शहर में महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार इन दिनों में बढ़े हैं। सरेआम कई महिलाओं के साथ चेन स्नेचिंग हो रही है, उनके साथ पुलिसकर्मी दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करने के उपरांत रिपोर्ट कराने जा रही है तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो रही है। एक महिला की तो माननीय सभापति महोदय, हत्या कर दी गयी।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही करे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, बूंदी जिले में बारह वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई। 12 जनवरी से आज तक...

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: श्रीमती जाहिदा खान।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय सभापति जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपके माध्यम से सरकार के समर्थन में मैं अपना पक्ष रख रही हूं। सभापति जी, आपने विधान सभा में अपना पक्ष रखने के लिए मुझे जो मौका दिया है उसके लिए मैं तहेदिल से आपका

(श्रीमती जाहिदा खान)

शुक्रिया अदा करती हूं। सभापति जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय सचिन पायलट जी का आभार प्रकट करना चाहती हूं जिन्होंने चुनाव के दौरान किसानों से किए गए कर्ज माफी के वादे को सरकार बनते ही पूरा किया जबकि गत भाजपा सरकार ने अपने चुनावी फायदे के लिए पचास हजार तक के किसानों के कर्ज माफी का आश्वासन दिया तो था, लेकिन पांच वर्षों तक केन्द्र और राज्य दोनों जगह भाजपा सरकार होने के बावजूद कोई कर्जा माफी नहीं की। गत भाजपा सरकार ने पांच वर्षों तक किसान, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े तबके के लिए कोई कार्य नहीं किया, इस कारण से पिछले पांच वर्षों में राजस्थान सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्याएं कीं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा की केन्द्र व राजस्थान की गत सरकार की बनती है। आदरणीय राहुल जी की मंशा के अनुरूप दस दिनों में किसानों का कर्जा माफ करना था, लेकिन कांग्रेस सरकार बनते ही दो दिन में राज्य सरकार ने किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्जा माफ कर बड़ा साहसिक निर्णय लिया जिससे अन्नदाता को आर्थिक तंगी से निजात मिलेगी।

सभापति जी, राज्य की जनता ने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में अपना विश्वास व्यक्त किया है और राज्य में एक जवाबदेह, संवेदनशील, पारदर्शी एवं विकास को समर्पित सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में गठन का जनादेश दिया है। राज्य की सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए संकल्पित है और जिसके लिए सभी विभागों को प्रथम सौ दिन के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

सभापति जी, कांग्रेस सरकार बनते ही किसान हित में पूर्व की भांति बड़ा कदम उठाया गया कि कृषि के बिजली बिलों में वृद्धि नहीं की जाएगी जिससे किसानों को बहुत-बड़ी राहत मिली है। अब मैं आम विद्युत उपभोक्ताओं के हितों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि गत भाजपा सरकार ने दो माह के स्थान पर हर माह उपभोक्ताओं को विद्युत बिल दिये जाने का निर्णय लिया जिसका सीधा-सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ा और वह अपने-आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पहले विद्युत बिल में स्थायी शुल्क एवं अन्य शुल्क दो माह की अवधि के लिए वसूल किये जाते थे, लेकिन अब विद्युत बिल हर महीने आ रहा है, उतना ही विद्युत शुल्क एवं

(श्रीमती जाहिदा खान)

अन्य शुल्क भी हर महीने वसूला जा रहा है। ऐसे में या तो पहले की तरह दो माह में विद्युत बिल आये या स्थायी शुल्क एवं अन्य शुल्क आधा करके हर महीने के बिल में जोड़ा जाए, ताकि घरेलू उपभोक्ता को भी राहत मिल सके।

सभापति जी, राज्य के वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिए सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन राशि में जो वृद्धि की गयी है यह सरकार का सराहनीय कदम है। 1 जनवरी, 2019 से 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को पांच सौ रुपये की जगह साढ़े सात सौ रुपये और 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को साढ़े सात सौ रुपये की जगह एक हजार रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से सरकार पर साढ़े तेरह करोड़ रुपये का आर्थिक भार आ जाएगा, लेकिन सरकार के इस निर्णय से वृद्धजन अपने-आपको सम्मानित महसूस कर रहे हैं। अत: यह निर्णय सरकार का जनहित में लिया गया है और बधाई योग्य है।

सभापति जी, 1998 में कांग्रेस सरकार में मरहूम चौधरी तैयब हुसैन जी के मंत्री कार्यकाल में वर्तमान मुख्य मंत्रीजी आदरणीय अशोक गहलोत जी ने गुड़गांवा कैनाल में पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर का शिलान्यास किया था और कच्ची नहर बनवाई थी, जिससे वहां के किसानों को पानी मिला था और उनको राहत मिली थी। जिसका 2008 में कांग्रेस सरकार ने ही पक्का निर्माण करवाया और अपने पिछले विधायक काल में गुड़गांवा कैनाल की मरम्मत के लिए साढ़े तेरह करोड़ रुपये मंज़ूर कराये, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलता रहे। किन्तु गत भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में मरम्मत कार्य की कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिला और पांच साल से वह नहर बिलकुल सूखी हुई है जब से भाजपा सरकार थी। अब हम अपनी सरकार में पूरी कोशिश करेंगे। मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस की संवेदनशील सरकार से आग्रह है कि गुड़गांवा कैनाल की मरम्मत करवाएं और कामां के केपी ड्रेन को भी गहरा करवाएं, ताकि केपी ड्रेन में पानी स्टोर किया जा सके, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। आस-पास के गांवों का जलस्तर भी बढ़ेगा और जिससे पीने के पानी की समस्या से भी निजात मिलेगी। इसके साथ ही गुड़गांवा कैनाल को सीकरी बांध तक पहुंचाया जाए, जिससे मेवात के क्षेत्र कामां, पहाड़ी व नगर के किसानों को भी लाभ मिलेगा। जो किसान एक फसल सही तरीके से नहीं उठा पाते उन्हें सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा और मेवात क्षेत्र अत्यन्त ही पिछड़ा है तो उसमें सुगमता होगी।

(श्रीमती जाहिदा खान)

सभापति जी, हमारी सरकार ने कामां तक चम्बल परियोजना स्वीकृत की थी, लेकिन भाजपा सरकार ने उसकी गति इतनी धीमी कर दी कि पांच साल के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, जिससे कामां विधान सभा क्षेत्र में पानी की बहुत दिक्कत है। कामां कस्बे को सात दिन के अन्दर पीने का पानी मिलता है और ग्रामीण की भी हालत बहुत खस्ता है। वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है तो मेरा आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन है कि वहां के लिए इस चम्बल परियोजना को शीघ्र ही पूरा कराया जाए और गांवों का जलस्तर जहां नीचे चला गया है, वहां नये बोर करवाये जाएं जिससे कि लोगों को पानी मिले और जब तक बोर वगैरह न हो, वहां वाटर सप्लाई के लिये पानी के टैंकर की सुविधा की जाए।

सभापति जी, भरतपुर में संभाग मुख्यालय पर परिवहन कार्यालय कामां, पहाड़ी एवं नगर से अत्यधिक दूरी पर है। मेवात क्षेत्र के लोगों को अपने वाहनों का पंजीकरण कराने एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये भरतपुर जाना पड़ता है। मेवात क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय ड्राइविंग करना है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कामां में परिवहन कार्यालय खोला जाए जिससे मेवात के पंजीकरण कार्य एवं ड्राइविंग लाइसेंस आदि कार्य कामां में ही हो सकें। सभापति जी, पिछली कांग्रेस सरकार में मेरे विधायक काल में कामां में रोडवेज का सब-डिपो स्वीकृत कराया गया था लेकिन गत भाजपा सरकार में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मेवात क्षेत्र पूर्णत: पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहां के लोगों को आवागमन के साधन उपलब्ध कराने के लिये रोडवेज सब-डिपो खोला जाना बहुत जरूरी है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): बस दो मिनट। सभापति जी, मेवात क्षेत्र के कामां, पहाड़ी व नगर शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़े हुए हैं। पिछली सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए दो सरकारी कालेज मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां व पहाड़ी में स्वीकृत किये थे लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही उन्होंने पहला काम इन कालेजों को बंद करने का किया। सभापति जी, मेरी वर्तमान संवेदनशील सरकार से विनती है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कालेजों को पुन: खोला जाए और मेवात के विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा देने के लिये टैक्निकल कालेज, नर्सिंग कालेज, बीएड कालेज, लॉ कालेज, एग्रीकल्चर, कालेज खोले जाएं। विशेषकर लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिये ऐसे कालेज मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि

(श्रीमती जाहिदा खान)

किसी भी समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उनकी बेटी, बहू विकसित नहीं हो। सभापति जी, लड़का केवल एक कुल का नाम रोशन करता है जबकि बेटी पढ़ लिखकर दो कुलों का नाम रोशन करती है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि मेवात क्षेत्र में शिक्षा और खास तौर से बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। और भी बहुत बात हैं लेकिन आपका हुक्म है इसलिए मैं अपनी कांग्रेस की सरकार से आम जनता की तरफ से यही उम्मीद करती हूं कि अब सभी समाज के वर्गों को राहत मिलेगी। हम सब मिलकर राजस्थान को एक अग्रणी राज्य बनायेंगे क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वह करके दिखाती है, भेदभाव की राजनीति नहीं करती। मुझे कांग्रेस सरकार से उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि मेवात क्षेत्र की कमी को पूरा करते हुए मेवात क्षेत्र का समग्र विकास करेंगे, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री किसनाराम विश्नोई।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): सभापति महोदय, चूंकि मैं प्रथम बार चुनकर आया हूं, इस प्रदेश के सबसे बड़े हाउस में आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का मैं पुरजोर शब्दों से स्वागत करता हूं और उसके पक्ष में मेरी बात रखता हूं। लगातार पांच दिन से सुनता आ रहा हूं माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये एक रोड मैप पढ़ा है, जो रोड मैप इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है।

सभापति महोदय, कर्जा माफी को लेकर सबसे अधिक हो-हल्ला प्रतिपक्ष के लोग कर रहे हैं। सभापति महोदय, 2004 से पहले प्रदेश में 25 प्रतिशत किसानों ने खेती करना बंद कर दिया था। चूंकि खेती एक घाटे का सौदा है, 2004 में जब हमारी यूपीए फर्स्ट की सरकार बनी, डाक्टर मनमोहन सिंह जी ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की और किसानों को अपनी फसल को एक कवच प्रदान किया जिससे खेती करने में किसान का आत्म-विश्वास बढ़ा। 2002 में यूपीए सरकार ने 72 हजार करोड़ का कर्जा पूरे देश में माफ किया। जो प्रमाण पत्र देने की बातें आ रही हैं, 72 हजार करोड़ के प्रमाण पत्र देकर इस देश के सभी किसानों को खुशहाली दी। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी बात रख रहे थे, मैं लगातार सुन रहा था, किसान डिफाल्टर की बात आ रही थी, कर्ज माफी में डिफाल्टर का शब्द आ रहा था। जब

(श्री किसनाराम विश्नोई)

किसान डिफाल्टर होता है वह या तो ओलावृष्टि से होता है या सूखे के कारण होता है। लेकिन इस बार पिछले दो-तीन सालों से डिफाल्टर का एक कारण और जुड़ा है वह 15 लाख खाते में डालने की प्रधान मंत्री बनने से पहले भाजपा के नेता +++ ने घोषणा की थी जो एक जुमला साबित हुआ था। प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता जी कह रहे थे यह एक जुमला आदेश है। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने 2 लाख की कर्ज माफी की हाथों-हाथ घोषणा की, उसको जुमला कहना, वह अपना शब्द दूसरे को कह रहे थे, यह जुमला शब्द +++ का है और डिफाल्टर होने का कारण यह 15 लाख खाते में डालने की घोषणा थी। किसानों ने सोचा कि वह 15 लाख खाते में आ जाएंगे, अपने आप केसीसी में जमा हो जाएंगे या ऋण में जमा हो जाएंगे, वह भी एक बहुत बड़ा कारण है। देश के जिम्मेदार प्रधान मंत्री का यह जुमला किसान का कर्जदार होने का बहुत बड़ा कारण है। सभापति महोदय, किताबों में मैंने पढ़ा, कई पत्रकारों ने एक चिंता व्यक्त की है कि यह देश कैसे विकसित श्रेणी में आएगा। उसमें कई पत्रकारों ने लिखा है +++ देश के जुमलेबाज हैं, यह देश कैसे विकसित श्रेणी में आएगा, इस पर चिंता हो रही है। जिस प्रकार से गुजरात के तीन-तीन बार मुख्य मंत्री रहे, इतना जिम्मेदार आदमी 15 लाख खाते में डालने की घोषणा करता है और अपन किसान के डिफाल्टर होने की बात करते हैं, यह एक सोचने का विषय है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए आप।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): हमारी लोकप्रिय सरकार ने इस पर चिंता की है और हमारे गांधीवादी मुख्य मंत्री ने, 9 दिसम्बर को राहुल गांधी जी जब जयपुर में आये थे तब हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के लिये सबसे बड़ी बौछार की थी, दो लाख की कर्ज माफी की घोषणा, किसान आयोग की घोषणा, एक लाख कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की, इसके लिये हमारी लोकप्रिय सरकार और लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को मैं मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा।

समर्थन मूल्य की बात हो रही है। आज केन्द्र में इनकी सरकार है, इनको चाहिये कि समर्थन मूल्य से नीचे कोई जिंस कोई व्यापारी खरीद भी नहीं सके, ऐसा कानून अगर भारत सरकार बना दे, किसान को कभी भी कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही किसान कर्जे से दबेगा। समर्थन मूल्य से नीचे नहीं लेने का एक कानून बनना चाहिये, यह मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहूंगा।

(श्री किसनाराम विश्नोई)

कई बार गाय की बात हुई। गाय के नाम से यह पूरे देश और प्रदेश में शासन ला रहे हैं। कभी मंदिर के नाम से बात हो रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश में गाय की क्या हालत है। गौ-माता की बात यह अपने भाषणों में करते हैं, वोटों के लिये करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गाय के संरक्षण के लिये इन्होंने पांच सालों में कोई व्यवस्था नहीं की। प्रदेश में गायों से दुर्घटना में जितनी मौतें हुईं, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुईं जितनी पिछली भाजपा सरकार में हुई थीं। सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी किसान की भावना रखने वाली पार्टी है। हम जो भावना रखते हैं, किसान वर्ग से हैं। हम कांग्रेस के पक्ष के लोग गाय का पालन करते हैं, यह जो बात करते हैं इनके घर में कभी गाय ही नहीं मिलेगी। जितनी गायों की सेवा हम लोग करते हैं, यह कभी नहीं करते, यह वोटों के लिये बात करते हैं।

(14.00 बजे)

सभापति महोदय, पिछली भाजपा सरकार ने, ये लाइन लगाने वाली सरकार कहा करते हैं। लाइन लगाने वाली सरकार का इन्होंने दर्जा दे दिया था। पूरे प्रदेश को तहस-नहस कर दिया। लाइन लगाने वाली कभी भामाशाह, कभी दूसरी, कभी भामाशाह से किसी को जोड़ना। यहां तक पूरे प्रदेश के अंदर एक भयपूर्ण वातावरण पैदा हो गया था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): कहीं श्मशान में जाने के लिये भी कोई भामाशाह नहीं मांग ले। इसलिए लोग श्मशान में अपनी डैड बाडी को समय पर ले जाएं, ऐसा एक भयपूर्ण वातावरण इन्होंने पैदा कर दिया। केन्द्र में जो मनमोहन सिंह जी की मनरेगा योजना थी। मनरेगा योजना से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ी चिढ़ थी। इस चिढ़ के कारण मनरेगा योजना को तहस-नहस कर दिया। उसमें भ्रष्टाचार पनपा दिया। योजना का हकीकत में लोगों को लाभ मिलना था, लोगों को रोजगार मिलना था, वह नहीं हो पाया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि इस योजना को पुन: अमलीजामा पहनाएं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ मिले और माननीय सोनिया गांधी जी का सपना पूरा हो। राहुल गांधी जी का सपना पूरा हो।

जो सूचना का अधिकार था। राइट टू इन्फोर्मेशन को तहस-नहस कर

(श्री किसनाराम विश्नोई)

दिया। पांच साल में इन्होंने किसी व्यक्ति की अपील नहीं सुनी। हमेशा सूचना को दबाने का काम किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): दवाई, पेंशन और चिकित्सा की व्यवस्था को प्रदेश के अंदर तहस-नहस कर दिया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करुंगा कि दवाई और पेंशन की योजना से लोगों को राहत पहुंचाने का काम आप निश्चित रूप से करेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): चूंकि हमारी सरकार के मुख्य मंत्री काफी लोकप्रिय एवं गांधीवादी हैं। अशोक गहलोत जी की पिछली दो सरकारों का कार्य पूरे देश के अंदर माडल के रूप में साबित हुआ था। आने वाले समय में भी युवाओं और किसानों के लिये सरकार फोकस कर रही है। निश्चित रूप से किसानों और युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम यह सरकार करेगी और प्रदेश आगे बढ़ेगा। यही बात कहते हुए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल बिश्नोई।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सदस्य महोदय, प्रथम बार आये विधायक का आपको धन्यवाद। आपने मुझे अभिभाषण के मौके पर बोलने का मौका दिया। 15वीं विधान सभा का पहला सत्र, माननीय राज्यपाल का अभिभाषण। अभिभाषण में हम उम्मीद करते हैं, जिसमें राज्य के आगामी पांच वर्षों के विकास का भावी रोड मैप तैयार होगा, प्रदेश का रोड मैप तैयार होगा, लेकिन इस पूरे 38 पेज के दस्तावेज में इसको पढ़ने पर कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई दिशा है और प्रदेश की दशा बदलने का कोई संकल्प हो।

सबसे पहले पेज-2 के 6 नंबर पर उल्लेख किया गया है- गत सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार की कमियां ढूंढने जैसे निरर्थक मुद्दों पर भटकती रही। यह सत्र चल रहा है। इस सरकार को बने एक महीने से ज्यादा हो गया। प्रश्न काल में देख रहे हैं जब भी माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमारे सब माननीय मंत्री महोदय का एक ही जवाब आता है कि पीछे की सरकार ने ऐसा किया, पीछे की सरकार ने ऐसा किया। जैसा आप इसमें लगा रहे हो, वैसा काम, आप अभी चरितार्थ कर रहे हैं, अपने वक्तव्यों से। गत सरकार की असत्य आलोचना आपके कथनों से जाहिर हो रही है।

पेज 4 के पैरा-10 पर जन घोषणा को नीतिगत दस्तावेज बताया है

(श्री बिहारीलाल)

और 11 पर किसान की कर्ज माफी का उल्लेख किया है। माननीय सभापति जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने 30 दिन तक इंतजार किया। आपके अध्यक्ष राहुल गांधी जी और आपके मुख्य मंत्रीजी ने सरकार बनते ही 10 दिन में कर्ज माफी की घोषणा की और उसको लागू करने की बात की। एक, दो, तीन, चार इस तरह गिनती करके दस दिन किसानों को गिनाये गये और किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा करते हुए...

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठें, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको बार-बार टोकना पड़ता है।

श्री बिहारीलाल (नोखा): किसान अन्नदाता है, जिसकी पीठ पर हम चढ़कर और जिसकी बात करके हम सब इस सदन तक पहुंचे हैं, वह किसान पीठ है। किसान और अन्नदाता के साथ इतना बड़ा अन्याय और धोखा, आपने अपने व्यक्तित्व से, अपने काम करने के तरीके से किया है और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 31वें दिन स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया। उनका हम धन्यवाद करते हैं। पूरे प्रदेश की जनता को, किसानों को एक संदेश देने का काम किया कि आपकी सरकार ने, आपके नेताओं ने, माननीय सदन के नेता ने जिस तरह का भरोसा किसानों को दिलाया था, उस पर उन्होंने कैसा काम किया है कि अब तक भी कोई तारीख तय नहीं कर पाये हैं। अब तक भी उसका कोई रोड़ मैप तैयार नहीं कर पाये हैं। कितने किसानों का कर्जा माफ होगा, कितना कर्जा माफ होगा। उसके लिये जब सदन में बात होती है तो हमारे सदन के नेता एक पत्र पढ़ते हैं। जो प्रधान मंत्री को लिखा है कि माननीय प्रधान मंत्री से हम यह बात करेंगे, उनसे यह मांग करेंगे तो आपसे हम सदन के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब चुनाव में किसानों को बरगलाने के लिये, किसानों के साथ बड़ा धोखा करने के लिये यह बात मंचों से कही गयी, तब क्या माननीय मोदी से पूछकर यह बात की गयी थी। इसलिए इतना बड़ा धोखा किसानों के साथ किया गया है। आने वाले समय में किसान इस बात का करारा जवाब देगा।

पेज नंबर 6 के पैरा-14 में आपने किसानों को सस्ता बीज, प्रमाणित बीज और खाद की उपलब्धता की बात की है। पिछले पांच वर्षों में हमारा शासन रहा। उन पांच वर्षों में प्रदेश के किसी कोने से ऐसी आवाज नहीं,

(श्री बिहारीलाल)

जिसमें यह लगता हो कि खाद की उपलब्धता में कमी है या बीज की उपलब्धता में कमी है, लेकिन इस सरकार के बनते ही प्रत्येक क्षेत्र से पुलिस के लाठीचार्ज की बात भी आ रही है। किसानों की खाद के लिये लाइनें लगी हुई हैं। यूरिया नहीं मिल रहा है। आपकी किसान हितैषी सरकार की पहले महीने में यह उपलब्धि है।

पेज नंबर 8 के पैरा-19 में आपने निराश्रित गौवंश की बात कही है। मैं कल प्रश्नोत्तर काल में माननीय मंत्रीजी का जवाब सुन रहा था, जो कह रहे थे कि मैं गौ-ग्रास के बिना तो भोजन ही नहीं करता, पहले गौ-ग्रास निकालता हूं। इस दस्तावेज में तो आपने निराश्रित गौवंश लिखा है। गौ-माता की जय के साथ उन्होंने अपनी बात खतम की। इसमें तो ठीक है, पर माननीय मंत्रीजी, गौ-माता के लिये आवारा पशु शब्द इस्तेमाल कर रहे थे तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि माता कभी आवारा नहीं होती, बेसहारा और निराश्रित जरूर होती है। इसलिए गौ-वंश के लिये भी आपने बातें कीं, उससे किस तरह होगा? इस देश में, इस प्रदेश में जहां पानी दूध से महंगा बिकता हो और मिलावटखोरी की लंबी-चौड़ी चैन या श्रृंखला हो, इसमें रोड मैप कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता, इसमें कहीं दिखाई नहीं देता कि किस तरह इस बात को हम लागू करेंगे। किस तरह किसानों के साथ, जो दूसरा महत्वपूर्ण धंधा है, उनकी रोजी-रोटी का, पशुपालन का, उस पर वे अपने आपको किस तरह मजबूत कर पाएंगे और खेती किसानी से वे अपने परिवार को पाल पाएंगे। पशुपालन जिससे कमजोर हुआ है, कृषि और पशुपालन की कमजोरी से ही बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है। शहरों की तरफ लोगों का पलायन बढ़ा है। इसकी तरफ आपका कोई रोड़ मैप नजर नहीं आता।

पेज नंबर 9 पैरा-22 में, आपने कहा कि एक लाख किसानों के हम कनेक्शन जारी कर देंगे, लेकिन मैं मेरे नोखा क्षेत्र की बात करता हूं, जहां लंबी लाइन लगी हुई है और अभी तक कनेक्शन जारी करना तो दूर उनको पोल भी नहीं दे पाये। फर्स्ट फेज का काम भी अभी तक पूरा नहीं कर पाये हैं। पैरा-23 में रबी की चने, मूंग और सरसों की एमएसपी की बात कही गयी है। माननीय सभापति जी, इस मौके पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र नोखा दुनिया का सबसे बड़ा मोठ उत्पादन क्षेत्र है और राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से मोठ की एमएसपी तैयार करने के लिये यहां पर एक प्रस्ताव लाया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सदस्य जी, मैंने पार्टी के समय में से थोड़ा समय मांगा है। मुझे अपनी बात पूरी करने के लिये आपका स्नेह, आशीर्वाद चाहिए। जिस तरह बंगाल में किसी क्षेत्र में कोई फसल होती है, मोठ एवं ग्वार क्षेत्र विशेष की फसल है, इसको भी एम.एस.पी. में शामिल किया जाए। जैसे जूट क्षेत्र विशेष की फसल है, बंगाल में जूट कमीशन है। इस तरह का प्रस्ताव इस सदन से केन्द्र तक जाए और इस पर कोई निर्णय हो।

पेज 11 के पैरा-27 में, शिक्षा के प्रति कितनी गम्भीरता इस सरकार की नजर आती है। अभी आप पहले सत्र में दो संशोधन लाये हैं। पहला तो पंचायती राज संशोधन, जिसमें चुनाव के लिये शिक्षा की अनिवार्यता जो पिछली सरकार ने लागू की थी। शिक्षा के प्रति हमारी सरकार कितनी जागरूक थी, कितनी संवेदनशील थी, यह उस निर्णय से लगता था कि हमारा प्रतिनिधि, जो निर्णय करने बैठेगा। चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो तो पढ़कर सोच-समझकर अपनी कलम चलाएगा और इससे शिक्षा के प्रति कितनी जागरूकता प्रदेश में गयी थी इस इलिट्रेट प्रदेश में। उसमें पहला निर्णय आपकी सरकार का यह आया है, यह संशोधन हुआ है कि उस नियम को, उस बाध्यता को खतम कर दिया गया है। इससे लगता है कि शिक्षा के प्रति अपनी सरकार कितनी संवेदनशील है और कितनी जागरूक है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: आप विराजिए। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, दूसरा संशोधन जो इस सरकार की सोच और दिशा को बताता है, नगरपालिका संशोधन लाये हैं। आप एक तरफ तो सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं। आप कहते हैं कि हमारे बड़े नेता राजीव जी का सपना था कि सत्ता का विकेन्दीकरण हो। उसमें आप यह संशोधन लाये हैं कि सीधे चुनाव। अब नगरपालिका अध्यक्ष का सीधा चुनाव। कल आप कहोगे कि जिला परिषद का भी सीधा चुनाव।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, इससे विधायक या सांसद की क्या अहमियत रह जाती है और सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने की आप बात करते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री रामलाल मीणा।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, मैं अपनी बात को कनक्लूड करता हूं। माननीय सभापति जी...

श्री सभापति: श्री रामलाल मीणा। दिव्या मदेरणा जी।

श्री बिहारीलाल (नोखा): जिस तरह से कर्ज माफी व खाद्य सुरक्षा योजना में, बेरोजगारी भत्ता में बात करके बेरोजगारों को जो धोखा दिया है, आर्थिक आधार पर आरक्षण जो केन्द्र सरकार ने लागू किया है, उस बात पर जो नियम सरकार ने बना दिया।

श्री सभापति: दिव्या मदेरणा जी, श्री गोपाल मीणा।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री सभापति: अब आप विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्री गोपाल मीना।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया गया है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जो पैरे लिखे गये हैं, वह इस राज्य के विकास के लिए, इस राज्य की तरक्की के लिए हैं। मैं इनका समर्थन करता हूं। सरकार ने दो लाख का फसली ऋण माफ करने का जो काम किया है, मैं समझता हूं वह राजस्थान के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी परेशानी को समझकर किया है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। मैं इसका समर्थन करता हूं। साथ ही सरकार ने जो निर्णय लिये हैं, चाहे वह पेंशन बढ़ाने का हो, चाहे फसली ऋण का हो, चाहे नरेगा को पुन: सुचारु रूप से चलाने का हो, इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने योजनाओं को रोकने का काम किया है। जो कांग्रेस सरकार ने अच्छे काम करने का निर्णय लिया, उन योजनाओं को, स्कीमों को बंद करने का काम किया। मैं समझता हूं कि सरकार आने वाले समय में उन योजनाओं को चालू करेगी। पुन: उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा संकट पानी का था। 2013 में बजट में कांग्रेस सरकार 1068 करोड़ की स्कीम जमवारामगढ़ बांध में लेकर आयी थी, उससे केवल जमवारामगढ़ को फायदा नहीं था, करीबन चार जिलों को उसका फायदा हो रहा था। सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, जयपुर शहर, दौसा, टोंक आदि जिलों में इसका फायदा हो रहा था। लेकिन इस योजना को भारतीय

(श्री गोपाल लाल मीना)

जनता पार्टी ने, पिछली सरकार ने बिलकुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस काम को पुन: करे। इस योजना से, पानी की समस्या जो आने वाले समय में आएगी, उस समस्या का समाधान होगा। दूसरा, अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय हमारे जमवारामगढ़ में खोला गया था। उसको भी बंद कर दिया गया। उप नेता जी, हमारी सरकार के समय अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय खुला, उसके बारे में बता रहे थे। वे विश्वविद्यालय को नहीं चला पाये। आपने पांच साल तक उस विश्वविद्यालय को बंद करने की बात रखी। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार की नीति हमेशा से ही युवा एवं छात्रों को आगे बढ़ाने की रही है। आपने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को बंद करने का काम किया। दोनों विश्व विद्यालयों को खोलकर राजस्थान सरकार ने युवा एवं छात्रों का जो हक है, उसको पूरा करने का काम किया है। साथियों, जिस प्रकार से आज युवाओं के लिए 3500 रुपया भत्ता देने का काम किया है, यह भी युवाओं के लिए एक आगे बढ़ने का मौका है। केवल घोषणा नहीं है ...(व्यवधान)... हमारा जो घोषणा पत्र है, उसको सरकारी दस्तावेज बना दिया गया है। यह बात आप लोगों को पता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय गहलोत जी, जो बात कहते हैं, वह करके दिखाते हैं। पहले भी दिखाया था और आगे भी दिखाएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): कर्ज माफी का आप लोगों को पता है। हमारी सरकार चाहे सेन्टर में हो, आदरणीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने 72 हजार करोड़ रुपये माफ किये। उन सबको प्रमाणपत्र मिले हैं। आपको भी पता है कि 72 हजार करोड़ रुपये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने माफ किये थे। हमारी सरकार, राजस्थान सरकार ने कर्ज माफ करने का काम किया है। आप विश्वास रखें। यह कर्ज माफ होने पर जनता को विश्वास है। आप लोगों को विश्वास नहीं है क्योंकि आपने जो 8000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था, उसमें 2000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है। आप लोगों को विश्वास नहीं है इसलिए हमें बार-बार आप लोग यह कह रहे हैं कि कब कर रहे हैं ? किया या नहीं किया, सिर्फ घोषणा की है। हमारे मंत्रिमंडल ने पहला निर्णय

(श्री गोपाल लाल मीना)

यह लिया कि किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। इस विषय को आप बार-बार उठा रहे हैं, बार-बार बात कर रहे हैं, यह बात आप लोगों के विश्वास के परे है लेकिन जनता का पूरा विश्वास है। आप दो-तिहाई बहुमत से राजस्थान में आये लेकिन राजस्थान की जनता का विश्वास नहीं जीत पाये। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से काम करती आयी है, चाहे गरीब के लिए पेंशन बढ़ाने का काम किया, युवाओं के लिए 3500 रुपये भत्ता देने का काम किया हो....

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): सरकार ने जो निर्णय लिये हैं, उनका आपको पता है। नरेगा का काम था, उन कार्यों को पूर्ववर्ती सरकार ने बंद किया। आप लोगों को पता है। आज राजस्थान की जनता बेरोजगारी से जूझ रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है, नरेगा को बंद करना, नरेगा को बिलकुल निष्क्रिय करना। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, चूंकि हम जयपुर शहर के नजदीक हैं, हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, आप चौखटियों पर जाकर देखें, दो-तीन हजार लोग खड़े मिलते हैं। एक हजार रुपये का जो मजदूर है, उसको दो सौ रुपये में काम करना पड़ रहा है। उनकी बेरोजगारी बढ़ रही है। कल हमारे उप-मुख्य मंत्रीजी बता रहे थे कि 12 लाख मजदूरों से बढ़ाकर 23 लाख मजदूर कर दिये। कांग्रेस सरकार की नीति है, गरीब को रोजगार देना, युवाओं को रोजगार देना। हमारी सरकार ने गरीब को, किसान को, मजदूर को आगे बढ़ाकर रखा है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ाई...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मैं आखिर में आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो योजनाएं है, उनको इस सरकार ने बंद रखा। आज ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी ग्रामीण बस योजना थी।

श्री सभापति: समाप्त करिए, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): बस सेवा बंद करने से ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन की असुविधा हुई है जिससे लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है।

श्री सभापति: समाप्त करिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मैं सरकार से निवेदन करना

(श्री गोपाल लाल मीना)

चाहूंगा कि इस बस सेवा को पुन: चालू किया जाए ताकि लोगों को आने-जाने का फायदा हो सके।

श्री सभापति: समाप्त करें। सुश्री दिव्या मदेरणा। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): एक मिनट।

श्री सभापति: प्लीज विराजिए अब आप।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरा परिचय, मेरा अस्तित्व, मेरी पृष्ठभूमि, मेरी विचारधारा, मेरे सिद्धांत, यह सब आधार बनते हैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन के। सभापति महोदय, इस सदन के अंदर लाइफ टाइम का एक रक्षा कवच मिलता है मेडन स्पीच के नाम पर जो कि मैं बधाई भाषण के अंदर त्याग चुकी हूं जैसे कि करण ने विष्णु को अपना कवच त्याग दिया था। अब मैं विचारों और शब्दों के धारदार तीरों के लिए मैदान में तैयार हूं लेकिन बशर्ते शब्दों और विचारों के तीर की यह प्रत्यंचा जब आप खींचे या तो वह गांडीव जो अर्जुन का धनुष था या पिनाक जो शिव का धनुष था उससे चले, मेरा अर्थात् है कि ट्रैजरी बैंचेज से चले।

सभापति महोदय, मेरे परिचय से चालू करूंगी क्योंकि सारा आधार इससे बनता है। इस सदन में मेरा परिचय यह है कि मैं अभिमन्यु हूं, जेंडरवाइज नहीं। माननीय सदन के उप नेता की किसी प्रोसिडिंग मैं मैंने पढ़ा था, उन्होंने आसन को कहा था जब सुमित्रा सिंह जी आसीन थीं तब कि जेंडरवाइज नहीं है। अर्जुन नहीं हूं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। मैं द्रौपदी हूं अभिमन्यु हूं। अभिमन्यु वह नहीं जिसका सामूहिक वध किया गया था। अभिमन्यु वह जो उम्र के अभाव के कारण युद्ध की कलाओं में पारंगत नहीं था। उम्र के अभाव के कारण शस्त्र विद्या में पारंगत नहीं था, उम्र के अभाव के कारण अनुभव की कमी रखता था, साहस की नहीं। अभिमन्यु निर्भय था, मैं निर्भय हूं। भय को सबसे ज्यादा डर निर्भय से लगता है, इसका आचरण पिछले चार दिन में मैंने यहां देखा। बहरहाल मैं अकेली अभिमन्यु नहीं हूं इस सदन में। वे समस्त युवा जो इस सदन में चुनकर आए हैं, संघर्ष के बाद वे अभिमन्यु हैं, मैं उन सबको यहां से शुभकामनाएं देती हूं चाहे वह किसी भी दल के क्यों नहीं हों। साहसी बनिए, निडर बनिए, निर्भीक बनिए।

मैं जहां से आती हूं, एक माननीय सदस्य ने अपना परिचय दिया था

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

कि धनिये की खुशबू और पत्थर की महक जहां से आती है, मेरा परिचय है। मैं जहां से आती हूं, जिस निर्वाचन क्षेत्र से आती हूं उसकी मिर्ची विश्व प्रसिद्ध है, जलना भी मुझे आता है और जलाना भी आता है। छीतर का पत्थर, जिसकी खूबी यह है कि जितनी बारिश पड़ती है उतना ही निखरता है, उस पर काई नहीं लगती। मुझे नहीं पता, आपके नेता प्रतिपक्ष यहां नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि मैं जहां बैठा हूं वहां कल और कोई बैठा था, अब कोई और बैठा है। यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन मैं भी कई दौरों की साक्षी रही हूं। 1990 की आपकी प्रोसिडिंग भी मैंने पढ़ी है, सभापति महोदय, जब आप पुरानी विधान सभा में आसीन थे, पुरानी विधान सभा की प्रोसिडिंग्स को देखने का, दीर्घा में बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह पिंकसिटी के अंदर पिंक रंग से रंगी हुई है और छीतर जो मेरा अस्तित्व, जोधपुर की पहचान है, जोधपुर जिसका राजस्थान की राजनीति में एक दबदबा रहा, उस जोधपुर के पत्थर से यह भवन सात करोड़ राजस्थानियों की आशा और अपेक्षाओं की चमक का नया प्रत्यूषा नहीं उषा बनता है।

इसी सोच को ध्यान रखते हुए, युवाओं की बात करते हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की सोच इस अभिभाषण में झलकी कि हमारा मुख्य लक्ष्य युवाओं को रोजगार देना है। सबसे बड़ा संकट अगर किसी के सामने दिखता है तो वह युवाओं को रोजगार देना है। मैं किसान वर्ग से आती हूं। धोरों की धरती से उठा है मेरा अस्तित्व। 73 नम्बर के अनुच्छेद पर लिखा है कि थार और रेगिस्तानी क्षेत्र को और बनाने के लिए बढ़ावा देंगे। चाड़ी के जिस गांव से मेरा अस्तित्व उठता है वह आज भी धोरों के बीच में बसा है। कितनी विषम परिस्थितियों में स्वर्गीय परसराम मदेरणा ने किसान राजनीति की वह पताका उठाई होगी। मैं अभिभाषण के इस समर्थन में दल से, नीतियों से, विचारों से इसलिए हूं कि पराधीन भारत के अंदर, जब किसान जागृति के लिए काम किया तो स्वर्गीय बलदेव राम जी मिर्धा, नाथूराम जी मिर्धा, स्वर्गीय परसराम जी मदेरणा ने मारवाड़ किसान सभा के माध्यम से काम किया, जिसका बाद में कांग्रेस में विलय हुआ। अपना जीवन किसान राजनीति के उत्थान के लिए समर्पित करने वाले इन सबने कांग्रेस का हाथ थामा। क्योंकि किसान की, गरीब की, पीड़ित की, दलित की, मजदूर की कोई पहचान बना सकता था तो वह दल कांग्रेस था, इसलिए मैं इस अभिभाषण का समर्थन करती हूं।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

सभापति महोदय, मैं अभिमन्यु हूं तो आप विदुर हैं। आपके पास प्रज्ञा चक्षु है, ज्ञान के नेत्र हैं, आप सब देख सकते हैं। आप वह क्षितिज रेखा हैं जहां पर धरती और आकाश मिलता हुआ प्रतीत होता है। आप वह क्षितिज रेखा हैं जहां प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष मिलता हुआ प्रतीत होता है। मैं किसान हूं, किसान की बेटी हूं, मेरी हस्ती का यह गौरव है। स्वर्गीय परसराम जी मदेरणा ने 5 मार्च, 2009 को अपने जीवन की आखिरी जन सभा संबोधित की थी, वह जन सभा मेरे जीवन की पहली जन सभा थी, अजब संयोग था। उन्होंने कहा कि यह किसान, यह अन्नदाता मेरा आराध्य देव है, उन्हीं सिद्धांतों को मैंने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। किसान वह साधारणजन जिसमें प्रभु बसता है, नारायण बसता है। वह साधारणजन जो पृथ्वी पर हल की रेक से धन धान्य की भाषा, ग्रंथ लिखता है, मैं वह किसान हूं। साफ कर देना चाहती हूं कि मैं सिर्फ ओसियां का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही, मैं राजस्थान के प्रत्येक किसान का प्रतिनिधित्व कर रही हूं और हमारी आवाज दबाने के लिए आपने जो मानसिकता यहां दर्शाई थी, माननीय सदस्य ने आज नीले रंग का पहना है, उस दिन भगवा पहना था, यह आवाज दबेगी नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मुझे सर, पांच मिनट दीजिए, मैं पहली बार बोल रही हूं।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): किसान हमारे रीढ़ की हड्डी है। किसान राजनीति को शिखर पर पहुंचाने का काम स्वर्गीय परसराम जी मदेरणा ने किया। यूपीए की सरकार में करीब 70 हजार करोड़ का कर्जा हमने माफ किया। आपकी सरकार में 50 हजार करोड़ का आपने कर्ज माफ करने की घोषणा की, उसमें अनेकों राइडर लगाए। आपने 12 बीघा की बात की तो मैं जिस जगह से आती हूं 12 बीघा के वहां काश्तकार नहीं होते, झालरापाटन और करौली की तरफ होते हैं। मैं जब गई, कोआपरेटिव संस्थाओं के व्यवस्थापकों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, शून्य, कहीं एक तो कहीं दो। 12 बीघा में पहली बार कोई ट्यूबवैल नहीं कटता, पड़ता नहीं खाता, किसी को लोन नहीं मिलता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दस दिन के अंदर कर्ज माफी की घोषणा की थी। आपके उप नेता कह रहे थे कि मेरा काम हंगामा करना नहीं है, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, तो फिर हंगामा क्यों बरपा जो थोड़े-से टाइम में हमने ऋण माफी कर दी।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

जब 2008 में हमारी सरकार थी, परसादीलाल जी उस समय तत्कालीन कोआपरेटिव मिनिस्टर थे, श्रीमती लीला जी मदेरणा अपैक्स बैंक की अध्यक्षा थीं, हमें 4 परसेंट ब्याज पर लोन मिलता था। उन्होंने प्रस्ताव भेजा और तुरन्त हमारे मुख्य मंत्री ने जीरो परसेंट पर लोन देने का, ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था करवाई। हमारी लिमिट 25 से 50 हजार की थी, डेढ़ लाख तक की लिमिट करवाई।

श्री सभापति: समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): ऐतिहासिक काम हमारे कामों से हुए। लहसुन का घोटाला मेरी कांस्टीट्युएंसी में हुआ, एसीबी में जांच चल रही है, ऐसे घोटाले आपके टाइम में हुए।

पंचायती राज की बात करती हूं। मैं खुद इस सदन में पंचायती राज का प्रोडक्ट हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय, समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मदेरणा साहब ने 1953 में अपना राजनीतिक जीवन सरपंच बनकर शुरू किया।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मेरे पिता 25 साल जिला प्रमुख रहे। मेरी मदर 25 साल जिला परिषद की सदस्य रहीं और मैं नौ साल पंचायती राज में काम करके आई हूं, कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं हूं। पंचायती राज के अन्दर मनरेगा की स्कीम हमारी रही। पंचायती राज के अन्दर आपने मौलिक अधिकार छीन लिया। जो व्यक्ति पढ़ा-लिखा नहीं है, उसे आपने चुनाव लड़ने से वंचित रख दिया। हो सकता है कोई आर्थिक परिस्थितियां रही हों, कोई विषम परिस्थितियां रही हों। वह वापस किया, इसके लिये हमारी सरकार को शुभकामनाएं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): चिकित्सा क्षेत्र के अन्दर हम ऐतिहासिक काम करेंगे। आज ही अख़बार में आया है किस तरह से ओसियां के अन्दर मशीनें खराब हैं, सारे के सारे पद रिक्त हैं। पेयजल के अन्दर आपके उप नेता कह रहे थे कि 2008 से 2013 में आपने क्या तीर मारे। हमने ये तीर मारे कि घड़साना, रावला, सोहेला जैसे पानी के कारण सरकार ने गोलियां

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

नहीं बरसाईं। हमारा प्रबंधन अच्छा था। मैं बैर-हराया स्कीम की मांग करती हूं। अंत में अपराध की एक बात करना चाहूंगी कि जो सबसे बड़ा अपराध बढ़ा। वह इनके कार्यकाल में बढ़ा। सामराऊ जैसा प्रकरण जो ओसियां में हुआ, जिसके कारण इनके मंत्री चले गये, शेरगढ़ चला गया, ओसियां चला गया। समदृष्टि से होना चाहिये, सभापति महोदय। आप न्याय की मूर्ति हैं और न्याय समदृष्टि से होना चाहिये, तत्वदर्शी होना चाहिए, वास्तविकता को देखते हुए होना चाहिए। इन्होंने एक जगह तो न्याय किया, दूसरी तरफ नहीं किया। मैं मुख्य मंत्री से अपील करती हूं कि जिस पक्ष को मुआवजा नहीं मिला, उसको आप मुआवजा दिलाएं। जो जांच सही रास्ते पर नहीं हो रही, वह करें।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूं कि सामराऊ प्रकरण के अन्दर बदले की भावना से जिन युवाओं का नाम लिखा गया, तुरन्त उनकी जांच करा मुकदमों से उनके नाम निकलवाये जाएं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री सुमित गोदारा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): आखिर में मैं यही कहूंगी कि हमारी नीतियां प्रोग्रेसिव हैं। हमारी व्यवस्था करने का काम है, हम शांति के लिये काम करेंगे, हम मजदूर के लिये काम करेंगे।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): आखिर में मैं सिर्फ दो लाइन पढ़ना चाहती हूं:

'मंजिल मिले न मिले, यह मुकद्दर की बात है
हम कोशिश भी न करें, यह तो गलत बात है।'

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापतिजी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक होने का गौरव महसूस करता हूं। (व्यवधान) बीसवीं सदी में जो भी देश आजाद हुए...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। (व्यवधान) पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): आप बोलने तो दें। आप नयों को बोलने तो दें। वे 12-13 मिनट बोले। हम इतना नहीं बोल रहे।

(श्री सुमित गोदारा)

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक होने का मैं गौरव महसूस करता हूं। जब बीसवीं सदी में इतने देश आजाद हुए, उन सबमें कहीं सैनिक तानाशाही आई, कहीं डिक्टेटरशिप आई। भारत में लोकतंत्र सदा जीवित रहा, उसका गौरव महसूस करता हूं। 1975 की इमरजेंसी के अलावा भारत में लोकतंत्र सदा जीवित रहा और आज विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं माननीय सभापति महोदय और मेरी पार्टी के नेता तथा उप नेता का आभार व्यक्त करता हूं।

सबसे पहले, माननीय सदस्य, जिन्होंने कल शिक्षा के ऊपर पेज 22, अनुच्छेद 53 पर विषय जो आया हुआ है, शिक्षा के ऊपर कि राजस्थान की सरकार शिक्षा पर विशेष जोर देगी। अब एक तरफ हम देखते हैं शिव से आये माननीय विधायक कहते हैं कि 70 साल हो गये हमारे गांव में शिक्षा नहीं आई और हम देखते हैं कि 70 साल में से 51 साल कांग्रेस ने प्रदेश में शासन किया। शिक्षा में हमारा प्रदेश क्यों पिछड़ा रहा। जब हम देखते हैं दक्षिण के राज्य केरल वगैरह, पूरे भारत में आगे हैं, पर हमारा राजस्थान शिक्षा में पिछड़ा रहा, इसका दोषी कौन। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 21 साल शासन किया तो आप देखिये कि 1994 में पहली बार प्राथमिक, मिडिल स्कूल खुले तो वह भैरोंसिंहजी शेखावत साहब के समय हमारे भारतीय जनता पार्टी शासन में खुले। 2003 से 2008, जब मुख्य मंत्री वसुन्धराजी थीं, तब प्रत्येक गांव में पंचायत मुख्यालय पर दसवीं का स्कूल खोला गया। इस सरकार ने, हमारी मुख्य मंत्रीजी इस बार आईं, 2013-2018 में, तो 2014 में आते ही पहले साल ही पांच हजार स्कूल क्रमोन्नत किये। शिक्षा में क्रांति लेकर आई, वह भारतीय जनता पार्टी है। मैं पूछना चाहूंगा कि 50 साल तक आपने शिक्षा में काम नहीं किया। आप किस हिसाब से पृष्ठ 22, अनुच्छेद 53 पर लिखते हो कि हम शिक्षा में काम करेंगे। आपकी वजह से ही हमारा राजस्थान पिछड़ा रहा। आपने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। यह इतने स्कूल खुले, गांव की कितनी बच्चियों को फायदा मिला।

माननीय सभापतिजी, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं एक गांव में गया तो वहां पर एक पिता मेरे सामने रोया। वह रोया कि यह मेरी बेटी थी, दसवीं में टोपर थी। पर क्या करें, यहां स्कूल नहीं थे। शहर में छह-आठ हजार रुपये लगते हैं, मैं बच्ची को भेज नहीं सकता था। उसके ये शब्द थे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने बच्चों की शैक्षणिक हत्या की है, क्योंकि इन्होंने कभी स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया। स्कूलों में जो क्रान्ति लेकर आई है, वह

(श्री सुमित गोदारा)

भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आज राजस्थान जो विकास कर रहा है, वह शिक्षा के बदौलत कर रहा है। अंग्रेजी में प्रसिद्ध लाइनें हैं, "If you are planning for a year, sow rice; if you are planning for a decade, plant trees; if you are planning for a lifetime, educate people", व्यक्ति को शिक्षित करने का जिन्दगी भर का काम किया है, वह हमारी प्रदेश की मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी ने किया है। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में शिक्षा को गांव-गांव, ढाणी तक पहुंचाया, वह हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप यह कह रहे हो कि बंद स्कूलों को हम खोलेंगे। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने स्कूल खोले। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मोरदिया (धोद): स्कूल आपने बंद किये, आपकी सरकार ने बंद किये, 16 हजार स्कूल। (व्यवधान)

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): आपने स्कूल ऐसी जगह खोले जहां जाति के नाम पर, मौहल्ले के नाम पर स्कूल खोले। (व्यवधान)

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माद्दा रखो, हकीकत सुनने का। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। (व्यवधान) एक मिनट में बात समाप्त करें आप।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): अभी पूरे नहीं हुए। मैंने घड़ी देखी है पूरी। (व्यवधान)

आपने जो बात रखी चिकित्सा पर, जो कैंसर हास्पिटल की बात चली। मेरे पिताजी बीकानेर में डाइरेक्टर रहे कैंसर रिसर्च सेंटर के। राजस्थान के पहले, पी.जी.आई., चण्डीगढ़ से करके आये। इतना कैंसर फैला। चिकित्सा में हमारा राज्य पिछड़ा रहा, क्यों पिछड़ा रहा। मेरे पिताजी उस समय के हैं, राजस्थान में पांच मेडिकल कालेज थे, जो 1950 के दशक में खोले गये। बीच में आपकी सरकार इतने साल केन्द्र में रही, राजस्थान में रही। आपने क्यों नहीं मेडिकल कालेज खोले। पांच मेडिकल कालेज लगातार चले। छठा मेडिकल कालेज कोटा में खुला, वह हमारे भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने खोला। सातवां वसुन्धराजी ने झालावाड़ में खोला और अब सात कालेज खुले वह हमारी भारतीय जनता पार्टी की मुख्य मंत्री वसुन्धराजी और चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़जी की वजह से खुले।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): आप शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर राजस्थान को पीछे लेकर गये हो। आपके वादे खोखले हैं। आप सिर्फ नारे लगाते हो। आपकी पार्टी का नारा इन्दिरा गांधी ने लगाया, 'गरीबी हटाओ-देश बचाओ', आपने उसके सहारे राजनीति की।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मंत्री अटलजी बनते हैं तो आप नया नारा लेकर आते हो, 'कांग्रेस का हाथ-गरीब के साथ'। जनता ने, प्रेस ने सब जगह आपका मजाक उड़ाया कि चालीस साल आपने गरीबी के नाम पर नाटक किया, तो हाथों-हाथ ही आपने वह नारा पलटा और उसको लिखा, 'कांग्रेस का हाथ-आम आदमी के साथ'। आप सिर्फ नारावादी पार्टी हो। राजस्थान में काम करके जिस पार्टी ने करके दिखाया, वह भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री रफीक खान...(व्यवधान) श्री रफीक खान।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): भारत को विकास पथ पर लेकर गयी, भारतीय जनता पार्टी लेकर गयी। (व्यवधान) इसलिये आप देखो, कांग्रेस के आज लोक सभा में बहुमत, नेता, प्रतिपक्ष के लिये आपके सदस्य नहीं हैं। पिछले पांच चुनावों में आप 100 की सीटें राजस्थान में टच नहीं कर पाये हो, और अगली बार भी यही होगा। (व्यवधान) पिछली बार मिनी बस में आये, और अगली बार टैम्पो में आओगे यहां राजस्थान में।

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): सभापतिजी, एक निवेदन है। (व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। (व्यवधान) मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आदर्श नगर विधान सभा से निर्वाचित हुआ हूं। (व्यवधान) मैं आपका ध्यान कुछ बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा। विराजिये। श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, किसानों को हमारी पार्टी ने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, जो हमने वादा किया था उसके मुताबिक जो ऋण माफी की घोषणा की। आपको ध्यान होगा, सभापति महोदय, नोटबंदी के बाद में जिस तरीके से किसान मर रहे थे, नोटबंदी, जो इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला था, उससे राहत देने के लिये हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने किसानों को जो ऋण माफी दी, वह सराहनीय है। मैं इस घोषणा पत्र का समर्थन करता हूं। नोटबंदी के बारे में एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं:-

'कुछ ऐसे भी मंजर हैं, तारीख की नजरों में,
लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई।'

नोटबंदी का मामला, यह एक ऐसा हादसा है, एक ऐसा अध्याय है, जो हमारी इस जनरेशन में कभी भी हम इससे उबर नहीं पायेंगे। नोटबंदी से 167 आदमी लाइनों में खड़े-खड़े मर गये। भारतीय जनता पार्टी का इस पर कोई जवाब नहीं आता है। इनकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ये बातें तो किसानों के हित की करते हैं, किन्तु सरकार जब किसानों के ऋण माफी की बात करती है तो ये वैल में खड़े होकर बात करते हैं। ये इस बात पर कोई जवाब नहीं देते कि किसानों की बिजली माफी के लिये, किसानों की बिजली की रेट में बढ़ोतरी के लिये आश्वासन दिया है कि हम पांच साल तक नहीं बढ़ाएंगे।

सभापति महोदय, बी.जे.पी. के पूर्व कार्यकाल में वृद्धावस्था पेंशन के लिये लोगों को दर-दर भटकना पड़ता था। वर्तमान सरकार ने न सिर्फ इसे सुदृढ़ किया, बल्कि पेंशन की राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की, जिससे गरीब जनता को राहत मिली है।

इस कार्य से गरीब जनता की दुआएं और जन समर्थन सरकार को मिला है और प्रदेश में खुशहाली का माहौल पैदा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यह देश मना रहा है। प्रदेश सरकार ने 'मनरेगा' को प्रभावित ढंग से लागू करने का बीड़ा उठाया है। गरीबों को राहत देने वाली यह स्कीम पिछली

(श्री रफीक खान)

प्रदेश सरकार की अनदेखी का शिकार हुई, इसको वर्तमान सरकार पुन: मुख्य धारा में लागू करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

'मनरेगा' से रिलेटेड एक बात पर मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। मैं आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की तादाद बहुत है और मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि 'मनरेगा' जैसी कोई स्कीम शहर में गरीब आदमी, अल्पसंख्यक समुदाय और दलित समुदाय के लोग बाग जो गरीब हैं और अति निर्धन हैं, उनके लिए भी इसमें कोई प्रस्ताव किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में हमारे मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का अभियान चलाया गया। यह नारा बाद में जैसा कि बी.जे.पी. की आदत है, इन्होंने केन्द्र में इस नारे को अपने नाम से री-लांच किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, दो मिनट में कैसे होगी?

श्री सभापति: बोलिये-बोलिये, आप बोलिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधीजी ने एम्प्लायमेंट जनरेशन के लिए एक रोड मैप तैयार किया, हमारी सरकार ने इसे लागू करने का वादा किया, मैं इसका स्वागत करता हूं और बहुत सराहना करता हूं। जब राहुल गांधीजी ने इनसे पार्लियामेंट में सवाल पूछा कि आपने दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, उसमें माननीय प्रधान मंत्रीजी यह जवाब देते हैं कि 60 हजार आटो रिक्शा बिके और एक आदमी तीन शिफ्ट में काम करेगा तो तीन आदमी को 60 हजार आटो रिक्शा पर काम मिलेगा और इस तरह से दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, यह हास्यास्पद बातें हमारे प्रधान मंत्री करते हैं। इनका कोई रोड मैप नहीं है।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधीजी, आधुनिक भारत के निर्माता ने नेशनलाइज बैंकों का कम्प्यूटराइजेशन किया, प्रतापजी यहां पर मेरे साथ बैठे हैं, वह गवाह हैं इस बात के कि यही बी.जे.पी. के लोग, आर.एस.एस. के लोग, इन्होंने सड़कों पर आकर कम्प्यूटराइजेशन का विरोध किया और यह कहा गया अगर, मैं इनके स्वर में बताता हूं कि- 'या कांग्रेस पार्टी कम्प्यूटर लानो चाह रही छै कम्प्यूटर आ जावेलो

(श्री रफीक खान)

तो सारा देश का मुनीम बेरोजगार हो जावेला।' मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम्प्यूटर इंडस्ट्री आई, आई.आई.टी. की एजुकेशन आई, साफ्टवेयर इंजीनियर बने, हमारे यहां पर रोजगार बढ़ा। बेरोजगारी बढ़ी तो अमरीका में बढ़ी, बेरोजगारी जापान में बढ़ी, बेरोजगारी यूरोप में बढ़ी और हमारे यहां पर रोजगार का डवलपमेंट हुआ, यह हमारी कांग्रेस पार्टी का विजन है, हमारे अध्यक्ष का विजन है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सब बात का जवाब दूंगा, हुजूर, पूछो तो सही। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी दो दिन पहले कहा कि सारा सामान दूध, मक्खन, घी मिलावटी बिक रहा है और सारी दुनिया जानती है कि चौमूं से आने वाले लोग बाग बहुत फेमस हैं, घी के बदले तेल ले जाते थे।

श्री सभापतिः समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सारा यह मिलावटी गोरखधंधा चौमूं में ही पनपा है। यह चौमूं में ही पनपा है। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप जांच करवाओ न। जांच करवाओ न, आपकी सरकार है। आप जांच करवाओ न। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आज आप यहां मिलावट की बात करते हैं, आप यहां कानून की बात करते हो। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप जांच करवाओ न, आपको मना कौन कर रहा है? आपको मना कौन कर रहा है? आप जांच करवाओ। मैं तो खुद कह रहा हूं कि सरकार कार्यवाही करे। मैं तो खुद कह रहा हूं कार्यवाही करे। इंसान जिंदा रहेगा तो वह कानून भी काम आएंगे और इंसान ही नहीं रहेगा तो वह कानून किस काम का? आप कठोर कार्यवाही करो न। (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य। प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता महोदय। उप नेता महोदय, मुझे मजबूरन आपके सदस्य का नाम काटना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आज आप कानून की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापतिः मैं अलाउ नहीं करूंगा। अब अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: मुझे मजबूरन आपके सदस्य का नाम काटना पड़ेगा। उप नेता महोदय, मुझे आपका नाम काटना पड़ेगा। विराजिये अलाउ नहीं करता, विराजिये आप लोग। उप नेता महोदय, मुझे मजबूरन आपके सदस्य का नाम काटना पड़ेगा। प्लीज, सहयोग करें। विराजिये आप। अंकित नहीं होगा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जयपुर एक कुटीर उद्योगों की नगरी है।

श्री सभापति: पहली बार बोल रहे हैं, बोलने दीजिए न इनको। आप विराजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, जरा तशरीफ रखें। हम आप लोगों से ही सीखेंगे जो आप बोलेंगे। आप हमारे रोल माडल बनेंगे, आप ही आदर्श बनेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। श्री सुदर्शन सिंह रावत।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जयपुर हस्तशिल्प कला उद्योग के लिए फेमस है। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री सुदर्शन सिंह रावत।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये आप।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जयपुर बैडशीट प्रिंटिंग, सांगानेरी प्रिंट की रजाइयां इन सबके लिए फेमस हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, एक मिनट। मेरी यह गुजारिश है कि जयपुर की इंडस्ट्री को एक रिवाइवल पैकेज दिया जाए जिससे यह इंडस्ट्रीज डवलप हों और जयपुर के लोगों को रोजगार मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये। श्री सुदर्शन सिंह रावत। माननीय सदस्य, तीन बजे नेता, प्रतिपक्ष का भाषण है और करीब चार-पांच लोग बोलने वाले हैं। आप लोगों ने आपस में वाद विवाद करके समय का दुरुपयोग किया, मैं इसको ठीक नहीं मानता। आसन की अपनी मर्यादाएं हैं, आप पांच-पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, आप विराजिये। विराजिये आप। श्री सुदर्शन सिंह रावत।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया, हमको मेडन स्पीच देने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं सदन में आज माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने जनता की भावनाओं को समझते हुए जनता के जनादेश के अनुरूप एक जन घोषणा पत्र निकाला और उसको एक नीतिगत दस्तावेज बनाकर सरकार के सामने रखा।

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार सिर्फ मन की बात और मनमानी की बात करती रही। मुख्य मंत्री महोदय ने आम जन की बात की है, यह सराहनीय है। वर्तमान सरकार ने संवेदनशील और पारदर्शी तरीके से काम करने के अपने कमिटमेंट को जन घोषणा पत्र में लिखा है। विपक्ष की नाकामियों के कारण, मुझे यह कहने में काफी संकोच है कि आपकी नाकामियों के कारण यह 40 पेज का जन घोषणा पत्र बनाना पड़ा। अगर आपने अपने पांच साल के कार्यकाल में कुछ किया होता तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा जन घोषणा पत्र कांग्रेस सरकार को बनाना ही नहीं पड़ता।

पूर्ववर्ती सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरी और उन्होंने समाज के सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से भुलावे में रखा, झांसे दिये। अब हमारी जिम्मेदारी है, जनता ने कांग्रेस के लोगों पर विश्वास व्यक्त किया है, हमें पांच साल के कुशासन को खतम करके एक अच्छा शासन देना है। पिछली सरकार के

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

कार्यकाल में जो औसत वृद्धि दर थी, वह घटी, प्रति व्यक्ति आय घटी, कृषि क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई, राजकोषीय घाटा बढ़ा और भ्रष्टाचार में भी काफी बढ़ोतरी हुई।

हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीजी के वादे के अनुसार कांग्रेस सरकार ने दस दिन के भीतर किसानों का कर्जा, दो लाख का ऋण माफ किया। सभी तरह के बैंकों का ऋण माफ किया जबकि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्ज माफी में दो हजार करोड़ की ही सहायता दी और बाकी का कर्ज माफ नहीं किया। पिछली सरकार पर मैं एक और आरोप लगाना चाहूंगा कि अधूरे तरीके से कर्ज माफ किया गया। कर्ज माफी में काफी गड़बड़ियां और अनियमितताएं हुईं और आज भी यह सदन में जो हड़बड़ी कर रहे हैं कि कर्ज को आज के आज माफ किया जाए, जल्दी से जल्दी माफ किया जाए, यह हड़बड़ी हमेशा गलतियां करवाती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): प्रशासनिक दृष्टि से काफी गलतियां होती हैं। हम यह चाहते हैं कि यह सरकार पिछली गलतियों से सबक लेकर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाए, जिसमें ऋण माफी में अन्नदाता को, आखिरी किसान को, अंतिम किसान को पूर्ण राहत मिले और जिस कार्य के लिए किसान की कर्ज माफी को लाया गया है उसका असली फायदा उन्हें मिले।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): मैं पेयजल के बारे में भी कहना चाहूंगा कि मैं राजसमन्द जिले से आता हूं। भीम-देवगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के हालात बहुत खराब हैं। दुर्भाग्य से राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या हैं, जो पहले मंत्री भी रहीं, उनके कार्यकाल में भी पांच साल भारतीय जनता पार्टी सरकार के बावजूद पूरे राजसमन्द जिले में किसी तरह की कोई पेयजल योजना नहीं आयी। उसके विपरीत एक कीर्तिमान योजना भीलवाड़ा में माननीय महोदय चम्बल का पानी लेकर आये। ऐसी की ऐसी योजना भीम और देवगढ़ की जनता के लिये भी आये, यह मैं आसन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): सर दो मिनट। खनन क्षेत्र में भी बहुत बड़ा गैप रखा गया है। जो माइनिंग पालिसी बनायी गयी।

श्री सभापतिः समाप्त करें। समाप्त करें। श्री लाखन सिंहजी।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): जो माइनिंग पालिसी थी उसमें स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया गया और उनको उसमें किसी भी तरह से शामिल नहीं किया गया। कृपा करके सरकार इस मामले में सभी स्टेक होल्डर्स को भी साथ में ले। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री लाखन सिंह। माननीय सदस्य, आप सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं।

श्री सभापतिः दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। मजबूरी है, तीन बजे नेता, प्रतिपक्ष बोलेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, नेता, प्रतिपक्ष तो पूरे दिन बोलते ही हैं।

श्री सभापतिः प्लीज, प्लीज विराजिये आप, विराजिये।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के अवसर पर दो-तीन समस्याएं हैं, मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं। हमारा करौली विधान सभा क्षेत्र ग्राम और ढाणियों में बसा हुआ है और ऊबड़-खाबड़ डांग क्षेत्र है। इसमें पेयजल की बड़ी समस्या है। इसमें सिर्फ हैण्ड पम्प हैं, जब जल स्तर नीचे चला जाता है तो वह सूख जाते हैं। इसलिये पानी की बड़ी समस्या है और हमारे यहां पहले जो योजना बना रखी है, वह योजना आज भी चालू नहीं है। जल योजना, डूंडापुरा-अखोलपुरा, जिसमें 92 लाख का खर्चा किया हुआ है और एक है भावली-दिमनपुरा-छिंडपुरा 52 लाख का खर्चा है। महुआ-खेड़ा-रतियापुरा 3 लाख 18 हजार का खर्चा है। विगत पांच साल से जो लागत लगी हुई है, वह अधूरी पड़ी हुई है। हमारी एक बहुत पुरानी मांग है पांचना बांध की। पांचना बांध करीब 2006 से बंद पड़ा है और इसमें सरकार की लागत लगी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पांचना बांध को खुलाए। पिछली सरकारों में भी यह पांचना बांध नहीं खुला, इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पांचना बांध को खुलाया जाए और इस पांचना बांध में पानी चम्बल से लाया जाए। इसमें जो बांध हैं आगरी बांध, जगर बांध, उनमें पानी डाला जाये जिससे हमारे क्षेत्र का पेयजल स्तर ऊंचा हो और सिंचाई के लिये भी पानी काम में आ सकता है।

(श्री लाखन सिंह)

(14.53 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

एक हमारी समस्या है, करौली जिला राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में से है, जो डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जहां लोग दूरदराज से डांग क्षेत्र में गांवों से मुख्यालय तक आते हैं, वर्ष 2012 में कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण बस सेवा शुरू की थी, जिसे 2017 में भाजपा सरकार ने बंद कर दी। हमारा निवेदन है कि इस ग्रामीण सेवा बस को चालू किया जाए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) 2012 में कांग्रेस सरकार ने जिला मुख्यालय पर करौली को रोडवेज आगार का दर्जा दिया था तथा वहीं पर वर्कशाप खोला जाए। वह कागजों में आज चालू है, लेकिन मौके पर देखें तो आज भी बंद है। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस आगार को खोला जाए। हमारे यहां जो सड़कों की स्थिति है, नया जिला बना है तो सड़क के खड्ड़े पड़े हुए हैं। हमारे यहां एक तीर्थ स्थान है कैला देवी का। कैला देवी जाने वाली सड़कों को भी ठीक किया जाए।

श्री अध्यक्ष: कृपया वाइंड-अप करें माननीय सदस्य।

श्री लाखन सिंह (करौली) थैंक यू, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारी लाल। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय अध्यक्षजी, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहूंगा पैरा नंबर-4 की ओर, पिछली सरकार ने 50 हजार के कर्जे माफी की बात की थी। मगर कुछ राइडर डालते हुए जहां 8 करोड़ माफ होने थे, उनके द्वारा मात्र 2 करोड़ माफ किये गये। इसी प्रकार अभी 2 लाख कर्ज माफी की बात की है, अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से इस मौके पर कहना चाहूंगा कि क्या डिफाल्टर एवं बिना डिफाल्टर दोनों को ही फायदा दिया जाएगा? दूसरी बात, पेज-9 के पैराग्राफ-22 पर विद्युत कनेक्शन देने की बात की है। निश्चित रूप से सरकार ने यह कहा है कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, मगर साथ में अध्यक्षजी, बूंद-बूंद श्रेणी के कृषि कनेक्शन, विशेषकर बीकानेर जिले में हैं। पिछली सरकार ने बिजली दरें कम करने की बात कही थी, मगर बूंद-बूंद श्रेणी के कनेक्शनों की दरें वापस नहीं लीं, मैं बूंद-बूंद श्रेणी के कृषि कनेक्शन की दरें कम करने के लिये भी आपसे निवेदन करूंगा।

(श्री गिरधारी लाल)

माननीय अध्यक्षजी, राजस्थानी भाषा के अंदर मैं जब शपथ लेने जा रहा था तो महोदय ने टोका। माननीय अध्यक्षजी, ग्यारहवीं विधान सभा में माननीय परसराम जी मदेरणा थे, उस समय सर्वसम्मति से सदन ने पारित किया था राजस्थानी भाषा के लिये, निश्चित रूप से राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त कराने के लिये इसमें शामिल करवाया जाए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: जोगेश्वर गर्ग। माननीय सदस्य, चार मिनट में आप अपनी बात करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, चार साल पहले जब पंचायती राज चुनाव की घोषणा हुई थी और आरक्षण की लाटरी निकली तो मेरे जालौर पंचायत समिति की प्रधान की सीट आयी थी एस.टी. महिला की। मेरे क्षेत्र में दो जिला परिषदें की सीटें एस.टी.- एक पुरुष, एक महिला। मुझे चिंता लगी कि सरकार ने शैक्षिक योग्यता अनिवार्य कर दी है, पंचायत समिति और जिला परिषद का मैम्बर बनना है तो दसवीं पास चाहिये और सरपंच बनना है तो आठवीं पास चाहिये। मेरे वहां भील समुदाय है। बहुत चिंता लगी और खोजबीन शुरू की तो मेरे आश्चर्य का पारावार नहीं रहा और दोनों जिला परिषद सीटों पर मुझे एक पुरूष और एक महिला, जो कैंडिडेट चाहिये थे, दोनों एक लड़का ग्रेजुएट था, लड़की पी.जी. कर रही थी और बी.एड. कर चुकी थी। पंचायत समिति के लिये मुझे प्रधान चाहिये था, दो सीटें थीं रिजर्व और दोनों जगह मुझे भील समाज की दो लड़कियां मिलीं। एक बारहवीं पास थी और दूसरी ग्रेजुएशन कमप्लीट कर रही थी। शैक्षणिक योग्यता लागू की, तब यह प्रतिभाएं बाहर आयीं। हमको पता चला कि इन लोगों में भी कितने पढ़े-लिखे लोग तैयार हो गये और एक नई लीडरशिप डवलप हुई थी राजस्थान में, एस.सी और एस.टी. में खासकर। पुराने अगूंठा छाप लोगों को, कांग्रेस ने विशेषकर अंगूठा छाप लोगों को आगे बढ़ाने का जो एक अभियान चला रखा था, न एम एल ए में पढ़े-लिखे लोगों को आने देते थे, न एम.पी. में पढ़े-लिखे लोगों को आने देते थे, न पंचायत समितियों में, न ही जिला परिषदों में और न ही पंचायतों में। वहां पर एक नई लीडरशिप, पढ़े-लिखे लोगों की, योग्य लोगों की डवलप हुई थी। हजारों की संख्या में एस.टी. रिजर्व, एस.सी. रिजर्व सरपंच दसवीं पास और बी.ए. पास निकलकर आये और वह बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। जब अनपढ़ लोग थे, मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पंचायत की सरपंच रही हुई ओबीसी की महिला, चूंकि अनपढ़ थी, कहीं गलत जगह अंगूठा-दस्तखत हो गये, उसके खिलाफ केस बना, पुलिस केस बना और वारंट निकला। वह अपने घर से पिछले दस साल से बाहर है, गुमनामी की जिंदगी जी रही है। अपने पोते-पोतियों से मिलने यदि घर आ गयी, अपने दोहितों से मिलने आ गयी तो पुलिस पकड़कर ले जाएगी इसलिये वह 10-12 साल से अपने घर से गायब है, जान-बूझकर उसको गायब होना पड़ रहा है। उस परिस्थिति को आप वापस लाना चाह रहे हैं। इस सरकार ने आते ही यह प्रतिगामी कदम उठाये। अच्छा होता आप जब दसवीं पास है जिला परिषद के लिये और एम.एल.ए. के लिये बारहवीं पास तो करते और एम.पी. के लिये बी.ए. पास तो करते। यदि यह किया होता तो आपकी वाहवाही होती। लेकिन आपने जो कदम आगे बढ़ गया था, उसको भी पीछे हटाने का काम किया है। यह एक तरह से एस.सी. और एस.टी. की नई लीडरशिप के प्रति षड्यंत्र है।

(15.00 बजे)

आप सिर्फ अंगूठा छाप लोगों को चाहते हैं। जैसे हमारे लोक सभा के माननीय सदस्य रहे हैं, बिरधा राम जी फुलवारिया जालौर से, 1980 में रिकार्ड मतों से जीते थे। वह बिलकुल अंगूठा छाप थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): वैसी लीडरशिप आप दुबारा लाना चाह रहे हैं। यह आपने बहुत ही गलत काम किया है।

दूसरा, किसानों के...

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक मिनट दे दो प्लीज। कन्क्लूड कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं प्लीज। अब नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप उदारमना हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I am sorry. Please don't disturb.

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सिर्फ एक मिनट दे दो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं। धन्यवाद। माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): प्लीज, सिर्फ एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप सीनियर आदमी हैं प्लीज।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मेरे नेता महोदय के समय में से एक मिनट ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: टाइम लिमिट से ज्यादा एक्सक्यूज किया है मैंने।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जालौर में एक भारतमाला परियोजना का...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री अध्यक्ष: गलत नहीं है, ठीक है। आप चैलेंज मत करिए अध्यक्ष पद को। प्लीज बैठिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री अध्यक्ष: बैठें आप। माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता को ही बैठा रहे हैं आप। कैसे सदस्य हैं आप? प्लीज। अंकित नहीं होगा जोगेश्वरजी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री अध्यक्ष: ज्यादा और कम होता रहेगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण वैसे तो सरकार का अगले वर्ष का एक आईना होता है, एक नीति होती है, एक प्रगति का मापदण्ड होता है।

अध्यक्ष महोदय, पक्ष और विपक्ष ने अभिभाषण पर भाषण नहीं दिया, डिबेट पर भाषण दिया। मैं बुराई करूंगा, वे अच्छा ही करेंगे। उन्होंने किया, सब खराब किया, मैंने किया, सब अच्छा किया। इसकी तुलना तो तब हो सकती है कि जिस पार्टी को पचास वर्ष इस राजस्थान की तरक्की का मिला हो और हमको केवल बीस वर्ष मिला हो। अच्छा हो, एक दिन इस बात की डिबेट हो जाए कि आपने पचास वर्ष में इस राजस्थान को क्या दिया और हमने बीस वर्ष में इस राजस्थान को क्या दिया। अपने-अपने पक्ष से पूरी तैयारी करके आएं, पूरे विषय को डिस्कस करें और उसके आधार पर आकलन करें कि वास्तव में हम जो कह रहे हैं, वह भाषण प्रतियोगिता कर रहे हैं या

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हकीकत के धरातल पर देखना चाहते हैं। अगर यहां हम आंख बन्द करके डिबेट करते रहेंगे तो आपका और मेरा भला हो सकता है, पर राजस्थान की सात करोड़ जनता का भला नहीं हो सकता है। उस भले के लिए आपको जो सच है, उसको सच कहना पड़ेगा। जो कमी है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा और उसको सुधारकर आगे चलना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इस अभिभाषण में बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, पैरा 6 में, लोकतंत्र में आम नागरिक का कल्याण निर्वाचित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गत सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार की कमियां ढूंढ़ने जैसे निरर्थक मुद्दों में ही भटकी रही। आपने हमारे लिए तो बहुत अच्छा कहा कि उसमें भटकते रहे। आपका यह जो भाषण आया राज्यपाल महोदय का, इसमें 12 जगह आपने पिछली सरकार को कोसने का प्रयत्न किया। यह निरर्थक नहीं है? एक तरफ आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो कि हम यह करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपने इसमें जो कुछ भी लिखा है, इसमें 12 पैराज ऐसे हैं जिनमें आपने पूर्व सरकार को कोसने का प्रयत्न किया।

पैरा 6 में आपने लिखा है कि लोकतंत्र में आम नागरिक का कल्याण निर्वाचित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गत सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार की कमियां ढूंढ़ने जैसे निरर्थक मुद्दों में भटक गयी। परिणमस्वरूप, आप इसके बारे में थोड़ा-सा अपने अधिकारियों को कहना कि जब कभी तैयार करें तो पूरे कागज देख कर तैयार करें, वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में स्थिर मूल्यों पर वार्षित औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.16 प्रतिशत से घटकर 2014-15 से 2017-18 की अवधि में मात्र 7.19 रह गयी।

अध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास आपके द्वारा भिजवायी गयी आर्थिक समीक्षा 2010-11 में जो आपने आंकड़े लिखे हैं, इसमें लिखा है कि सकल राज्य घरेलू उत्पादन आर्थिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 2009 से लेकर 2011 तक आंकड़ा इसमें है। इसके बाद वाली आर्थिक रिपोर्ट में उसके आगे का आंकड़ा है और इस प्रकार से फिर तीसरी है।

अब मैं इसका थोड़ा-सा स्पष्ट करना चाहता हूं। जिस अधिकारी ने भी बनाया, थोड़ा-सा उसको बताएं कि या तो यह किताब गलत है या जो आप दे रहे हैं, वह सही है। इसका विश्लेषण होना चाहिए। 2009-10 में आर्थिक वृद्धि दर थी 4.3, 2010-11 में थी 9.69, उसके बाद 2011-12 में थी 6.1, उसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बाद 2012-13 में थी 5.3 और उसके बाद 2013-14 में थी 6.97, यह सारा मिलाकर आप टोटल करके इसमें पांच का भाग देंगे तो 6.1 विकास दर आती है। आप इसमें 8.1 लिख रहे हो। उसके बाद आगे का जो लिख रहे हो आप कि 2014 से लेकर 2018 तक, मैं इस आर्थिक रिपोर्ट से ही बता रहा हूं 2014-15 में 7.2, 2015-16 में 6.9, 2016-17 में 7.3 और 2017-18 7.1 यह सारा मिलाकर आपने लिखा है वह फीगर तो सही है लेकिन जो आपने आपना फीगर बताकर इस अभिभाषण को प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया, उसके बारे में आपकी यह किताब ही बता रही है, आप लिख रहे हो कि आपके समय में वृद्धि दर 8.1 थी, यह नहीं है। हमारा जो आप बता रहे हो, बिलकुल 7.1 है, वह इस किताब से मिल रहा है। तो यह किस प्रकार की बात कहकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? थोड़ा-सा आप अपने अधिकारियों से पूछो। केवल और केवल हमारी कमी ढूंढ़ना और उसको आधार बनाकर राज्यपाल महोदय जैसे से कहलवा देना, यह क्या सामान्य भूल है या कुछ और है?

अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा, पैरा नम्बर 9 बताया है। पूर्ववर्ती सरकार ने 03 लाख करोड़ ऋण भार छोड़ा। यह तो निश्चित रूप से सही है लेकिन आप अपने पुराने को भी देखो कि पिछली सरकार के समय में जब हमने सरकार छोड़ी थी तब आपके पास कर्जा था 70 हजार करोड़ रुपये। जब आपने सरकार छोड़ी थी उस समय कर्जा हो गया 01 लाख 30 हजार करोड़। लगभग डबल है। अब इसमें कलाकारी क्या की, मतलब अपने आंकड़ों को फिट करने के लिए आपके अधिकारी कितना दिमाग लगाते हैं, आपने 80 हजार करोड़ रुपये का जो विद्युत निगम के ऊपर कर्जा था, उसको एक साइड में रख दिया ताकि उन दोनों को जोड़ें तो आप 2.10 के कर्जे में पहुंच जाते हो। उस कर्जे को हमने लिया और उस 80 हजार करोड़ में से 62 हजार करोड़ रुपया राज्य के खजाने से भरकर जो विद्युत कम्पनियां एकदम दिवालिया हो गयी थीं, इनको कोई लोन देने को तैयार नहीं, इनको कोई अग्रिम पैसा देने को तैयार नहीं और इसलिए उनको बचाने के लिए उदय योजना के तहत हमने 62 हजार करोड़ रुपया राज्य के खजाने से भरकर पूर्ति की है। अगर आप 62 निकाल दो तो फिर 1.40 ही रहता है। 1.40 ही रहता है न? तो आप कर्जे के बारे जिस प्रकार की बात बता रहे हो, वास्तव में यह ठीक नहीं है।

फिर आपने लिखा कि आर्थिक प्रबन्ध, कैपिटल आउटपुट, जीएसडीपी अनुपात, हमारी सरकार के समय हमेशा बढ़ा है। यह आंकड़ा बता रहा है 1999 से लेकर 2003 तक 1.95 प्रतिशत था। फिर 2003 से 2008 तक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमारे समय में 2.96 प्रतिशत था। उसके बाद 2008 से 2013 आपकी सरकार रही, वापस 1.07 हुआ और उसके बाद 2013 से 2018 तक हमारी सरकार रही, 2.72 रहा। इसका मतलब कहीं भी कमी नहीं थी लेकिन केवल और केवल इसलिए कि हमने किया, उसको गलत ही किया। यह साबित करने का जो प्रयास किया है, यह उचित नहीं है। आंकड़ा न तो आप बदल सकते हैं और न मैं बदल सकता हूं। जो कुछ है वह किताब में लिखा है। उसी के आधार पर होगा।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने किसानों की ऋण माफी को लेकर बहुत बड़ा तूफान मचाया। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक पूछता हूं कि आपने पचास साल तक राज किया, ऐसा साल मुझे आप बता देना, जब आपने किसान की एक फूटी पाई माफी की हो। केवल एक समय जब चिदम्बरमजी सरकार में थे, मनमोहन सिंहजी की सरकार थी, उस समय कुछ पैसा हमारे राजस्थान में आया। उससे कुछ किसानों का कर्जा माफ हुआ। इसके अतिरिक्त क्या है? लगान माफ किया तो भैरोंसिंहजी ने, चौदह कलम का टैक्स खतम किया तो भैरोंसिंहजी ने, अगर लेवी खतम की तो भैरोंसिंहजी ने।

अगर दस हजार तक का कर्जा माफ किया तो भैरोंसिंह जी ने, अगर बिजली का मिनिमम चार्ज खतम किया तो भैरोंसिंह जी ने। आपके खाते में क्या है? आप बार-बार जिस बात को गिना रहे हो कि हमने 50 हजार तक का कर्जा माफ किया, वह कर्जा माफ नहीं, मैं आपको दावत देता हूं कि एक किसान का नाम निकालकर ले आओ, जो हमने संख्या दी है वह तो 29 लाख 30 हजार दी लेकिन एक्चुअल में जो कर्जा माफ हुआ या जिनको हमने प्रमाण पत्र दिया वे 27 लाख समथिंग है। इन 27 लाख समथिंग में जिनको हमने प्रमाण पत्र दिया अगर उनमें से कोई आदमी और किसान ऐसा ढूंढ़कर ले आओ कि हमने उसको प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो हम आपकी बात को मान जाएंगे कि वास्तव में हमने आपको गलत आंकड़े दिये।

आप इसको बार-बार जिस प्रकार से झुठलाने का प्रयास कर रहे हो कि आपके पास पैसे तो हैं ही नहीं, कोई जरूरी है, पैसे कहां से आएंगे, यह तो हमारा काम था लेकिन हमने उस किसान को दिया है। पैसा हम कहां से लाये, कैसे लाये, क्या नहीं लाये, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं पैसे कहां से आये।

आपने देखा होगा कि दो हजार करोड़ रुपया तो आपने कहा राज्य सरकार के फंड से दिया, ठीक है। बाइस सौ करोड़ रुपया हमने नेशनल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोआपरेटिव डवलपमेंट कारपोरेशन से कर्जा लेकर किया। सरकार ने यह गारंटी दी कि इसका ब्याज और इसका बाकी जो भी कुछ आएगा राज्य सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है और यह लोन लेने का हमेशा है इस सहकारी डिपार्टमेंट में, कौनसी नई बात है? आप माफ करोगे तो क्या बिना इधर-उधर से लिये करोगे? कोई जेब में होगा तो ही तो निकालोगे, नहीं होगा तो किसी से लाकर दोगे न? इसके बाद भी आपने लिखा, 600 करोड़ रुपया हमने अपेक्स बैंक, जो राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक है, उसकी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से लिये हैं। लगभग एक हजार करोड़ रुपया राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पास जो डिपोजिट पड़ी हुई थी, उसके अगेंस्ट में लेकर हमने उसको किया। इसके साथ-साथ आपने देखा होगा कि जब हमने यह कर्जा माफ किया था तो यह लगभग सितम्बर-अक्टूबर के महीने में चला, अगस्त महीने के बाद चला। उसके पहले जो किसान लोनी थे, उन किसानों ने अपना पैसा जमा करा दिया और जमा कराने के बाद उस समय जो पैसा हमारे पास आ चुका था उसके अगेंस्ट में हमने फिर नाबार्ड से लोन ले लिया। तो लोन लेकर यह सारा मिला करके हमारे पास जो पैसा उपलब्ध हो गया वह 9500 करोड़ रुपया हो गया।

यह जो बार-बार हर कोई खड़ा होकर भाषण ठोक रहा है जैसा लिखा वैसा का वैसा कि केवल दो हजार था, केवल दो हजार था, यह दो हजार बिना व्यवस्था के कैसे हो सकता है? हमने सब किसानों को 6100 से अधिक कैम्प लगा करके इन सारे लोन के सर्टिफिकेट का डिस्ट्रिब्यूशन किया है। मैं चाहता हूं कि जब नेता इस सदन में जवाब दें तो इस बात का जवाब दें कि हमने 50 हजार तक का जो कर्जा माफ किया था उसमें राजस्थान का कोई किसान बाकी रह गया क्या जिसको हम सर्टिफिकेट नहीं दे पाये या जिसकी पैसे की व्यवस्था हम नहीं कर पाये।

अध्यक्ष महोदय, बार-बार किसान के बारे में हर दृष्टि से बात कहते हैं। मैं बार-बार इस बात को आग्रहपूर्वक कह रहा हूं कि यह आपने दस दिन में कर्जा माफ करने का जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया, इसका पता आज नहीं लगेगा, आपको थोड़े दिने में पता लग जाएगा। क्योंकि आखिर आप किसी को लम्बे समय तक के लिए मूर्ख नहीं बना सकते हो, क्षणिक बना सकते हो। एक, दो, दस, यह बना सकते हो लेकिन आखिर यह आएगा कहां से? आखिर यह आएगा कहां से, कहां से यह पैसे की व्यवस्था होगी? उसमें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी शब्द यह लिखा है कि सम्पूर्ण कर्जा माफ। अब सम्पूर्ण कर्जे में क्या आता है? सम्पूर्ण कर्जे में कोआपरेटिव आता है, या भूमि विकास बैंक आता है, या अरबन कोआपरेटिव बैंक आता है, या राष्ट्रीकृत बैंक आता है, कौन-कौन आता है? जिस एजेंसी से भी किसान ने कर्जा ले रखा है वह सारा किसान का कर्जा सम्पूर्ण कर्जा होता है। उस सम्पूर्ण कर्जे में आपने 19 तारीख के दिन मीटिंग करके निकाल दिया। मैं सोचता हूं आप जब जवाब दें तब इसका निश्चित रूप से दें।

हम लोगों ने किसान के साथ धोखा नहीं किया है। मैं आज भी आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हमने किसान की पीड़ा को समझा क्योंकि इस हिन्दुस्तान में इन 70 साल की आजादी में सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी के साथ हुआ तो हिन्दुस्तान के किसान के साथ हुआ। वह खेती कर रहा है, यह आप पर और मुझ पर मेहरबानी है। जिस दिन वह हाथ खड़ा कर देगा न उस दिन उसको मनाने जाना पड़ेगा कि खेती करे तो हमारा पेट भरेगा। वह स्थिति आएगी क्योंकि खेती घाटे का सौदा हो गया। जब मैं बच्चा था तब हमारे गांव में यह कहावत थी कि 'उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी', अब आपने 70 साल में इसका उलटा कर दिया, 'उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार, नीच खेती।' इसका जिम्मेदार कौन है? 50 वर्ष तक राज करें, दिल्ली में 55 साल तक राज करें और किसान के बारे में कोई नीति नहीं बना सकें जिससे कि वह अपनी मेहनत से अपना पेट भर सके। केवल हम ही लोग आनंद का मजा लेंगे, वह अपना सर फोड़ता रहेगा वहां तावड़े की लाई में और सर्दी में मर रहा है। अगर आज भी आप कहीं किसान का घर देखना चाहो तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं, एक चौथी के बच्चे को गेरू और एक कलम दे देना। उसको कहना, बेटा, गांव में घूम और जहां-जहां टूटा-फूटा मकान दिखे, जहां खपरैल दिखे, जहां बांका-टेढ़ा मकान दिखे उसके लिख आना यह किसान का मकान है। अगर उसकी नौकरी है, अगर उसका व्यापार है तो मकान ठीक होगा। उस हालत में छोड़ने का दोषी कौन है? पचास-पचपन साल तक राज करने वालों का कोई दोष नहीं है, हम बीच में आ गये इसलिए सारा दोष आपने हमारे माथे मढ़ दिया। हमने जो कर्जा माफ किया उसका मैंने आपको हिसाब बताया।

टी.एस.पी. क्षेत्र में हमने समस्त लघु और सीमांत कृषकों का सहकारी भूमि विकास बैंकों का ओवर ड्यू जितना भी ऋण था उस पर जो भी ब्याज और पैनल्टी लगी थी उसको भी हमने साथ-साथ माफ किया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सरकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में किसान को पहले 50 हजार रुपया देती थी, हमने उसको बीस गुना बढ़ा करके दस लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल बीमा दिया, क्या गलत काम किया? क्या हमने गलत काम किया? मैं सोचता हूं कि हम लोगों का ...(व्यवधान)

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह कौनसे किसान की बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रमेश जी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप उनको बैठाइये। बैठाइये आप उनको।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उनको बैठाइये।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमें भी बोलना आता है, हमारे भी जबान है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह कहा था लटककर मर गया तो मैं क्या करूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): उनको बैठाइये पहले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कौनसे किसान की बात कर रहे हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मुआवजा नहीं दे पाये हो आप पहले। कौनसी बात कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय राठौड़ साहब। यह काम मेरा है, आप मेरे पास ही रहने दीजिए, आप अपने हाथ में मत लीजिए। माननीय मंत्रीजी, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इनका कहना सही है, वास्तव में मैंने हल नहीं चलाया, इसमें कोई दोराय नहीं लेकिन मैं वहां रहता हूं और उस आदिवासी क्षेत्र में घूमता हूं जहां मेरी जिंदगी के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चालीस वर्ष बीते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अनजान आदमी हूं। इस तरह के तर्क-वितर्क करने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा कि मैंने हल हांका कि नहीं हांका। मैं सही कह रहा हूं, नहीं हांका। इसका मतलब मैं किसान को नहीं समझता हूं क्या। चालीस साल तक यहां इस विधान सभा में बैठने का लाभ क्या है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, नहीं, प्लीज, नहीं बोलेंगे। प्लीज, नहीं बोलेंगे। माननीय मंत्रीजी, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे, प्लीज। आप खुद सीनियर सदस्य रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं जब नहीं बोलेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): रिलेवेंट तो बोलें कम से कम। यह क्या तरीका हुआ? (व्यवधान) यह क्या तरीका हुआ, साहब।

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब, आपका काम नहीं है। (व्यवधान) यह आपका काम नहीं है। आपका काम नहीं है, बार-बार आप कर रहे हो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): रिलेवेंट बोलिये न, सुनेंगे हम, बिलकुल सुनेंगे हम। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम नहीं बोलने देंगे नेता को एक शब्द। इस गुमान में मत रहना, 22 नहीं हैं हम 73 हैं। हम 73 हैं, नेता को नहीं बोलने देंगे एक शब्द। (व्यवधान) होओ खड़े, होओ खड़े, बात करते हो।

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब, आप बैठिये। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, बैठिये। माननीय राठौड़ साहब, मैं आपको कह रहा हूं, अध्यक्ष के काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, अध्यक्ष अभी चुपचाप नहीं बैठा हुआ है। आप भी कष्ट करके अपनी भूमिका को सीमित रखिये। मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष का काम अध्यक्ष ही करेगा। मेरी जिम्मेदारी है कि प्रतिपक्ष के नेता को कोई टोके नहीं, यह काम आपका नहीं है। फिर मैं आपको विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं, आप कृपा करके सदन में अध्यक्ष की जो गरिमा है उसको बना रहने दें, अध्यक्ष का काम अध्यक्ष को करने दें। प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, नहीं। माननीय मंत्रीजी, बैठकर नहीं बोलेंगे। माननीय मंत्री जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता और आप सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने एक नवम्बर के दिन एक निर्णय किया और यह निर्णय था कि दस हार्स पावर तक का जिनका भी बिजली कनेक्शन है उनका दस हजार रुपया सरकार भरेगी, उसके बाद एक्स्ट्रा आएगा तो भरेगा, क्या यह किसान के लिए नहीं था? क्या यह किसान के लिए नहीं था? इसी तरह से आपने देखा होगा कृषि कनेक्शन के बारे में पिछले चार वर्षों में हम लोगों ने 62 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण दिया और अब इस साल के अंत तक हमने जो अल्पकालीन कर्जा दिया वह 80 हजार करोड़ है। अगर आपके पूरे 50 साल के अन्दर भी आप किसान को जोड़ लो और यह 80 हजार कवर हो जाए तो मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूं कि वास्तव में आप लोगों ने किया। केवल किसान के नाम से आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, फील्ड में क्या हुआ, उसको हमें देखना पड़ेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने देखा था क्या फील्ड में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये घड़ियाली आंसू मत बहाओ आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य, प्लीज, आप बैठें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप +++ बोल रहे हो, +++

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठें, प्लीज बैठें। (व्यवधान)आप इनसे कम्पीटिशन कर रहे हैं क्या? आप इनसे कम्पीट क्यों कर रहे हैं?

माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, कृपया प्रतिपक्ष के नेता और लीडर आफ हाउस बोले तो इंटरवीन न करें, मुझे अनप्लीजेंट काम करना पड़ेगा, मुझे बाई नेम काल करना पड़ेगा। (व्यवधान) आप न तो बैठे-बैठे बोलेंगे और न इंटरवीन करेंगे।

माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमने जो 62 हजार तक का लोन दिया और साल के अंत में 80 हजार, आपके पास किताबें हैं, आप उसमें से देख लो कि वास्तव में अल्पकालीन ऋण दिया कि नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो वापस जब जवाब दें तो बता दें कि आपने जो फीगर बताया वह गलत बताया। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि पंचायती राज का पुनर्गठन इस राजस्थान में जब भी हुआ, दोनों बार, भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। बाकी कांग्रेस ने पंचायती राज पुनर्गठन किया है क्या? अगर पंचायती राज पुनर्गठन किया है तो वह साल और तारीख बता दें कि हमने इस साल और तारीख में पंचायती राज का पुनर्गठन किया। हमने छोटी पंचायतें बनाने का प्रयास किया, हमने नई पंचायत समितियां बनाने का प्रयास किया ताकि विकास उस छोर तक पहुंच सके जिस छोर के लिए लोग इंतजार करते हैं। मैं सोचता हूं कि इस बार भी केवल और केवल चार महीने में हमने पंचायती राज का पुनर्गठन करके 47 नई पंचायत समितियां बनाईं और हमने 723 नई पंचायतें बनाईं। आपने अपने कार्यकाल में अगर कभी पंचायती राज का पुनर्गठन किया हो तो वह साल बता दें, मैं तो इतना ही जानना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आपने देखा होगा पैरा नम्बर 27 में आपने व्यक्त किया है कि पंचायती राज एवं स्थानीय चुनाव की शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): 000 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा, कृपया बैठ जाएं आप। (व्यवधान).

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: मैं अकेला ही काफी हूं। आपकी सहायता की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही कर लूंगा। (व्यवधान) मैं अकेला ही यह काम कर लूंगा। (व्यवधान) मैं अकेला कर लूंगा यह काम, आप बैठ जाएं माननीय सदस्य।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, मुझे फिर बाई नेम कहना पड़ेगा, मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूं आपको, आप कृपया नियमों का पालन करें। प्रतिपक्ष के नेता के बीच में इंटरवीन न करें। जिनको नहीं सुनना है वह सदन से बाहर जा सकते हैं, कृपया नियमों का पालन करें।

नेता प्रतिपक्ष।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के पैरा नम्बर 27 में इन्होंने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है, वह यह है कि पंचायती राज और नगर परिषद में जो शिक्षा को जोड़कर हमने जन प्रतिनिधि को जोड़ने का प्रयास किया उसको आप खतम करने का बिल ला रहे हैं। माननीय सदस्य, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में 58 साल के बाद भी और देश की आजादी के 70 साल बाद भी अगर हम इन जन प्रतिनिधियों को शिक्षा के साथ जोड़ते हैं तो अपराध क्या है? आपको लगता है कि एमएलए और एमपी की शिक्षा नहीं है, तो उनको कोई जरूरत नहीं है न तो वह कोई चैक काटते हैं और न कोई दस्तखत करते हैं। न किसी रिकार्ड पर उनका दस्तखत होता है लेकिन यह जो जन प्रतिनिधि हैं चाहे वह सरपंच हो, चाहे वह प्रधान हो, चाहे वह जिला परिषद में प्रमुख हो, उनको करोड़ों रुपयों के लेन-देन के ऊपर दस्तखत करने पड़ते हैं। चूंकि मैं पंचायती राज मंत्री रहा था और उस समय मैंने किया था, उसका कारण यह था कि जब कभी भी कोई मां पेशी पर जाती थी तो बड़े भोलेपन से कहती थी, वह यह नहीं जानती थी मैं मंत्री हूं, भाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको सच कह रही हूं, मुझे दो हजार रुपये सचिव साहब ने दिए और कहा कि अंगूठा लगा तो मैंने वहां-वहां लगा दिया। तब मेरे मन में आया कि इसका कोई दोष नहीं है। वह यह कहती थी कि आपकी मर्जी हो तो सज़ा दो, आपकी मर्जी हो तो छोड़ दो तो मुझे लगा कि वास्तव में इसकी अनभिज्ञता का लाभ उठाकर किया गया है। हमने इसको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं कि क्या हम इतने लम्बे समय की आजादी के बाद भी अगर जन प्रतिनिधि जिनको यह सारा काम करोड़ों रुपये का, आज सरपंच के पास करोड़ों रुपया जाता है, करोड़ों रुपयों का वह खर्चा करता है, अगर उसे इतना सा, हमने पढ़ाई कितनी सी रखी? हमने तो कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं रखी। उस समय भी आपके यहां भाषण हुए थे, कई माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के जो आजकल ट्रेजरी बेंच पर बैठें है वह भाषण देते थे, कुछ आप कोर्ट में भी चले गए कि इसका विरोध करो लेकिन हमारी बात को स्वीकार करते हुए कई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अन्य राज्यों ने अपनी सारी संस्थाओं में शिक्षा से उनको जोड़ने का प्रयास किया। उस समय मुझे भी लगता था कि हो सकता है, हो सकता है कि जिस क्वालीफिकेशन के लोग हम चाहते हैं, वह हमें नहीं मिलेंगे इसके कारण से हमारे पद रिक्त रह सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि मेरे यहां अधिस्नातक वह सारे के सारे जन प्रतिनिधि 960 बने। जो स्नातक हैं वह 3099 बने, बारहवीं पास 2250 बने, दसवीं पास बने 5565 और आठवीं पास सरपंच के लिए मैंने जो क्वालिफिकेशन की, उसमें 4824 बने। ट्राइबल एरिया में हमने पढ़ाई को ध्यान रखते हुए पांचवीं किया था, उसमें 399 हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय की क्वालीफिकेशन को देखें, सारे नए नौजवान आए हैं उनको देखें तो आपको लगता है कि वास्तव में हमने लोकतंत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है। जो वर्षों से बैठे हैं, खानदानी, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, अगर पति के बाद चांस चला गया तो पत्नी बन जाती है, फिर पति बन जाता है, फिर उसका लड़का बन जाता है, इसको तोड़ने का प्रयास किया ताकि नए बच्चे इस लोकतंत्र के अंदर, एक लाख से अधिक लोग इसमें इलैक्ट होकर आते हैं। अगर वह पढ़े लिखे आएंगे तो क्या हमने इतने 1991 से लेकर, आप स्वयं मंत्री रहे हैं, 1991 तक हमारा जो साक्षरता प्रतिशत था वह केवल 38 प्रतिशत था लेकिन प्रयास करके 62 से लेकर 67 प्रतिशत तक साक्षरता अपनी हो गयी। क्या इन 30 सालों में पैदा हुआ नौजवान आज भी इस राजस्थान में अनपढ़ है कि वह दस्तखत करना भी नहीं जानता? किस कारण से कर रहे हैं, केवल हमने किया इसलिए बदलना जरूरी है, अगर यही सोच है तो मैं राजस्थान की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस प्रोग्रेसिव बिल को, इन्होंने केवल यह सोचकर कि हमारा बहुमत है, बहुत अभिमान नहीं करना चाहिए, केवल 0.5 प्रतिशत वोट ज्यादा हैं। 1 लाख 42 हजार वोट का फर्क है, 51 हजार पोलिंग स्टेशन हैं, अगर तीन-तीन वोट कम या ज्यादा होते तो गाड़ी उलट जाती। इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। (व्यवधान) इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। हम यह सोच रहे हैं कि हमने जो कानून बनाया वह कोई रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए बनाया, जनता के लिए बनाया, ठीक प्रकार से वहां काम कर सके और ठीक प्रकार से न्याय कर सकें इसके लिए बनाया। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो मैं राजस्थान की जनता से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं एक जन-प्रतिनिधि होने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के नाते कि जनता, आप ही इसका विश्लेषण करे कि मैंने यह कानून बदलकर देश के लोकतंत्र को ताकत देने का प्रयास किया और मेरी सरकार ने ताकत देने का प्रयास किया या लोकतंत्र को बिगाड़ने का प्रयास किया। बार-बार, हर बात में कहते हैं कि हमने यह नहीं किया, यह नहीं किया। मैं चाहता हूं, ईमानदारी से चाहता हूं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आपसे कि एक बार ईमानदारी से पचास साल का बहीड़ा लेकर आ जाएं, हम बीस साल का बहीड़ा लेकर आते हैं कि वास्तव में हमने लोकतंत्र में इस जनता के लिए कुछ करने का प्रयास किया है कि नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क के बारे में इन्होंने पैरा 40 में लिखा। उसमें इन्होंने लिखा कि हमने यह नहीं किया, वह नहीं किया, सच्चाई के फीगर पढ़ो, अगर फीगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि हमने कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया है। मैं आज भी आपको दावे के साथ कहता हूं कि हमने पिछली बार में 67 हजार किलोमीटर सड़क या तो नई बनाई या उसका सुद्दढ़ीकरण किया या रिपेयर किया, 67 हजार किलोमीटर। एक-दो नहीं, सड़सठ हजार किलोमीटर और उसके बाद सड़कों के नवीनीकरण के लिए हमने छोटा-मोटा पैसा खर्च नहीं किया, 49500 करोड़ रुपया हमने रोड नैटवर्क में खर्च किया इन पांच सालों में। मैं सोचता हूं हमने कोशिश की है, केन्द्र की सरकार से भी हमको मदद मिली, गडकरीजी ने भी हमारी पूरी मदद की, उसके कारण से हम कर सके और इसमें भी आपने देखा होगा कि हमने नेशनल हाई वे पर 23850 करोड़ रुपये खर्च किया है और आपने पिछले पांच सालों में आपको बुरा लगता है तो लगे, जो कुछ कहना चाहे कहें, लेकिन तर्क के आधार पर बात काटेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हां-हू करके करने से तो कोई अर्थ नहीं। आपने पिछले पांच साल में आपका जो राज रहा है, उसमें सड़क तंत्र पर खर्च किया था 7780 करोड़ रुपये, 7780 करोड़ रुपये, हमने किया था 49550 करोड़ रुपये। कहां है तुलना? तुलना कहां है? मैं सोचता हूं कि इस बारे में सभी जिला मुख्यालयों पर हमने राष्ट्रीय राजमार्ग से राजस्थान का कोई जिला अछूता नहीं रहा, उसको जोड़ने के लिए सारी स्वीकृति दी जबकि कई जिले हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग थे।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): मंत्री आपका कहां गया? वह आया ही नहीं वापस, वह तो हार गया पचास हजार से।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): जिसने खर्च किया वह पचास हजार से हार गया। खा गया पैसे खर्च करने की जगह...(व्यवधान) हमारे विधायकों की रोडें नहीं बनने दीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मान लो हमने खा लिया तो निकलवाने की ताकत तो आपके पास थी न, भगवान के लिए प्रयोग करो न? (व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): किसी के लिए कहो। अगर कोई भी खा गया तो सरकार लेकर झुनझुना बजाने के लिए बैठे हो क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यस।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर खा गया तो मारो। करो कार्यवाही। क्या दिक्कत है? अगर किसी ने गलती की तो सज़ा भुगतेगा। उसमें हमें क्या डर है? कोई डर नहीं है सज़ा भुगतने के लिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह आंकड़े इसलिए लाया हूं मैं जानता था कि यह सब बातें उठेंगीं। पूरे 50 वर्ष में आपकी सरकार और हमारी सरकार भी उसके बीच में आती है, 7260 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बना और हमने केवल इस 5 साल में 8178 किलो मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए। हमने 1700 गांवों को और 4141 ढाणियों को पहली बार सड़क से जोड़ा है। प्रदेश में औसतन 40 किलोमीटर सड़क रोजाना आज की तारीख में बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो जब आप जवाब दें, तब उसका रिप्लाई कर देना कि नहीं बन रही है।

आप और हम सब गांवों में जाते हैं। मेरा गांव देलवाड़ा आपके विधान सभा क्षेत्र में है। यह जो हमने ग्रामीण गौरव पथ बनाए, कोई आलोचना करे तो करे, मैं यह कह सकता हूं ऐसी मजबूत सड़क है कि अगर घण पटको तो वापस लौटकर आता है। कोई रद्दी काम नहीं हुआ है। यह सच है। इसको स्वीकार करना चाहिए। गांवों में हमेशा पानी बहकर आता था, कोई भी मेहमान आता था, कोई भी आता था, मोटरसाइकिल चलती तो मेरी मां-बहन के कीचड़

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लग जाता था। पहली बार कम से कम एक किलोमीटर आपकी इच्छा पर मिला है। आप जहां बनाना चाहो वहां बनाओ। उसके आधार पर यह सारी की सारी सड़कें बनी हैं। 6560 पंचायतों में यह सड़कें बनी हैं और इस पर हमने 3340 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। गांवों की भी हालत शहर जैसी करने के प्रयास किए हैं। हमने कोई पाप नहीं कर डाला।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कुल 180 नगरपालिकाएं हैं। पहली बार नगरपालिकाओं में हमने 302 किलोमीटर सड़कें गौरव पथ के तहत 446 करोड़ रुपये देकर बनाईं। उन नगरपालिकाओं को भी ढाई-ढाई करोड़ रुपये उनके यहां अच्छी सड़क बनाने के लिए दिया। हमने कोई गुनाह नहीं किया। जिसकी आप सज़ा हमको दे रहे हो।

अनेक माननीय सदस्य: जनता ने दी है आपको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जनता ने तो हमको 0.5 परसेंट वोट कम दिए। मात्र 1 लाख 42 हजार वोट कम दिए। अभिमान करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने चाहा तो आप और हम फिर मिलेंगे तब बताएंगे कि आपके अभिमान को जनता ने किस ढंग से चूर किया है।

यह जो आपका चिकित्सा का पैरा है 42, इस पैरे को भी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया। यह बार-बार कहकर आप हमें जो पिन चुभाने की कोशिश कर रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, इसलिए इसको लेकर आना पड़ा। मुख्य मंत्री दवा योजना के तहत हमने जो खर्च किया है, वह किया 1728 करोड़ रुपये और पिछली बार कांग्रेस के राज में मुफ्त दवा का जो खर्चा हुआ है, वह 554 करोड़ खर्च हुआ है। यह सारे फीगर हैं। इस राजस्थान में मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि 100 परसेंट डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ की पूर्ति कर दी, लेकिन हमने अधिकांश पदों को भरने का प्रयास किया है। यह पहला रिकार्ड होगा कि हमने चिकित्सकों के 6332 पद इन 5 सालों में भरे हैं। अगर आपने पहले कभी भी भरे हों तो रिकार्ड बता देना कि 6332 चिकित्सक लगे हैं क्या? नर्सिंग स्टाफ में हमने नर्स ग्रेड द्वितीय में 11,193, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में 5402 और फार्मेसिस्ट के 1054 की भर्ती की है।

राज्य में सुपर स्पेशिलिटी के 3 प्रोजेक्ट हमें मिले। एक बीकानेर, एक कोटा और एक उदयपुर में मिला। यह केन्द्र सरकार के द्वारा मिला। इस सुपर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्पेशिलिटी में हर एक मेडिकल कालेज को 150-150 करोड़ रुपया मिला। आज मेरे उदयपुर में भी आपमें से कोई जाएं तो देखें कि उसका भूमि पूजन भी हमने किया और आज की तारीख में वह उद्घाटन के लिए तैयार पड़ा है। बाकी पहले तो कई पत्थर जंगल में ही रोते रहते थे। वह सोचते थे कि मुझे यहां क्यों रख गए। हमने वह काम नहीं किया। हमने उसको शुरू भी किया और आज आप जाकर उदयपुर के सुपर स्पेशिलिटी देखो, 62 करोड़ रुपये के उसमें इक्विपमेंट लग रहे हैं।

आप लोग बहुत बातें कर रहे हैं। सारे के सारे देश की आजादी से लेकर हमने खोले, तब तक 7 मेडिकल कालेज थे। पिछली सरकार में हमने 7 मेडिकल कालेज खोलकर राजस्थान को नई दिशा देने का प्रयास किया है। 50 साल में 7 और हमने इस समय में 7 खोलकर दिए हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अलवर का चालू नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य, प्लीज, बैठें। प्लीज, बैठें। माननीय मंत्रीजी, प्लीज, आप बैठें। बैठें, आप माननीय मंत्री।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने देखा होगा कि स्कूल बंद कर दिए। कृपा करके स्कूल जो बंद किए हैं, उनको इस तालिका के आधार पर संख्या देखकर बताना कि वास्तव में हमने कौनसे बंद किए हैं या मर्जर किया है। मर्जर किया है तो किस कारण से किया है? कुछ स्कूल ऐसे हैं जो एक ही बिल्डिंग में हैं। एक ही बिल्डिंग में 2-2 स्कूल चल रहे थे। उन दोनों को ही जोइंट कर दिया। किसके लिए किया? स्टाफ का दुरुपयोग हो रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है। इस कारण से किया। कुछ स्कूलों में दीवार एक है। इधर एक स्कूल चल रहा है और उधर दूसरा स्कूल चल रहा है। दोनों को ही मर्जर करने का काम किया है। इसमें क्या गुनाह किया है? उच्च प्राथमिक स्कूलों में जहां सिर्फ 15 बच्चे थे, 30 बच्चे थे, वह भी 1-2 साल नहीं, लगातार 3 वर्षों तक यही संख्या होने के कारण से किया। वहां शहर में 1 स्कूल में 4 अध्यापक लगे हैं। बालक तो 15 और अध्यापक 5, क्योंकि वह सभी शहर छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनके कारण से स्कूल चलते रहते हैं।

कल्ला साहब यहां बैठे हैं। मैं भी शिक्षा मंत्री रहा और आप भी रहे हो। आपके बीकानेर शहर में मैंने 26 स्कूलें ऐसी निकालीं, जहां एक बच्चा नहीं है। लेकिन लगातार स्टाफ का पैसा उठ रहा था। यह अच्छा काम नहीं किया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमने? आपको मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने राजनीति से ऊपर उठकर स्कूल खोलने का काम किया।

जब मैं 1994 में शिक्षा मंत्री था, एक बार आदरणीय भैरोंसिंह जी ने कहा था कि गुलाब जी, जब मैं दिल्ली की बैठक में जाता हूं तो मुझे बार-बार यह ताना सुनना पड़ता है कि अंगूठा छाप राजस्थान है, 38 परसेंट की साक्षरता है। मेरे यह सुनते-सुनते कान पक गए हैं। मेरे पास जो पैसा है, वह मैं आपको दूंगा और उन्होंने शिक्षा को 1994 का सारा बजट समर्पित किया। यह कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं दुनिया में जहां-जहां राजस्थानी रहता है, उससे भीख मांगकर लाऊंगा। लेकिन मुझे बार-बार उस मीटिंग में ताना सुनना पड़ता है। मेरे बाद में जब शिक्षा मंत्री बने तो आपने देखा होगा कि जो साक्षरता 38 परसेंट थी, वह राजस्थान की साक्षरता अगली जनगणना में 61 परसेंट पहुंच गयी थी।

हम लोगों ने प्रयत्न किया। हमने पहले मिडिल स्कूल हर पंचायत में खोला। हमारे टाइम में बिना किसी बीजेपी या कांग्रेस के भेदभाव के खोला। वहां हमारा सरपंच है कि नहीं है, यह गांव हमारा है कि नहीं है ....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो यह बताएं ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य संयम लोढ़ा, प्लीज। प्लीज, आप बैठे। संयम जी, प्लीज, आप बैठें। संयम जी, प्लीज। आप बैठें। अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आप बैठें। माननीय संयम लोढ़ा जी, अंकित नहीं होगा। संयम लोढ़ा जी, मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूं, आप सीनियर हैं। तीसरी बार विधायक हैं, don't set wrong precedent. आपका मौका आए तब बोलना। सुनिए आप प्लीज। पेशेंस रखिए थोड़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 1994-95 में हर पंचायत को एक आठवीं का स्कूल दिया। जिसके कारण से बच्चियां वहां पढ़ सकीं। उसके बाद पिछली बार जब वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री बनी थीं तो एक आदेश से हर पंचायत में दसवीं का स्कूल खोला। इस बार एक आदेश से 5300 स्कूल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

10+2 के खोलकर शिक्षा को बढ़ाने का प्रयत्न किया है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया कि कहीं हमारा एमएलए है कि नहीं है। बच्चे तो राजस्थान के सब हमारे ही हैं। हमने उनको पढ़ाने के लिए यह सारा का सारा किया। यही नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, फिर आप इसको देख लेना ठीक तरीके से, यह नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो हुआ है उसमें राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से 26वें पायदान पर था, आज राजस्थान दूसरे पायदान पर है। हमने कुछ नहीं किया है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 2018 की रिपोर्ट को भी पढ़ो।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी, प्लीज, don't set wrong precedent.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप शिक्षा मंत्री हो, जब आपकी डिबेट हो तब बोल देना। 2013-14 के परीक्षा परिणाम को भी सुधारने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं कि आप बोर्ड के रिजल्ट को भी उठाकर देखो। 2013-14 तक जो दसवीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम था वह 59 परसेंट था। आज की तारीख में हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट 77 परसेंट आया है। हमने सुधारने का प्रयत्न किया है। आपने देखा होगा कि हमारे यहां बारहवीं कक्षा का जो विज्ञान का परसेंटेज था, आपके समय में 73 था और आज की तारीख में 84 परसेंट रिजल्ट है। वाणिज्य में उस समय 86 प्रतिशत था जो आज 90 परसेंट है।

कला वर्ग में उस समय 83 परसेंट था, आज की तारीख में 90 परसेंट है तो इसका मतलब हमने गुणवत्ता की दृष्टि से सुधारने का प्रयास किया। यही नहीं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि केवल हमने यही नहीं, सरकारी स्कूलों में....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप अपने आंकड़े देख लेना, शिक्षा मंत्रीजी, आपके पास सारा रिकार्ड है। पिछले आपके कार्यकाल में सरकारी विद्यालयों में तीन लाख बच्चों की संख्या घटी या नहीं घटी यह आप अपना आंकड़ा देखना। अबकी बार शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल में 18 लाख बच्चों का अधिक एडमिशन हुआ है। इसका मतलब हमने स्कूलों को सुधाने का प्रयत्न किया उसके कारण से हुआ है।

यही नहीं, आपने देखा होगा कि जो हमारे कमजोर ब्लाक थे, लगभग 134 ब्लाक ऐसे थे जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक थे उनमें हमने स्वामी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल स्थापित करके वहां के बच्चों को शिक्षा की दृष्टि से अंग्रेजी मीडियम के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का पहली बार गांवों में प्रयत्न किया है और उसकी सारी बिल्डिंग का पैसा दिया है, उसमें अच्छे टीचर देने का प्रयास किया है ताकि शिक्षा का स्तर सुधरे। यही नहीं, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र में 184 शारदे बालिका छात्रावास किया जिनमें 18400 बच्चियां आज की तारीख में अध्ययनरत हैं। (व्यवधान) आपको तकलीफ हो रही है क्या? हो गया तो मुझे देखना है न और यह आसन कहेगा तो बैठ जाऊंगा। इतना दर्द क्यों होता है? सच्चाई को सुनने का माद्दा रखना चाहिए न। सच्चाई सुनने का माद्दा रखो और केवल पार्टी के चश्मे से अगर देश को देखोगे न तो चश्मा जरूर दिखेगा लेकिन देश नहीं दिखेगा, यह ध्यान रख लेना। बहुत ज्यादा अभिमान भी मत करो कि आप ही ने कोई अक्ल का ठेका लिया है और बाकी सब ऐसे ही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर देता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के तहत हमने 5 वर्षों में इन विद्यालयों में 1800 करोड़ रुपये लगाकर इनके स्ट्रक्चर को डवलप करने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई आंकड़ा गलत हो तो आप बता देना कि गलत फीगर बोल रहा हूं।

ऊर्जा की दृष्टि से भी आप कह रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया तो मैं सोचता हूं कि ऐसा कोई विषय मेरे पास नहीं है जिसमें मैं आपको इस बात के लिए निरुत्तर न कर दूं कि हमने पांच साल में रिकार्ड कायम किया और इस बात को मैं ही नहीं, राजस्थान की जनता से भी आप पूछोगे तो वह बताएगी। आपने देखा होगा कि ऊर्जा की दृष्टि से.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): देश की आजादी से लेकर 2013 तक 3509 मेगावाट कुल बिजली उत्पन्न होती थी राजस्थान में। हमने सौर से, पवन से और बाकी इस बिजली से हमने स्वयं ने इन पांच साल में 3559 मेगावाट नई बिजली पैदा की। राजस्थान में आज की तारीख में 7468 मेगावाट बिजली पैदा होती है। आपने देखा होगा कि यह जो विद्युत उत्पादन कम्पनी है यह आपके समय में 340 करोड़ रुपये के घाटे में थी और हमने पांच साल में प्रयत्न करके 550 करोड़ रुपये प्रोफिट में लेकर इस एजेंसी को खड़ा किया जो हमेशा दिवाला निकाल रही थी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये मेरे पास दो कागज हैं। आपने कालीसिंध प्लांट को बेचने का मंत्रिमण्डल से पास करवाया और एक छबड़ा का प्लांट बेचने का पास करवाया मंत्रिमण्डल से। आप तो इनको बेचने का काम कर रहे हो। (व्यवधान) आप बेचना चाह रहे थे इनको और आप हमारे दम पर बेच नहीं पाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज। माननीय मंत्रीजी, प्लीज। आप इंटरवीन न करें। आप इंटरवीन नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये कागज देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर लीडर हैं। संसदीय कार्य मंत्री हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह क्या बात हुई साहब? ये बोले जा रहे हैं, गलत बोले जा रहे हैं और सुनते जाएं। यह तो कोई तरीका नहीं हुआ साहब। (व्यवधान) यह क्या बात हुई?

श्री अध्यक्ष: आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। बैठें आप। माननीय मंत्रीजी, बैठें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): तो क्या आपकी आज्ञा से बोलेंगे हम? आप आसन का अपमान कर रहे हैं, ये आसन का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब। (व्यवधान) ऐसा नहीं होगा। आप बैठिये प्लीज। (व्यवधान) यह आपका काम नहीं है, आपका काम नहीं है राठौड़ साहब। आपका काम नहीं है। (व्यवधान) यह आपका काम नहीं है, मेरे काम को मुझे ही करने दीजिए, मुझे पता है। आपके कहने से पहले रोका है मैंने। आपको खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। वे जब खड़े हुए तो मैंने तुरन्त रोका है। यह रोल क्यों कर रहे हैं आप? आपकी जो भूमिका है उस भूमिका में रहिए, यह काम मेरा है और मैं कर रहा हूं अच्छी तरह से? आपको डाउट है मेरे काम में? आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है मेरे काम में। माननीय मंत्रीजी, फिर मेरा निवेदन है, नहीं, आप नहीं बोलें, माननीय मंत्रीजी, प्लीज। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। चेयर आन लैग्स है और आप बोले जा रहे हैं। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं और आप क्या रोल-माडल पेश करेंगे! माननीय मंत्रीजी, आपका काम नहीं है, मुख्य मंत्रीजी जवाब दे देंगे। यदि कोई गलत बात कही है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दे देंगे, कष्ट करके इस रोल को आप मत अपनाइए। आप सीनियर लीडर हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं और आप खुद यदि यह आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो राजेन्द्र राठौड़ और आपमें अन्तर क्या रहेगा? कोई तो अन्तर रखना चाहिए आपको, कोई अन्तर आप रखना चाहते हैं? मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि आपकी भूमिका नहीं है। मैं बार-बार देख रहा हूं, मैं चौथी बार देख चुका हूं और जो काम मुझे करना है उस काम के लिए आप माननीय सदस्यों को प्रोवोक मत करिए, यह काम मेरा है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे और कोई रोकेगा तो मेरी जिम्मेदारी है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, बोलें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो बिजली की छीजत थी वह बिजली की छीजत 28 परसेंट थी और आज की तारीख में बिजली की छीजत है 19 परसेंट, अर्थात् हमने बिजली की छीजत को रोकने का प्रयास भी किया है।

मैं यह सब बातें इसलिए रख रहा हूं कि क्योंकि बार-बार उन पैरा में यह था कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, बाकी इतना जवाब देने की जरूरत नहीं थी। पेयजल की दृष्टि से, आपने लिखा है कि भाजपा शासन में 2014 से 2018 के पांच वर्षों में 22 हजार करोड़ रुपये का व्यय करके 26 वृहत् परियोजनाओं को पूर्ण कर 10140 गांव और ढाणियों तथा 37 शहरों को लाभान्वित किया। आपके समय में जबकि 50 वर्षों में देश की आजादी से लेकर, 27 पेयजल परियोजनाओं से 4900 गांव और ढाणियों तथा 38 शहरों को आपने सतही पेयजल उपलब्ध कराया था। हमने जो कराया वह आपके सामने रखता हूं। मैं सोचता हूं कि गुणवत्ता की दृष्टि से भी पानी अच्छा मिले इसके लिए 23 हजार गांव ऐसे थे या ढाणियां ऐसी थीं जिनमें दूषित पानी था उसको घटाकर अब 18 हजार रहीं, यानी लगभग 5 हजार को हमने अच्छा गुणवत्ता वाला पानी दिया है। आपने देखा होगा कि हमारे टाइम पर हमने एक नई स्कीम निकाली और आर.ओ. के द्वारा भी पानी पिलाने का प्रयास किया। उसके तहत हमने 2757 नये आर.ओ. के स्टेशन स्थापित किए हैं। मैं सोचता हूं कि हैण्ड पम्प और इन सबके बारे में भी है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

शहरी विकास, जिसके आप मंत्री हैं और खड़े हो रहे हैं, मैं सोचता हूं कि आप पढ़कर इन सब बातों का जवाब दे देना तो मुझे भी समझ में आएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, आप सवाल उठाते जाओ मैं जवाब देता जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या यह सच नहीं है कि आपके पूरे कार्यकाल में, विशेषकर 1990 से लेकर अब तक इन 29 सालों में कितनी नगरपालिकाएं नई बनी थीं, कितनी क्या बनी तो भरतपुर को नगर निगम हमने बनाया, डेगाना (नागौर) में हमने नगरपालिका बनाई, किशनगढ़बास में बनाई, ईटावा (कोटा) में बनाई, महुवा (दौसा) में बनाई, नसीराबाद (अजमेर) में बनाई, परतापुर गढ़ी (बांसवाड़ा) में बनाई और खाटूश्यामजी (सीकर) में बनाईं। हमने ये नई नगरपालिकाएं बनाकर उन शहरों को भी बराबरी में लाने का प्रयास किया है।

आपने देखा होगा कि पहले शहरों के अन्दर शौचालय बहुत कम होते थे और विशेषकर कमजोर बस्ती में। हमने शहरों की कमजोर बस्तियों में भी 3 लाख 30 हजार केवल इसी पीरियड में शौचालय बनाकर उन लोगों को शौचालय दिए हैं जिन्होंने कभी अपने भाग्य से भी नहीं पूछा था कि मेरे भी भाग्य में कभी यह शौचालय लिखे होंगे। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूं कि जो अच्छी बात होती है उसको स्वीकार करने का प्रयास करो। उस कदम को और आगे बढाओ ताकि आप और हम दोनों मिलकर इस प्रदेश को देखें। मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं।

यह पहली बार हुआ कि हमने डोर-टू-डोर कचरा प्रबन्धन का काम किया और लगभग 5313 वार्डों में हम कर रहे हैं।

अन्नपूर्णा रसोईघर के माध्यम से हम 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में खाना दे रहे हैं और यह संख्या एक-दो नहीं है, लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि अमृत योजना के तहत हमने 29 शहरों को लिया और उन शहरों में भी 3224 करोड़ रुपये का उसके लिए प्रावधान रखा है। आप यह भी बताओ कि स्मार्ट सिटी का चयन इस राजस्थान के इतिहास में पहली बार केन्द्र की सरकार आने के बाद हमारे जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर का स्मार्ट सिटी में चयन हुआ और इन सबमें मिलाकर 7025 करोड़ रुपया इन स्मार्ट सिटी को अच्छा करने के लिए आया जिनका काम अभी भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चल रहा है। अनुसचित जाति, मैं सोचता हूं कि युवा वर्ग का बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं कुछ बातें आपसे निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि ईमानदारी से जो काम अच्छे हैं उनको स्वीकार करो।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, क्या आप और मैं गांव में नहीं रहते हैं। हमने वर्षो तक अपनी मां-बहनों को धुआं फूंकते हुए नहीं देखा। किसी ने कल्पना नहीं की मैं जब पहली बार एमपी बना, तब मुझे गैस का चूल्हा मिला। उसके पहले मेरे पास स्वयं का गैस का चूल्हा नहीं था, लेकिन, इन लोगों को गैस का चूल्हा देकर उनके जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास किया और एक दो नहीं, राजस्थान में 37 लाख 21 हजार गैस कनेक्शन दिये, 37 लाख। आपके पास हो तो मना कर देना।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): उनमें से 90 परसेन्ट लोग नहीं लेते, क्योंकि एक बार 1500 का ले लेते हैं, तो वापस कुछ नहीं मिलता है, तीन साल तक सर। सर, ये गलत बोल रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): उज्ज्वला योजना में आप गरीब से उतना ही पैसा वसूल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी, प्लीज। आप सुनने का साहस रखें। जवाब दे देंगे मुख्य मंत्रीजी, आप सुनें तो सही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): प्रधान मंत्री मुद्रा कोष पहली बार स्थापित हुआ। उन बेरोजगार नौजवानों को जो कम से कम कुछ मेहनत करके कमाना चाहते हैं...

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): ये डोर टू डोर कचरा संग्रहण की बात कर रहे हैं। कितना घोटाला हुआ उसमें, इस तरह की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी, यह मेरा काम है भाई। अब मैं नहीं खड़ा हूं क्या...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपको हम ही हम दिखते हैं क्या... +++ एक मिनट में...

श्री अध्यक्ष: आपको नहीं दिख रहा है क्या?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी आप यह बताओ कि ये बीच में खड़े होकर बार-बार बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय, यह काम मेरा है, कर लूंगा, प्लीज। राठौड़ साहब, मेरा काम मुझे करने दें। माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): उनके ऊपर तो चली नहीं राठौड़ी, पांच साल मैडम आंख निकालती थीं, चुप हो जाते थे, दो मिनट में।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप गलत चीजें नहीं सीखें। Chair on legs, मैं फिर निवेदन करूंगा नियम और कानून को पढ़ें, अच्छी डिबेट हो, अच्छा डिस्कशन हो, नियमों का पालन करेंगे तो अच्छा होगा। मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता से कहूंगा जल्दी वाइंडअप करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं उज्ज्वला योजना के कारण से राजस्थान में और मुद्रा योजना के द्वारा राजस्थान में 47 लाख बच्चों को 31 हजार करोड़ रुपया लोन के रूप में मिला है। ग्रामीण आवास में 12 लाख 70 हजार, मैं सोचता हूं पहले इंदिरा आवास स्वीकृत करने के लिए, जब तक भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाओ तो लिस्ट में नाम ही नहीं चढ़ता था। इसमें लिस्ट में नाम अपने आप ही चढ़ता हुआ आ रहा है। न तो आप चढ़ाते हो न मैं चढ़ाता हूं, जो श्रेणी में आता है, उसको मकान मिलता है और पहली बार पक्के मकान के बारे में 1 लाख 48 हजार रुपया सीधा उसके खाते में जाता है।

क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करोगे कि यह जो जन धन के खाते खुले हैं इस खाते ने राजीव गांधी की उस बात का उत्तर निकाला, उन्होंने उदयपुर की आम सभा में कहा था मैं सौ रुपया भेजता हूं, उस गरीब तक जाते-जाते 15 रुपया रह जाते हैं। लेकिन, इस देश के प्रधान मंत्री ने इस जन धन योजना के कारण से 33 करोड़ खाते जो खुलाए हैं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): खाते बंद हो गये, गरीब परेशान हैं। जन-धन के खाते अध्यक्ष जी, बन्द हो गये सारे।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। मंत्रीजी, आप डिबेट को कन्क्लूड होने दीजिए। माननीय मंत्रीजी प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या है कि सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमने 50 वर्ष तक दिल्ली में राज कर लिया, कर नहीं पाए और उस आदमी ने उस गरीब के लिए किया, जिसका कोई भला भागी नहीं था।

श्री अध्यक्ष: बैठें-बैठें माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठें। माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हुए हैं, प्लीज। मुख्य मंत्रीजी सक्षम हैं जवाब देने के लिए, आराम से बैठें आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उसके कारण से ये सारे के सारे पैसे अब खाते में जाते हैं। बीच में कट मारने वाला आदमी खतम हो गया। राजस्थान में 18 हजार करोड़ रुपया सीधा का सीधा उसके खाते में गया और मैं आपदा राहत मंत्री, आपको यह दावे के साथ कह रहा हूं 65 लाख किसानों को, मैंने 7300 करोड़ रुपया उसकी फसल के नुकसान का सीधा खाते में भेजकर के इस बेईमानी को बचाने का प्रयास किया।

मैं सोचता हूं कि इन बातों को ये जो आयुष्मान भारत है, हमारा यहां अब 50 करोड़ लोग इसमें कवर हुए, जिनकी 5 लाख तक की बीमारी का इलाज केन्द्र सरकार की इस योजना के तहत होगा। इसमें भी क्या आपको नाराजगी है। राजस्थान की मुख्य मंत्री ने तो इससे बहुत पहले ही 30 हजार से लेकर 3 लाख तक का हमारा भामाशाह कार्ड जो है स्वास्थ्य बीमा कार्ड के तहत इलाज कराया और 1700 करोड़ रुपया हमने लगाया।

उस गरीब को कभी लगता ही नहीं था कि मुझे ये सौभाग्य योजना, पहली बार किसी प्रधान मंत्री का मैंने भाषण सुना है कि 31 मार्च, 2019 तक राजस्थान के प्रत्येक टापरे में जिसने कभी बिजली का लट्टू नहीं देखा, उसको मैं बिजली का लट्टू पहुंचाकर छोड़ूंगा। यह भी अच्छा नहीं लगता।

राजस्थान को अवार्ड मिला है, यह भी आपको अच्छा नहीं लगता। राजस्थान में क्या अच्छे काम किये जो अवार्ड मिला। माननीय मुख्य मंत्री महोदय को डिजिटल लीडर आफ ईयर पुरस्कार मिला। भामाशाह को ई-गवर्नेंस आफ द ईयर का अवार्ड मिला, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के हैल्थ इंश्योरेंस इसमें हमें प्रथम पुरस्कार मिला। एलईडी लाइट लगाने में, राजस्थान ने एलईडी लाइट लगाई हैं 5 लाख 41 हजार और हिन्दुस्तान में नम्बर 1 कोई राज्य है, तो राजस्थान है। भारत सरकार द्वारा "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" में हमारा झुंझुनूं जिला हिन्दुस्तान के 10 जिलों में सलैक्ट होकर पुरस्कृत हुआ। आपने देखा होगा कौशल विकास में एक बार नहीं, तीन साल से लगातार 2015, 2016 और 2017 में हिन्दुस्तान में प्रथम रहने का हमको अवार्ड मिला।

सबसे आगे राजस्थान में महिला सशक्तीकरण, मैं सोचता हूं 50 हजार से अधिक ई-मित्र केन्द्र हमारे यहां हैं। हिन्दुस्तान के किसी राज्य में नहीं है जो हमारे यहां है। उचित मूल्य की दुकानें जो हमने कीं, जिसके बारे में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मंत्रीजी ने कहा अगर कोई गड़बड़ है तो उसको निकालो, अगर उसमें कोई दोष है तो उसको सुधारो, यह आपके अधिकार, आपके हाथ में है। एक अच्छी योजना को डालकर 5 हजार लड़के जिस काम में लगे हैं, उसको आप बेघर, रोजगार से मुहिम कराओ, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

पहली बार राजस्थान में जैतून की रिफाइनरी अगर लगी, बीकानेर में लगी है। हिन्दुस्तान में कहीं भी जैतून की रिफाइनरी लगी, जो आगे चलकर पैट्रोल के रूपमें आपका एक तरह से काम करेगी। नवीन पेंशन योजना जिन संस्थाओं का हमने चुनाव किया। अध्यक्ष महोदय, एक विषय जो मेरे से संबंधित है। जिस पर बार-बार यह विषय आता है कि अपराध बढ़ गया, अपराध बढ़ गये। आज मैं फिर आपके सामने अपने आंकड़े पेश कर रहा हूं...

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): चार साल रिफाइनरी को बन्द रखा और रिफाइनरी की बात करते हैं। चार साल रिफाइनरी को...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नीचे बैठें। माननीय सदस्य नीचे बैठे, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अपराध नहीं हो रहे हैं। अपराध हो रहे हैं। पहले भी हुए, आज भी होंगे और पुराने जमाने में भी अपराध होते थे। अपराधी को दण्ड दिलाना और अपराध को कम करने का प्रयास करना, यही सरकार कर सकती है। उसको हमने करने का प्रयास किया है। मैं आपको फीगर बता रहा हूं कि 2003 में जब हमने सरकार आपसे ली थी, तब राजस्थान में 1 लाख 45 हजार 579 मुकदमे थे और आपने जब 2008 में, आपको वापस जो हमने छोड़ा 1 लाख 51 हजार पर छोड़ा। अर्थात अपराध कितना बढ़ा 5638 अर्थात 3.8 परसेंट के हिसाब से और जब आपसे वापस हमने लिया, उस समय अपराध राजस्थान में हो गया, ये आई.पी.सी. अपराध है, 1 लाख 96 हजार 224, ये अपराध बढ़ा है 30 प्रतिशत के कारण से।

मैं आपको फिर कह रहा हूं पिछली बार ये हिन्दुस्तान में पहला राज्य होगा, जिसने लगातार आई.पी.सी के सभी हैड में अपराध घटाते हुए, हमने माइनस 12.4 अपराध राजस्थान में कम किये हैं।

महिला अपराध की दृष्टि से भी यही आंकड़े हैं और जो बार-बार आता है न कि महिला अपराध, अपराध हो रहा है इसको मैं न नहीं कह रहा हूं। अपराध की घटनाएं भी हुई हैं, इसको भी मैं न नहीं कह रहा हूं। लेकिन, हमने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोशिश की कि राजस्थान जो महिला अपराध की दृष्टि से नेशनल क्राइम रिपोर्ट में 2016 में दूसरे स्थान पर था, 2017 में हम उसको तीसरे, चौथे और आज की तारीख में राजस्थान पांचवें पायदान पर नीचे उतरा है। इसका मतलब महिला अपराध घटाया है और महिला अपराध इस साल भी माइनस 5.3 हुआ है।

इसी तरह से अनुसूचित जाति में भी, आपके समय जो अपराध 2004 से 2008 में जो हमारा स्थान था, 0.5 परसेंट अपराध बढ़ा था अनुसूचित जाति में, और आपके टाइम में अपराध बढ़ा है अनुसूचित जाति के मुकदमे में 50 प्रतिशत। हमने वापस कम किया माइनस 32 परसेंट शिड्यूल्ड कास्ट के अपराध घटे हैं। ये आंकड़े अगर आपके पास नहीं हो तो मेरी किताब से या डिपार्टमेंट से, अनुसूचित जनजाति में आपने देखा होगा कि हमारे टाइम में अपराध बढ़ा था 0.1, उसके बाद आपके कार्यकाल में बढा है प्लस 59 परसेंट अपराध बढ़े हैं और हमारे टाइम में वापस अपराध कम हुए हैं 5 साल में माइनस 30 परसेंट। इसका मतलब है हमने प्रोपर मानिटरिंग करके इसको ठीक करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर मैंने पहले दिन ही आपसे निवेदन किया था किसान को जो 10 दिन में कर्जा माफी के बारे में विषय हमने खड़े किये हैं उसको प्राथमिकता दें। ताकि हमें उनसे बात पूछने का मौका मिले। ऐसा नहीं कि आपने भाषण दिया और चल दिये। तब तो हमारा परपज खतम हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि जिस महत्वपूर्ण विषय से राजस्थान की 60 परसेंट जनता जुड़ी हुई है और आरक्षण जो 10 परसेंट है। आपने, हमने सबने मिलकर उसको पास किया केन्द्र में 14 परसेंट का हमने भेजा। केन्द्र ने चलो लेट किया कोई बात नहीं, आज 10 परसेंट आरक्षण उन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगो को दे दिया तो कम से कम आप उस 10 परसेंट को हमारी स्टेट में भी लागू करो ताकि अगले सत्र में हमारे बच्चों को 10 परसेंट एडमिशन कालेज और बाकी जगह भी मिल सके। 10 परसेंट आरक्षण नौकरी में मिल सके। यह न शिड्यूल्ड कास्ट का कटा, न शिड्यूल्ड ट्राइब का कटा, न ओबीसी का कटा, यह एक्स्ट्रा 10 परसेंट है। आपकी, हमारी सबकी भावना और जो पास हुआ है लोक सभा में। आप और हम सबने मिलकर पास किया है। राज्य सभा में भी सभी दलों ने मिलकर पास किया। हम इस जिद पर नहीं रहें, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और आप पक्ष में हो। इसलिए इसको डिले करोगे, तो उस बच्चे का अहित हो जाएगा। मैं सोचता हूं उस बच्चे का अहित न हो।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(16.00 बजे)

आपकी और हमारी भावना एक-सी है। मैं चाहता हूं उस बच्चे को लाभ मिले। जितना उसके भाग्य में होगा, जितनी वैकेंसी निकलेगी और जितनी स्कूल और कालेज में जगह मिलेगी वहां कम से कम पढ़ सकेगा। यानी सवर्ण हो जाने का मतलब गरीब नहीं होता है इस मामले को कोई नहीं मानता। मैं सोचता हूं कि मण्डल आयोग से लेकर अब तक जितने आयोग बने सबने इस बात को स्वीकार किया है कि हां, निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से लोगों को सहायता मिलनी चाहिए। यही बात कहकर मैं इस सदन का और आप अध्यक्ष जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जिस रूप में हमारे माननीय सदस्यों ने रुचि दिखाई है, मेरे खयाल से पहली बार लगभग 68 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद देता हूं और माननीय सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं। जिस रूप में विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि करीब-करीब जो अभिभाषण के बिन्दु थे उनको उन्होंने टच करने का प्रयास किया। सबका जवाब देना तो सम्भव नहीं, परन्तु मैं प्रयास करूंगा कि उन सबकी भावना का समावेश हो मेरी बात में।

माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अभी भाषण दे रहे थे, मैं समझता हूं कि बहुत ही, वैसे यह उनको गॉड गिफ्ट भी है कि भगवान ने उनको जो चेहरा दिया है वह बहुत ही इनोसेंट चेहरा है। वे बोलते हैं तो लगता है कि दिल से बोलते हैं, पर वे जिस पार्टी से आते हैं, जिस संगठन से आते हैं आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, उसका धर्म निभाने में पीछे नहीं रहते हैं। यह मैंने महसूस किया इसलिए मुझे खुशी है कि आज पुन: पांच बार कम से कम स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत का नाम इस सदन में लिया गया पहली बार वर्षों बाद में। क्योंकि ये उनके साथ रहे हुए थे, उनका एक औरा था, 1952 से जीतते आ रहे थे, उनको भुला दिया गया था। मुझे खुशी हो रही थी। मैं बैठे-बैठे सुन रहा था कि भैरोंसिंह जी के जमाने में यह हुआ। उनके जमाने में ये फैसले हुए। बहुत अच्छी बात है। ये परम्पराएं रहनी चाहिए राजस्थान में। ये परम्पराएं किसने तोड़ी हैं, मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता। मैं कहना

(श्री अशोक गहलोत)

चाहूंगा कि आपका भाषण जो था, चूंकि आप भी बहुत ही सम्मानित टीचर रहे हुए हैं और अध्यापक जब बोलता है तो थोरोली बोलता है। आप भी सारे आंकड़े, अभिभाषण के सारे बिन्दु टच कर रहे थे और बार-बार कह रहे थे कि अधिकारियों द्वारा लिखा गया।

मैं पूछना चाहूंगा जब आपकी सरकार थी तो किसने अभिभाषण लिखा था? आपने लिखा था? आपने लिखा था, अच्छी बात है तो हमारे यहां भी हमारे माननीय मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल, रघु शर्मा और सुभाष गर्ग जी ने मिलकर लिखा है। यह मैं कहना चाहता हूं। यह नहीं होता है कि आप बार-बार अधिकारियों की बात करके लीपापोती करके ऐसे फैलाते हैं जैसे कि यह अभिभाषण तो हमारे माननीय सदस्यों के दिमाग में ही नहीं था। आपका पूरा भाषण सारहीन था। उसमें कोई तथ्य नहीं थे। आपने पूर्व सरकार के मुख्य मंत्री को, नाम तो नहीं लिया आपने, उनको और प्रधान मंत्रीजी को दृष्टि में रखकर भाषण दिया। पचास साल, पचास साल, पचास साल, ग्यारह बार बोले आप पचास साल। पचास साल राज किया तब आप यहां बैठे हुए हो। पचास साल अगर देश अखंड रहता है, आजादी के समय क्या था? जब मुल्क आजाद हुआ, मोदी जी बोलते हैं पचास साल में कुछ नहीं हुआ और आप भी यह बात बोलने लग गए क्योंकि लोक सभा के चुनाव आ रहे हैं। आपके भाषण का सार अगर मैं यह कहूं कि अगले लोक सभा चुनाव को दृष्टि में रखते हुए आपने दिया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारी बातें आपने उस रूप में कही हैं।

मैं पूछना चाहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से, तमाम विपक्षी सदस्यों से कि जब मुल्क आजाद हुआ तो क्या हालात थे? एक सूई भी बाहर से आती थी। यह बिजली चमक रही है। हम बैठे हुए हैं। माइक चल रहा है। आपको मालूम है लोग समझते नहीं थे कि बिजली होती क्या है। जिस मुल्क में ऐसे हालात हों, वह मुल्क आजाद हुआ। ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। अंग्रेजों की लाठियां खाईं, गोलियां खाईं, फांसी के फंदे पर चढ़े, जेलों में बंद रहे। पण्डित नेहरू जैसे महान नेता महापुरुष दस-बारह साल तक जेल में बंद रहे थे। कई और लोग रहे हैं लम्बी लिस्ट है जिनको जानते नहीं हैं। जाने-अनजाने में हजारों लोग थे, तब मुल्क आजाद हुआ। आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी के लोगों ने एक अंगुली भी नहीं कटाई, उस वक्त में अंगुली भी नहीं कटाई वे लोग हैं आप। पचास साल में क्या किया, पचास साल में क्या किया? पचास साल में लोकतंत्र जिन्दा रखा है। पाकिस्तान की तरह सैनिकों का शासन नहीं होने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए आज प्रधान मंत्री बन पाए

(श्री अशोक गहलोत)

नरेन्द्र मोदी जी। वसुन्धरा जी बन पाईं मुख्य मंत्री क्योंकि यह कांग्रेस की देन है कि पचास साल के बाद में भी जब-जब जनता ने फैसला किया हमारे खिलाफ, एक सैकंड नहीं लगाई इन्दिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को सत्ता सौंप दी। इसलिए उनकी तो बात करो जिनका सैक्रिफाइस है, त्याग है, बलिदान है, कुर्बानी है। खाली यह कहने से कि पचास साल में कुछ नहीं हुआ, सही नहीं है। ये माननीय सदस्य बैठे हुए हैं आपके माननीय उप नेता ने भैरोंसिंह जी से एक ही बात सीखी है इशारा करो, इशारा करो और सब खड़े हो जाते हैं। भैरोंसिंह जी की बातें और सीख लेते तो आज आप वहां नहीं बैठे होते, आज आप यहां बैठे होते। आपने कोई बात नहीं सीखी उनसे। खाली बात सीखी, हल्ला करवाओ, हल्ला करवाओ, इसके अलावा कुछ नहीं सीखा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछली बार जनता ने इन्हें बहुत भारी बहुमत दिया था। 2013 में ऐतिहासिक बहुमत दिया। मुझे 1998 में 156 मिले थे। मुझसे भी ज्यादा 163 सीटें आपको मिली और पता नहीं आपके साथ अन्याय क्यों हुआ। आप तो यात्रा में निकल रहे थे। सुराज यात्रा करने वाले थे। वसुन्धरा जी की एक धमकी में झुक गए। आप झुक गए आपकी पार्टी झुक गयी। अगर यात्रा निकाली कटारिया जी ने तो मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूंगी। मुझे आज यह कहते हुए अफसोस है। मुझे पार्टी ने केन्द्रीय मंत्री बनाया। मैं तीन बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। तीन बार केन्द्रीय मंत्री रहा। 5 बार एमपी रहा। दो बार मैं एआईसीसी का महामंत्री रहा। दो बार मुख्य मंत्री बन चुका था। मेरी पार्टी में कोई फैसला करे कि हम यात्रा निकालेंगे और मैं धमकी दूं कि मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। आपकी नेता ने यह काम किया। आपकी पार्टी झुकी उनके आगे। आपको बदला गया। आपकी यात्रा रोकी गयी और वह आकर पद पर बैठीं बीजेपी अध्यक्ष के रूप में। हुआ क्या? यात्रा निकली। मोदी जी का तूफान आया। उनकी सुनामी आई। हमें स्वीकार करना चाहिए। असत्य आधारित थी। ब्लैकमनी लेकर आऊंगा विदेशों से, एक रुपया लेकर नहीं आये। दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार का कुछ पता नहीं। महंगाई कम कर देंगे। भूल गए महंगाई को। पैट्रोल-डीजल के दाम कम कर देंगे। अन्तरराष्ट्रीय कीमतें कम हो गयीं, कम नहीं कर पाए। धोखा पूरे देश को मिला, परन्तु माहौल ऐसा बना कि एक बार तो प्रधान मंत्री बनना जरूरी है मोदी जी का। पता नहीं यह व्यक्ति प्रधान मंत्री बनेगा तो आकाश के तारे तोड़ कर जमीन पर ले आएगा। उसका फायदा मिला आपकी पार्टी को। 163 सीटें आ गयीं। कोई बात नहीं, हमने विद ह्युमिलिटी, आपको याद होगा विद

(श्री अशोक गहलोत)

ह्यूमिलिटी मैंने सुबह साढ़े दस बजे कह दिया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। (व्यवधान) क्यों भड़का रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं कह रहा था पहले चुनाव विधान सभा का हुआ था, हम 163 आ गये थे यहां।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैंने हार स्वीकार की, जो मैं कहना चाहता हूं आपको, मैंने हार स्वीकार की, विद ह्युमिलिटी की। वसुन्धरा जी को मैंने शुभकामनाएं दीं। आप शासन करो कामयाबी के साथ में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। क्या किया आपने? पांच साल बर्बाद किये। कोई साथ नहीं दिया।

पांच साल मुख्य मंत्रीजी किसी से मिलीं ही नहीं। सर्किट हाउस में नहीं रुकने की तो उन्होंने सौगंध ले रखी है। वह और किससे मिलती? जब मंत्रियों से ही नहीं मिल रही हैं, एमएलए से नहीं मिल रहीं तो जनता से कैसे मिलतीं? आपका सीएमओ का एक अधिकारी डीफैक्टो चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों की लाइन लगी हुई है, मंत्री ही उनसे मिलने के लिये तड़प रहे हैं, ऐसा राज आप करते हैं। बनते ही आपका स्टेटमेंट आया था वसुन्धरा जी के पक्ष में कि यह तो अब सादगी के साथ शासन करेंगी, लाल बत्ती पर रुकेंगी, कामर्शियल फ्लाइट से जाएंगी, कार काम में नहीं लेंगी। आप लोगों ने "आप पार्टी" की नकल की, नकल का क्या हुआ? भरतपुर में आपके 15 मंत्रियों का लवाजमा गया, वहीं उनकी पोल खुल गयी। सरकारी कारें छोड़ दीं, कौनसी कार काम में ली, मर्सडीज जो दुनिया की सबसे कीमती कार है, उस कार को काम में लिया गया पांच साल। हवाई जहाज में कामर्शियल फ्लाइट, उसकी बजाय क्या किया, जो बड़े प्लेन होते हैं, उन प्लेन को, हैलीकॉप्टर को पांच साल के लिये किराये पर लिया गया, 50 करोड़ रुपये खर्च हुए। इतने में आपका एक नया हैलीकॉप्टर आ जाता। कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है। पांच साल में क्या उपलब्धियां कीं?

अभी नेता प्रतिपक्ष अपने आंकड़े दे रहे थे, आंकड़े मैं भी दे सकता हूं परन्तु मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार का शासन हुआ है, जनता में आक्रोश क्यों पैदा हुआ क्योंकि मुख्य मंत्री किसी से मिली ही नहीं, दु:ख दर्द सुने ही नहीं तो लोग कहां जाएंगे? आप सबको बीजेपी दफ्तर में भेज दिया कि आप जन सुनवाई करो। दफ्तर में जन सुनवाई होती है? मंत्रियों के घरों में जन सुनवाई होती है। कितनी बार लाठी चार्ज वहां पर हुआ, कितनी बार मंत्रियों ने दौरे नहीं

(श्री अशोक गहलोत)

करने के बहाने बनाये, जो हालात थे, वह आपके सामने हैं। जिस प्रकार से बजरी माफिया पनपा, कोई बोलने वाला नहीं था, सबके मुंह पर ताले लगे हुए थे। शराब की अनआफिशियली कीमतें बढ़ा दी गयीं, पैसा पर मंथ इकट्ठा हो रहा था, कहां जा रहा था? बजरी की इल्लीगल माइनिंग हो रही थी, कहां पैसा जा रहा था, ऊपर तक पैसा पहुंच रहा था। संस्थागत तरीके से जनता को लूटा गया। गरीब आदमी मकान नहीं बना पा रहा था। शराब के लिये अधिक पैसा देना पड़ता था, पैसा कलेक्शन होता था। इस रूप में आपने जो पांच साल शासन किया है, जो वित्तीय कुप्रबंधन किया है। चिकित्सकों की हड़ताल हुई तो सबको मालूम है क्या हुआ। आपकी तो माननीय एमएलए कीर्ति कुमारी जी की जिंदगी चली गयी लापरवाही से। वह तो विधायक थीं, और लोगों का क्या कहें।

फ्री मेडिसिन की एक योजना चल रही थी, जिसकी तारीफ WHO कर रहा है। मोदी जी अपनी टीम को भेज रहे हैं, हमारे अधिकारियों को गुजरात में बुला रहे हैं। 10-12 राज्यों के लोगों ने आकर स्टडी किया। उस स्कीम में 600 दवाइयां हम दे रहे थे, आप हजार कर देते। पेंशन हमने दी तो आप पेंशन थोड़ी बढ़ा देते, आपकी वाह-वाही हो जाती, क्योंकि वह योजना हमारे वक्त की थी, कैसे उसको बंद करें, कमजोर करें, आप भामाशाह योजना लेकर आ गये। भामाशाह कार्ड बनाने की जरूरत थी क्या? मुख्य मंत्री की फोटो लगाना जरूरी होता है क्या? सरकार बदलती रहती है, कल न मैं मेरी फोटो लगा दूं, कल सरकार बदल जाएगी क्या होगा। मैंने सुना है कि भामाशाह कार्ड पर कम से कम 400 करोड़ खर्च किये गये और हालात क्या रहे, हमारी योजना कमजोर की। आज मिलीभगत से इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट हास्पिटल मिलकर लूट रहे हैं। किसका इलाज होना चाहिये, किसका इलाज नहीं होना चाहिये। कितना इलाज का खर्चा हुआ? 5 हजार हुआ, 25 हजार हुआ, 50 हजार हुआ, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इस हालात में स्कीम चल रही थी। मैंने भी आंध्र प्रदेश की स्कीम की स्टडी कराई थी। हमने तय किया हमारी योजना ज्यादा अच्छी है, पर हमारी बात नहीं मानी गयी और आप लोगों ने अपने हिसाब से इस काम को किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन में नाम काटे गये, विधवा पेंशन में, निःशक्तजन पेंशन में, कोई कारण नहीं था क्योंकि हमारे वक्त में हमने सर्वे कराया उनके नाम काटने थे। हमने सरकार बनते ही उनकी पेंशन राशि बढ़ाई है, आप बढ़ा सकते थे, क्यों नहीं बढ़ाई आप लोगों ने? उनकी क्या तकलीफ होती है, आपने कभी महसूस नहीं किया। आपके

(श्री अशोक गहलोत)

वार्षिक उत्सव की तो झड़ी लगी हुई थी। जैसे ही हर साल निकलता सरकारी खर्चे पर आपके वार्षिक उत्सव होते थे। हिन्दुस्तान में कोई भी राज्य सरकार सरकारी धन पर अपना वार्षिक उत्सव मनाती है क्या, मैं पूछना चाहता हूं। पर मुझे याद है 2008 में आप लोगों ने पहली बार यहां पर तमाशा किया था। बीजेपी पार्टी के नाम से किया था, हमें खुशी हो रही थी कि कोई बात नहीं अपनी बात कह रहे हैं। अचानक ही उसको सरकारी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया, करोड़ों रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। तब से लगातार आपने इस योजना को बनाये रखा और पांच साल आप लगातार वार्षिक उत्सव मनाते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। एग्रीटेक के अलग उत्सव मनाये आप लोगों ने, कोई फायदा नहीं मिला।

मुझे कहते हुए अफसोस है मैंने पहले ही कहा था कि रिसर्जेंट राजस्थान का पूरे देश में माहौल बनाया गया। रिसर्जेंट राजस्थान में कितने लोग आ गये? 3 लाख 38 हजार करोड़ के निवेश के 470 एमओयू हुए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको याद होगा उस वक्त मैंने कहा था कि यह बड़े उद्योगपतियों का स्नेह मिलन के अलावा कुछ नहीं है, वह सिद्ध हो गया है। मेरे पास आंकड़े हैं 470 में से केवल 68 एमओयू 12487 के इम्प्लीमेंट हुए हैं। आप जवाब दीजिए कि कितने करोड़ रुपये खर्च कर दिये, 100 करोड़, डेढ़ सौ करोड़, कोई हिसाब नहीं है उसका और आपने राजस्थान में एक तमाशा कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। इस प्रकार का आप लोगों ने राज किया।

आज आप वहां क्यों बैठे, गायों को नहीं छोड़ा आपने। गायों का अभी फीगर बता रहे थे, गायों की किस प्रकार की हालत हुई है हिंगोनिया गौशाला में। गायों के नाम पर राजनीति की गयी थी। कोई जमाना था, कटारिया साहब को तो मालूम होगा, अध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगा पार्लियामेंट के घेराव हुए थे, फायरिंग तक हुई थी। जनसंघ द्वारा गौ-माता की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करने की कोशिश की गयी थी, फेल हो गये, गाय को ही छोड़ दिया फिर राम मंदिर लेकर आ गये थे। मैं आंकड़े देख रहा था कि खाली एक हिंगौनिया गौशाला में 74016 गायें मरी हैं, यह नगर निगम के आंकड़े हैं पांच साल में। 2014 में 11880, 2015 में 12915, 2016 में 13328, 2017 में 11905, 2018 में 23978, इस पर तो आप सोच सकते हैं कि आपके दिल में क्या गुजर रही होगी क्योंकि गाय माता के भक्त तो हम सभी हैं जो हिन्दू हैं, पर कांग्रेस को आपने बता दिया कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। वाह,

(श्री अशोक गहलोत)

क्या राजनीति करते हैं आप लोग देश में, कमाल कर दिया। मोदी जी के बोलने का जवाब नहीं है, बात करने का, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। अब समझ में आ गयी जब हम जीते हैं राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में, यह काऊ बैल्ट कहलाता है, काऊ बैल्ट, यह काऊ बैल्ट है, काऊ बैल्ट में जीते हैं, हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। आप सोच सकते हैं दिनों दिन हिन्दू समाज समझ गया है कि चुनाव आते ही इनको राम मंदिर याद आता है, अब वह आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। टाइम आएगा आपके सामने, आप देखोगे किस प्रकार से टाइम पूरा हो रहा है पांच साल का, यहां आपका हो गया, अब दिल्ली की बारी है, दिमाग में रखें आप लोग। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठे बैठे नहीं बोलें प्लीज।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं दावे के साथ में कि आप अपनी सरकार के होम मिनिस्टर थे, वहां तो आपकी कितनी चलती थी, वह अलग बात है, आज आपने जो सरकार का बचाव किया, मैं आपको दाद देता हूं कि वास्तव में आपने दिल से बचाव किया है। पांच साल की परफोर्मेंस कैसी भी रही हो, पर आपने कमी नहीं रखी जिस रूप में आपने कहा है, यह मैं आपको दाद देता हूं। मैं एक-एक शब्द सुन रहा था किस तरह आप बोल रहे थे। आप वरिष्ठ मंत्री थे, नैक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर भी शायद आप ही होंगे, या यूनुस खान जी थे, पहले राजेन्द्र राठौड़ साहब थे, मैं भूल गया, राठौड़ साहब थे फिर यूनुस खान साहब हो गये थे।

क्या ठाठ हैं। क्या फैसले होते हैं? पर आप तो आप ही थे, क्योंकि आप गृह मंत्री थे, आपका ओहदा था, पूरा सदन भी आपकी रैस्पैक्ट करता है, आपकी पार्टी व विधायक तो करते ही हैं। आपको मैं पूछना चाहता हूं कि आपके मुंह पर ताले क्यों लग गये? जब आपकी सरकार ने रिफाइनरी बर्बाद कर दी। परवन नदी तो झालावाड़ बारां में आयी हुई थी। हमारे पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं। कोटा को फायदा मिलता। क्या कारण था कि आपने चार साल तक डिले कर दिया? जयपुर मैट्रो का द्वितीय फेज आना था, वह गायब हो गया। आदिवासी क्षेत्र में तो आप बहुत आते-जाते भी रहते हैं। आपको बड़ा लगाव भी है। बांसवाड़ा-डूंगरपुर-रतलाम का काम शुरू हो गया था। 200 करोड़ रुपये जमा करवा दिये। एग्रीमेंट हो गया रेलवे के साथ में, किन्तु सब गायब, उसकी चर्चा ही नहीं। सरमथुरा, धौलपुर महल, महारानी साहिबा का। महारानी साहिबा के महल से नैरो गेज सरमथुरा। सरमथुरा से गंगापुर वाया करौली जिला जुड़

(श्री अशोक गहलोत)

जाता। क्या कारण है? भारत सरकार को पत्र लिखकर भेज दिया गया कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। महल को जरूरत नहीं होगी, ट्यूरिज्म के हिसाब से। बाकी जनता को तो जरूरत थी, करौली को जरूरत थी। गंगापुर को जरूरत थी, नया रास्ता खुल सकता था। कोई चर्चा ही नहीं की। हम वहां पर खुद गये। वहां जाकर शिलान्यास किया। शिलान्यास का पत्थर पता नहीं आपकी सरकार कहां ले गयी। कहां छिपा दिया होगा, पता नहीं। अजमेर-सवाई माधोपुर वाया टोंक, टोंक जिला जुड़ जाता। इसकी चर्चा ही नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, आपके प्रयास से मैमू कोच की फैक्टरी आई थी, भीलवाड़ा के अंदर। उसका शिलान्यास हो गया। उसकी चर्चा ही नहीं। मानता हूं कि काम होते भी नहीं हैं, पर यह कहां लिखा हुआ है कि सरकार बदलने के बाद आप प्रोजेक्ट की चर्चा ही न करो। भारत सरकार से प्रयास भी नहीं करो। सरकार तो आपकी बन गयी थी। कड़ी से कड़ी जुड़ गयी थी, राजस्थान से दिल्ली की। यह मेरी शिकायत है कि कोई प्रयास नहीं किये गये। मैं यह नहीं कहता कि ये सब काम हो जाते। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि प्रयास क्यों नहीं किये गये।

मुझे बहुत अफसोस है कि इस प्रकार से जो कार्य किया गया। किसी को छोड़ा ही नहीं। डा. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आपके प्रधान मंत्री उनके गांव में उनकी जयंती मना रहे हैं, वह विश्वविद्यालय पिछली साल बंद कर दिया गया, उसका कोई कारण नहीं। हरिदेव जोशी जी, यहां के तीन बार मुख्य मंत्री रहे हैं। उनके नाम पर पत्रकारिता का विश्वविद्यालय था। वे खुद पत्रकार थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी चल रही है, 25-30 साल हो गये, उसका पूरे देश में नाम है। क्या हमारे विश्वविद्यालय का 15-20 साल बाद में नाम नहीं हो सकता था?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये जो पूछना चाहते हैं, हम इनको जवाब दे देते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, थोड़ा धैर्य भी रखें। बैठने की आदत डालें। धैर्य रखें। माननीय सदस्य, आप सीनियर लीडर हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): कारण बताएं, मालूम पड़े कि यह क्यों हुआ? क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। सरकारें बदलती हैं, हाकिम बदलता है, हुक्म नहीं बदलता है। यह पुरानी कहावत थी। इसको क्यों बदला? झुंझुनूं में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी, वह गायब। वी.सी. बेचारे बैठे रहे। उनको हम

(श्री अशोक गहलोत)

पटियाला से नौकरी छुड़ाकर लाये। कोई पता नहीं। राजीव गांधी सेवा केन्द्र की कल बहस हो चुकी, उस पर मैं बोलना नहीं चाहता। मैं अपनी बात कह चुका हूं। सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड शानदार बन रहा था, उसको बंद कर दिया। अल्पसंख्यक विकास कोष 200 करोड़ रुपये, आंगनबाड़ी कल्याण कोष 100 करोड़ रुपये, देवनारायण योजना 300 करोड़ रुपये, एस.सी. क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये, ई.बी.सी. के लिये 200 करोड़ रुपये। घुमंतू-अर्द्धघुमंतू जाति के लिये 50 करोड़ रुपये का। हमने प्रोविजन किया और पास हो गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने ऐसा काम क्यों किया? इनको बंद क्यों किया? उस वक्त कोई कारण तो बताते। कोई कारण नहीं बताये गये। इसीलिए मैंने कहा कि सरकारें बदलती हैं, उसके साथ कम से कम यह भावना हम सबकी होनी चाहिए कि राज बदले पर अच्छे काम नहीं बदलें, काम रुकें नहीं, पर आप रोक चुके थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सरकार बनते ही जो घोषणा की है, वह मैं रिपीट नहीं करना चाहता। चाहे हमने पेंशन की राशि बढ़ायी हो।

अभी आपने एक सवाल उठाया था, जिसका मैं जवाब देना चाहता हूं आपने कानून बनाया था कि अनपढ़ लोग पंचायतों और नगरपालिकाओं में चुनाव नहीं लड़ सकते। हमने उसको रद्द कर दिया। आप मुझे बताइये कि एम.एल.ए., एम.पी. अनपढ़ बन सकता है, जो विधान सभा और लोक सभा में बैठकर कानून बनाते हैं, वह अनपढ़ बन सकता है। गांव के जो लोग हैं, वे कोमनसैंस के लोग होते हैं। इस देश में कोमनसैंस ने सब कुछ कर दिया। जब इंदिरा जी चुनाव हारी थीं। लोगों को कानों कान खबर नहीं लगी और एकदम पूरा नार्थ इंडिया साफ हो गया। यह रोबस्ट कोमनसैंस है जनता का। इंदिरा गांधी की वहां पर आंधी चली थी, आप लोगों को खबर नहीं लगी और हम लोग एम.पी. बनकर चले गये। देश के अंदर भारी बहुमत से वापस कामयाब हुई। इस देश की जनता अनपढ़ हो सकती है। उनका रोबस्ट कोमनसैंस एक्स्ट्रा आर्डिनरी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उन पर शक क्यों किया? मैं आपको नहीं कह रहा हूं, पूरी पार्टी को कह रहा हूं। क्यों किया, आपने उनको क्यों हटा दिया? आप कहते कि अगर दस साल के बाद में कोई अनपढ़ रहेगा तो हम अलाउ नहीं करेंगे, तो यह बात समझ में आती। आप यह चाहते हैं कि ये लोग पढ़े-लिखें, बाद में सरपंच बने। अविलम्ब करके, जो लोग सक्षम थे, बन सकते थे, उन पर आपने रोक लगा दी। इसका कोई कारण नहीं था। उनके

(श्री अशोक गहलोत)

साथ भेदभाव किया। गलत सर्टीफिकेट दिया जिससे मुकदमेबाजी बढ़ी। किसी पर मुकदमा होगा, किस पर नहीं होगा, यह लंबी कहानी है। हमने मेयर के सीधे चुनाव करने का फैसला किया। आपने उसको वापस पुनः क्यों बदला, यह समझ में नहीं आता। हम पांच साल कृषि की दरें नहीं बढ़ाएंगे, यह फैसला किया है। एक लाख विद्युत कनेक्शन देने का फैसला किया है।

बजरी के लिए मैंने आपको कहा। मैं चाहूंगा सबका सहयोग मिले। बजरी का माफिया बहुत बड़ा माफिया रहा। इसने पूरा बर्बाद किया। सुप्रीम कोर्ट की आड़ के अंदर सरकार की मिलीभगत से जो खेल चला, कोई सोच ही नहीं सकता कि कितना पैसा नीचे से ऊपर तक पहुंचा। उसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये तमाम बातें हमारे सामने हैं।

हम आपको निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी सरकार जब से बनी है, तब से हमारा प्रयास है कि हम पूरे राजस्थान को गुड गवर्नेंस कैसे दें। यही हमारा प्रयास है और मैंने सरकार बनते ही यह बात कही थी कि हमने जो मैनिफेस्टो बनाया है, उसे आधार बनाकर हम शासन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका सहयोग हमें मिले। 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा आपका तो रह गया अधूरा, वर्ना आज स्थिति यह नहीं होती, जो स्थिति आज बनी है। आज देश में घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है। देश में आज अविश्वास का माहौल है, हिंसा का माहौल है। हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि देश में प्यार से, सद्भाव से राजनीति हो। हमारी निजी दुश्मनी किसी से नहीं है। अगर हमारी लड़ाई है तो नीतियों की है, कार्यक्रमों की है। हम लोग सिद्धांतों की बात करना चाहते हैं। हम आपसे भी अपील करते हैं कि व्यक्ति की कोई बात दिमाग में न रखें। भैरोंसिंह शेखावत साहब का जमाना था, उसको आप याद कर रहे थे। कटारिया साहब, वही जमाना आप लोग वापस लाएं। हम भी कोशिश करेंगे कि कम से कम बातचीत तो हो। बातचीत बंद हो गयी। जब से नयी सरकार का प्रादुर्भाव हुआ, 2003 में बातचीत बंद। कटारिया साहब की स्थिति ऐसी बन गयी कि कहीं अशोक गहलोत से बात कर ली तो पता नहीं मेरा खुद का क्या हो जाएगा? कमाल है। ये अहमदाबाद में अस्पताल में भर्ती थे। मैं वहां कैम्पेन में लगा हुआ था। मुझे मालूम पड़ा कि हमारे गृह मंत्री जी के पांव में तकलीफ है। घुटने रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, मैंने सोचा उनसे जाकर मिल लूं। मैंने इनके वहां पर कहलवाया तो कहा कि नहीं, नहीं, आने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हो गया हूं। कमाल हो गया। ऐसा क्या हो गया, वसुन्धरा जी क्या कोई खा जाएंगी? वसुन्धरा जी हैं तो इंसान ही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): भगवान के लिये सच बोला करो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): पानी पी लूं? एक-दो मौके और भी आये थे। कन्नी काटना बड़ा आसान है। राजेंद्र राठौड़ जी हमारे पड़ौसी हैं। पूछो कभी, पड़ौसी का धर्म निभाया? हां, मुझे डिस्टर्ब जरूर किया। अध्यक्ष महोदय, रात को अपना बर्थ-डे मना रहे हैं, फिल्मी गाने गा रहे थे, मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे और खुद ही गा रहे थे। दस बजे के बाद माइक बंद हो जाता है। एक मंत्री खुद ही दस बजे के बाद माइक चला रहा है। खुद गाना गा रहा है। बताइये, आपके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई? क्योंकि गवर्नमेंट आपकी थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कम से कम आप इतना तो ध्यान रखते हो। मेरा गाना कैसा लगा, यह बताओ जरा। मुख्य मंत्रीजी मुझ पर दो शब्द कह डालो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मुखड़े तो याद रहते नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरे घर में ताक झांक क्यों? यह मेरी शिकायत है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मुझे मुखड़े याद नहीं रहते हैं। वो चांद सा मुखड़ा था तुम्हारा।

घूंघट का चांद भी है और बदली का चांद भी है। बदली का चांद कौन-सा होता है और घूंघट का चांद कौन-सा होता है, आप जानते हो, मुझे पता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरी बीवी का नाम चांद है। मुख्य मंत्रीजी ने मेरी बीवी का नाम लेकर जो टिप्पणी की है, रिकार्ड से हटवाओ उसको।

श्री अध्यक्ष: आपने जानकारी दी, सबको सूचित किया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर चाहूंगा कि मैनिफेस्टो में हमने कुछ वायदे किये थे, मैं यह बताऊंगा कि हम उनको कैसे पूरा करना चाहते हैं। बीपीएल की बात हमने कही थी। बीपीएल, स्टेट बीपीएल के लोगों को हम लोग, जो करीब 1 करोड़ 53 लाख है, उनको दो रुपये के बजाय एक रुपये किलो गेहूं देंगे। यह वादा किया था। मैं घोषणा करता हूं कि हम इस वादे को निभाएंगे। एक हमने कहा था कि लघु और सीमांत श्रेणी के जो वृद्ध किसान हैं, जो पेंशन योजना में नहीं आये हैं,

(श्री अशोक गहलोत)

उनको हम पेंशन देंगे। उनको हम सम्मिलित करेंगे, यह मैं घोषणा करना चाहता हूं। 5000 सरस बूथ खोले जाएंगे। राजस्थान के नौजवानों को रोजगार मिलेगा राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन के माध्यम से और दो रुपये प्रति लीटर बोनस की जो हमने स्कीम लागू की थी, इन्होंने उस स्कीम को आते ही बंद कर दिया। मैं घोषणा करता हूं कि हम किसानों को पुन: दो रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस देंगे।

मूंग खरीद के बारे में आपने भी मांग की, तमाम पक्षों ने मांग की थी। आपको मालूम है कि केन्द्र सरकार इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराती है। उसके बाद में एमएसपी पर कोई खरीद होती है। यह सबको मालूम है। केन्द्र सरकार ने 8 जनवरी तक का समय दिया था हमें। 8 जनवरी तक जो लोग आ गये थे और जिनकी तुलाई नहीं हुई थी, वे लोग आज काफी तकलीफ के अंदर हैं। हमने तय किया है कि जो लोग 8 तारीख को आ गये थे, जिनकी पर्ची कट गयी थी परन्तु वे रिकार्ड में नहीं आये थे, उन सबको शामिल करके, उनकी भी हम मूंग खरीद करेंगे, यह मैं घोषणा करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि हमने प्रधान मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी को पत्र लिखा है, उन्होंने वादा किया था लिखित में और पार्लियामेंट में भी कहा था कि एमएसपी के नीचे अगर मार्केट में खरीद चल रही हो तो आप लगातार खरीद जारी रखें 40 परसेंट तक। अब वह उस पर आनाकानी कर रहे हैं तो मैंने पत्र भेजा है, आज भी भेजा है, परसों भी भेजा था कि आप छूट दें। अगर आप छूट देंगे तो हम और ज्यादा मूंग की खरीद कर सकेंगे। यह हमारा प्रयास रहेगा। आप भी हमें सहयोग करें। आप भी कम से कम वहां पर मैसेज करें। हमने पत्र लिखे हैं, उन्होंने लिखित में हमें कहा था कि आप खरीद जारी रखें। लोक सभा में जो उत्तर दिया था, उस उत्तर की प्रतिलिपि हमारे पास है, यह कहा गया था। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप उसमें हमें सहयोग करें।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा जो ऋण माफी की बात की, जिस मुद्दे को आपने बड़े जोर-शोर से उठाया भी था। आप सबको मालूम है कि हमारी स्वयं की भी मंशा है कि ऋण माफी का काम हम किसी भी प्रकार से पूरा कर सकें। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा एक तरफ तो हम लोग इसमें जब आपने शुरूआत की थी पचास हजार थे। पचास हजार से शुरूआत की थी और बाद में वह मामला आगे बढ़ा नहीं क्योंकि वह लघु और सीमान्त किसान तक की ही बात थी, पचास हजार तक की बात थी। हमने तय किया कि सीसी बैंक के

(श्री अशोक गहलोत)

जितने भी कर्जे हैं, चाहे लघु, सीमान्त हैं या अन्य हैं, उन सभी के कर्जे माफ किये जाएं, यह हमने घोषणा की है। वह प्रक्रिया आगे बढ़ गयी है और मैं फ्लोर पर घोषणा करता हूं उन सबके कर्जे माफ होंगे। लघु और सीमान्त के अलावा भी आनुपातिक तरीके से आपने उनको धनराशि दी थी, जो लघु और सीमान्त किसान नहीं थे, उनको भी दी थी आपने बाद में। यह आपने उनके लिए वादा किया था, घोषणा की थी। आप 2 हजार करोड़ रुपये देकर रह गये थे। 6 हजार करोड़ रुपये का भार हमारे ऊपर है। हम उसको वहन करेंगे। उन तमाम सीसी बैंक के जो कर्जदार हैं, उन सबको हमने फण्ड की उपलब्धता के आधार पर लोन देने का फैसला किया है।

इसके अलावा जो सीसी बैंक हैं, इनके लाइसेंस रद्द होने की जोखिम बनी हुई है। ये जो पैसा जमा करवाते हैं, वह पैसा जमा करवाने की स्थिति में रहे नहीं क्योंकि कर्जा माफ हो गया। आपके आदेश से कर्जा माफ तो उन्होंने कर दिया। 6 हजार करोड़ गवर्नमेंट उनको चुका नहीं पायी। उनके कर्जे माफ हो गये तो जो पैसा उनको भरना पड़ता है, वह भर नहीं पाये थे। पिछली सरकार ने 2 हजार करोड़ का बजटीय वित्तीय प्रावधान कर किसान हितों की उपेक्षापूर्ण नीति का परिचय देकर अपनी देयताओं का भार वर्तमान सरकार पर डाल दिया है। ऋण माफी की पूर्ण राशि उपलब्ध नहीं कराने के कारण सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। बैंक, कृषक सदस्यों को ऋण वितरित नहीं कर पा रही है। आगे वापस उनको लोन नहीं मिल रहा है। बैंकों के लाइसेंस निरस्तीकरण का जोखिम बना हुआ है। साथ ही में CRAR (capital-to-risk weighted assets ratio) के निर्धारित स्तर की पालना विफल हो रही है जिसकी पूर्ति हेतु हमारी सरकार सहकारी बैंकों को 340 करोड़ रुपये की हिस्सा राशि और 78.51 करोड़ रुपये की ग्रांट-इन-एड उपलब्ध करवा रही है ताकि बैंकों के लाइसेंस बरकरार रहें तथा आगामी वर्षों में कृषक बंधुओं को अल्पकालीन फसली ऋण समय पर उपलब्ध होता रहे। यह मैं आपको इन्फोर्मेशन दे रहा हूं कि हम लोग यह करने जा रहे हैं।

भूमि विकास बैंक और सीसी बैंक के जो अवधिपार कृषक हैं लघु और सीमांत, उनके भी पात्रता अनुसार समस्त ऋण माफ किये जाएंगे, यह मैं घोषणा करना चाहता हूं। इसके कारण 80 हजार हैक्टेयर, चार लाख बीघा कृषि भूमि गिरवी रखी हुई है, वह मुक्त हो सकेगी। नेशनलाइज बैंक, शिड्यूल्ड बैंक और आरआरबी ग्रामीण बैंक के जो कृषि ऋण एनपीए की है मैंने घोषणा कर

(श्री अशोक गहलोत)

रखी थी पहले कि जो डिफाल्टर हैं उनके बारे में हमने घोषणा की थी कि इनको दो लाख तक के कर्जे माफ होंगे, इसको लेकर हमने बैंकों से बातचीत शुरू कर दी है। जिस प्रकार से उद्यमियों के, व्यापारियों के वन टाइम सैटलमेंट करते हैं-ओटीएस, उस रूप में ओटीएस के माध्यम से हम सैटलमेंट करेंगे उनसे जिससे किसानों का भी दो लाख तक का कर्जा माफ हो सके। प्रधान मंत्रीजी को भी हमने पत्र लिखा है कि आप स्वयं आगे आकर कर्जे माफ करें पूरे देश में। हम उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं परन्तु मैं यह वादा करता हूं कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तब भी हमारी सरकार कर्जे माफ करेगी यह मैं निवेदन करता हूं।

एक और निवेदन मेरा माननीय सदस्यों से है, सदन के माननीय सदस्यों ने एक बात उठायी कि जो लोग गुड बोरोअर हैं, जो समय पर चुकारा करते हैं, उनको कुछ नहीं मिला है और जो डिफाल्टर हैं, एनपीए जिनका हो गया है, उन्हीं को मिल रहा है। यह एक पापुलर डिमांड है सब लोगों की और कई जगह से भी डिमांड आयी थी। इसके लिए हमने तय किया है कि सद्भावी किसानों के लिए एक स्पेशल पैकेज बने। इसके लिए मैं आपसे सब्मिशन करना चाहूंगा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखण्ड, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब इत्यादि राज्यों में जो गुड बोरोअर हैं, जो टाइम पर चुकाते हैं, उनके लिए स्कीम बनायी है। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि इन तमाम राज्यों की स्टडी करके, इन सबसे अच्छी योजना, स्पेशल स्कीम हम बनाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जो राजस्थान में आत्महत्याएं हुई हैं, जिनकी आत्महत्या हुई है, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूछा जाएगा, उनसे रिकमन्डेशन लेकर उनके जो कर्जे है, वे माफ किये जाएंगे। वह माफ करना हमारा धर्म बनता है, फर्ज बनता है।

एक पाइंट नेता प्रतिपक्ष महोदय ने उठाया था कि दस परसेंट आरक्षण वाला मामला। शायद आपकी जानकारी में होगा, अध्यक्ष महोदय, आपको तो मालूम है, कैबिनेट में आप उस समय मंत्री थे और आपकी प्रजेन्स में ही हम लोगों ने 2002 में तय किया था कि 14 परसेंट आरक्षण मिले ईबीसी को।

देश में पहला राज्य राजस्थान था 2003 के अंदर, जिसमें हमने प्रस्ताव पास किया। तत्कालीन गवर्नमेंट एनडीए की थी, आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे, उनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि वह

(श्री अशोक गहलोत)

इसको संविधान संशोधन करवाएं। उस वक्त यह काम आगे नहीं बढ़ पाया था। राज्य सभा के अंदर मिस्टर अमर सिंह ने एक क्वेश्चन लगाया था उसके जवाब में मंत्रीजी ने भी यही कहा था कि हम इसको दिखवा रहे हैं- "The Government proposes to constitute a commission to study the question ... whether Government's attention have been drawn to the decision taken by the Government of Rajasthan.." यह उस जमाने की बात है, "to extend 14 percent reservation to the Economically Backward Classes? If so, Government's reaction thereto. By when a decision is likely to be taken up in this regard?" यह अमर सिंह जी का क्वेश्चन था "Reservation for Economically Backward Classes in Rajasthan", जवाब के अंदर मंत्री जी ने दिया, "Yes Sir, the Government proposes to constitute a commission, to study and recommend reservation for Economically Backward Classes, which is not covered by the present reservation policy."

कहने का मतलब है कि उस वक्त से हम यह लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे खुशी है कि अभी यह पार्लियामेंट के अंदर संविधान संशोधन हुआ है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि हम अतिशीघ्र ही यह फैसला करने जा रहे हैं, दस परसेंट आरक्षण राजस्थान में लागू करेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और लंबी बात नहीं कहना चाहता, सदन का समय काफी हुआ है, मुझे खुशी है कि माननीय पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने बड़ी कृपा की कि सबने मुझे शांति से सुना। मैं समझता हूं, कि मेरी बात पर उन्होंने गौर किया होगा। उम्मीद करके चलता हूं कि आगे भी गौर करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान का विकास हो, हमारा राजस्थान के लिए गुड गवर्नेंस बड़ा एजेंडा है, उसमें पानी, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था की स्थिति आदि पर ध्यान दिया जाएगा। मैं आंकड़े देता रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा कि आपने क्या कहा और मैं क्या कहना चाहता हूं परन्तु आंकड़े आंकड़े ही होते हैं आपने खुद ने कहा। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं बैठिए प्लीज, नीचे बैठें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज नीचे बैठें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। गलत परम्परा नहीं ड़ालें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैं इतना ही आश्वासन देता हूं कि जो हमारी जनता की समस्याएं होती हैं, उनके समाधान के लिए योजना बनाकर कार्यवाही की जाएगी। मैं बार-बार कहता हूं कि राज बदलने के साथ कोई स्कीम रुकनी नहीं चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि जब-जब हमारी सरकार बनी है 1998 के अंदर, 2008 के अंदर और अभी तीसरी बार बनी है, पहले भी दो बार हमने आपकी किसी सरकारी योजना को नहीं रोका था, अब भी मैं आश्वासन देता हूं कि जो योजना जनहित की होगी, कोई योजना नहीं रोकी जाएगी। मैं चाहूंगा कि जो योजनाएं हमारी, जो अभी आपको गिनाई हैं रिफाइनरी से लगाकर मैट्रो तक की उसमें आप हमारा सहयोग करें केन्द्र के अंदर। क्योंकि सरकार आपकी वहां पर है। कहां अटकी हुई है, क्यों अटकी हुई है, कैसे पूरी हो सकती है, हम चाहेंगे कि पक्ष-विपक्ष सबका सहयोग मिले। यही बात कहता हुआ मैं माननीय तमाम सदस्यों को धन्यवाद दूंगा। हमारे महेन्द्रजीत सिंह मालविया जी ने प्रस्ताव रखा है मैं विनती करूंगा कि उस प्रस्ताव को सदन सर्व सम्मति से पास करे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: वाद-विवाद समाप्त हुआ। प्रश्न यह है कि अभिनेष महर्षि, सदस्य विधान सभा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वीकार किया जाए? (व्यवधान)

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वी वांट डिवीजन। (व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सदस्य विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, वी वांट डिवीजन...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, वी वांट डिवीजन... (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, वी वांट डिवीजन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। डा. महेश जोशी, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। (व्यवधान)

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र.सं. 2)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

बहिर्गमन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) आपने हमारे मांगने पर भी डिवीजन नहीं दिया, हम वाकआउट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23 जनवरी, 2019 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 11 एवं 12 फरवरी, 2019 को सदन में लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

(डा. महेश जोशी)

सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019	1. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 एवं 2. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण।
मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी, 2019	वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए अतिरेक मांगों पर मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयकों का पुर:स्थापन, उन पर विचार एवं पारण।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 11 फरवरी 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.47 बजे सोमवार, दिनांक 11 फरवरी 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत गेहूं का वितरण

27. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक माह में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दो रुपये प्रति किलो गेहूं वितरित किया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि विगत कुछ माह में दो रुपये प्रति किलो गेहूं का आबंटन नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? सरकार अब कब तक उक्त गेहूं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रत्येक अन्त्योदय परिवार (AAY) को 35 किग्रा. मासिक तथा अन्य पात्र परिवारों (PHH) को प्रति सदस्य 5 किग्रा गेहूं 2 रुपये प्रति किग्रा. की दर से वितरण किया जाता है

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय परिवारों (AAY) को 35 किग्रा. मासिक तथा अन्य पात्र परिवारों (PHH) को प्रति सदस्य 5 किग्रा. गेहूं 2 रुपये प्रति किग्रा. की दर से निरन्तर वितरण किया जा रहा है।

प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के दर्ज प्रकरण

28. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत विगत तीन वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष सहित उक्त अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उनमें से कितनी शिकायतों का निस्तारण कर कितने प्रकरणों में दंडित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला मंचों में वर्ष 2016 से 2018 तक कुल 53783 परिवाद प्रस्तुत हुए इससे पूर्व के लम्बित

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

परिवादों को भी शामिल करते हुए वर्ष 2016 से 2018 में कुल 52744 परिवाद निस्तारित किए गए हैं।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अनुसार दर्ज प्रकरणों का विधिनुसार निस्तारण किया जाकर पक्षकारों को पारित निर्णय से अवगत करवाया जाता है, निस्तारित प्रकरणों की सूचना कान्फोनेट की वैबसाइट confonet.nic.in पर उपलब्ध है

(2) **<u>उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन</u>**

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के क्रियान्वयन के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों का गठन किया हुआ है जयपुर जिले में 04 तथा जोधपुर जिले में 02 मंच कार्यरत हैं इस प्रकार राज्य में कुल 37 जिला मंच कार्यरत हैं। सभी संभागीय मुख्यालयों पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की 07 सर्किट बैंचें गठित हैं।

<u>कान्फोनेट का क्रियान्वयन</u>

सरकार तथा एन.आई.सी. कान्फोनेट योजनाओं के तहत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा सभी 37 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों का कम्प्यूटराइजेशन किया गया जिसके परिणामस्वरूप राज्य उपभोक्ता आयोग तथा जिला उपभोक्ता मंचों की दैनिक वाद सूची लम्बित पत्रावलियों के स्टेटस कान्फोनेट की वैबसाइट confonet.nic.in पर उपलब्ध करायी जा रही है तथा उक्त वैबसाइट पर निर्णय भी संकलित अपलोड किये जा रहे हैं।

<u>लोक अदालत के माध्यम से शिकायतों का निस्तारण</u>

वैकल्पिक परिवाद निवारण व्यवस्था के अन्तर्गत लोक अदालत के माध्यम से दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक राज्य आयोग में 203 एवं जिला मंचों में 21581 प्रकरण निस्तारित किए गए हैं।

<u>उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठकें</u>

राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठकें, संभागीय जिला मुख्यालयों पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की त्रैमासिक बैठकें तथा जिला मुख्यालयो पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठकें नियमित रूप से आयोजित कर शिकायतों/परिवेदनाओं की समयबद्ध समीक्षा की जाती है।

सिरोही जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में नये व्यक्तियों के नाम

29. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिरोही जिले में 01 जनवरी, 2014 के पश्चात् खाद्य सुरक्षा योजना में कितने व्यक्तियों के नाम काटे गये? ग्रामवार, शहरवार, वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में 01 जनवरी, 2017 के पश्चात् कितने नए नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े गए? ग्रामवार, शहरवार, वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में 1 जनवरी, 2014 के पश्चात खाद्य सुरक्षा योजना में निम्नानुसार व्यक्तियों के नाम काटे गये:-

क्र. सं.	क्षेत्र	शहरी	ग्रामीण	कुल
1	सिरोही	409	1099	1508
2	शिवगंज	681	2832	3513
3	पिण्डवाडा	976	3859	4835
4	आबूरोड	989	4178	5167
5	रेवदर	-	871	871
	योग	**3055**	**12839**	**15894**

क्र. सं.	वर्ष	शहरी	ग्रामीण	कुल
1	2014	651	1446	2097
2	2015	1910	8479	10389
3	2016	205	884	1089
4	2017	289	2030	2319
5	2018	-	-	-
	योग	**3055**	**12839**	**15894**

कुल 15894 व्यक्तियों के नाम जोडे गये हैं।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) सिरोही जिले में 1 जनवरी 2017 के पश्चात खाद्य सुरक्षा योजना में निम्नानुसार नये व्यक्तियों को जोड़े गये:-

क्र. स.	**क्षेत्र**	**शहरी**	**ग्रामीण**	**कुल**
1	सिरोही	314	1781	2095
2	शिवगंज	761	4314	5075
3	पिण्डवाड़ा	84	476	560
4	आबूरोड	344	1951	2295
5	रेवदर	-	6829	6829
	योग	**1503**	**15351**	**16854**
क्र. स.	**वर्ष**	**शहरी**	**ग्रामीण**	**कुल**
1	2017	891	11798	12689
2	2018	612	3553	4165
	योग	**1503**	**15351**	**16854**

कुल 16854 व्यक्तियों के नाम जोड़े गये हैं।

कृषकों के कर्ज माफी की योजना

30. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जन घोषणा पत्र में किसानों को दस दिवस में कर्जा माफ करने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो उस घोषणा पत्र के शब्दों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने किसानों के सभी प्रकार के कर्जा माफ करने की घोषणा की? यदि हां, तो उसके तहत राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारिता बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाएं या किसान जहां से भी खेती के लिए कर्जा लेता है, उन संस्थाओं/बैंकों का नाम उससे लिया गया कर्जा, कर्जे की राशि तथा किसानों की संख्या, बैंक, वित्तीय संस्थाओं के नाम सहित जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के पचास हजार रुपये तक के कर्जे माफ करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उसके तहत कुल कितने किसानों को लाभ प्राप्त होना था तथा कितनों को लाभ

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्राप्त हो गया? जिलेवार किसानों की संख्या मय राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि वर्तमान सरकार ने अभी दस दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की है? यदि हां, तो घोषणा के तहत कुल कितने किसान लाभान्वित होंगे? जिलेवार किसानों की संख्या एवं राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मंत्रिमण्डल की आज्ञा 208/2018 के द्वारा दिनांक 29.12.2018 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में जन घोषणा पत्र की कार्य योजना को सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकृत किया गया है।

जन घोषणा पत्र का संबंधित पृष्ठ परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) फसली ऋण माफी हेतु जारी आदेश दिनांक 19.12.2018 के क्रम में पात्रता की शर्तें एवं दिशा-निर्देश इत्यादि निर्धारण हेतु मंत्रिमण्डलीय आज्ञा दिनांक 01.01.2019 से मंत्रीगण एवं अधिकारीगण की अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। योजना की पात्रता की शर्तें एवं दिशा-निर्देश इत्यादि का निर्धारण प्रक्रियाधीन है।

(3) पूर्ववती सरकार ने केवल सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों हेतु निम्नानुसार कर्जा माफ करने की घोषणा की थी-

सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमांत कृषकों की ओर 30 सितम्बर, 2017 को अवधिपार (ओवरड्यू) ऋण पर समस्त शास्तियों एवं ब्याज एवं लघु एवं सीमांत कृषकों के 30 सितम्बर, 2017 तक आउटस्टैण्डिंग अल्पकालीन फसली ऋण में से 50,000 तक के कर्जे की एकबारीय माफ किये जाने के साथ-साथ अन्य कृषकों की ओर 30 सितम्बर, 2017 को बकाया अल्पकालीन फसली ऋण, लघु काश्तकारों के लिए निर्धारित जोत सीमा के अनुपात में रुपये 50,000 तक के कर्जे माफ किये जाने की घोषणा।

इस ऋण माफी हेतु बजट वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा मात्र 2000 करोड़ रुपये प्रावधित कर सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराये गये हैं।

(4) फसली ऋण माफी हेतु जारी आदेश दिनांक 19.12.2018 के क्रम में पात्रता की शर्तें एवं दिशा-निर्देश इत्यादि निर्धारण हेतु मंत्रिमण्डलीय आज्ञा दिनांक 01.01.2019 से मंत्रीगण एवं अधिकारीगण की अन्तर्विभागीय समिति

(सहकारिता मंत्री)

का गठन किया गया है। योजना की पात्रता की शर्तें एवं दिशा-निर्देश इत्यादि का निर्धारण प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने की कार्ययोजना

31. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव कितने वर्ष के उपरांत कराने का प्रावधान है? नियमों/प्रावधानों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सहकारी संस्थाओं के समय पर चुनाव कराये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त सहकारी संस्थाओं के चुनाव अब कब तक कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 27(4) के प्रावधानानुसार किसी सहकारी समिति के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि समिति की अवधि की सहावसानी होगी। साथ ही धारा 32 के प्रावधानानुसार किसी सहकारी सोसाइटी की समिति का निर्वाचन उस समिति की अवधि के अवसान के पूर्व संचालित किया जायेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समिति के नवनिर्वाचित सदस्य, पदावरोही समिति के सदस्यों की पदावधि के अवसान होते ही तुरन्त ग्रहण कर लें। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 27(4) एवं 32 के प्रावधान की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 33 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन कराये जाने हेतु राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी नियुक्त हैं, जिनके द्वारा राज्य में कुल 17682 निर्वाचन योग्य समितियों में से 8167 समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराये जा चुके हैं।

(सहकारिता मंत्री)

(3) निर्वाचन योग्य कुल 17682 सहकारी समितियों में से निर्वाचन से शेष 9515 सहकारी समितियां हैं। कार्मिकों की उपलब्धता, सहकारी सोसाइटी का स्तर, प्रकृति, आकार, क्षेत्र एवं सदस्यता के परिप्रेक्ष्य में अनुकूलता की स्थिति में राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झाड़ोल में अनावृष्टि से प्रभावित किसानों को सहायता

32. श्री बाबुलाल (झाड़ोल): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में अनावृष्टि से किसानों की फसलों का नुकसान होने से पचास हजार तक राशि की सहायता की गयी थी? यदि हां तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनों को कितनी सहायता दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्ष 2017-18 (संवत 2074) की गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में फसलों में कोई नुकसान नहीं होने से कृषि आदान अनुदान का वितरण नहीं किया गया है।

ग्रामीण अल्पसंख्यकों के बच्चों को विशेष सुविधा

33. श्री अमीन खां (शिव): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार सीमावर्ती गरीब ग्रामीण अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा देने हेतु विशेष सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बाड़मेर जिले के रामसर व पाटोदी गावों को अल्प संख्यक ब्लाकों की सूची में सम्मिलित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के समस्त अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा देने

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

हेतु छात्रावास, कौशल विकास प्रशिक्षण, व्यावसायिक व शिक्षा ऋण आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं।

(2) प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक ब्लाक का चयन नियमानुसार भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों में अनियमितता की शिकायतें

34. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में संभाग अनुसार कितने आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं? इनमें से कितने केन्द्रों के स्वयं के भवन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों के नियमित निरीक्षण की क्या व्यवस्था है? वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कितने केन्द्रों का निरीक्षण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में संभाग अनुसार संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण एवं संचालित विभागीय भवनों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के नियमित निरीक्षण हेतु प्रत्येक सैक्टर स्तर पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर नियमित निरीक्षण किये जातें हैं तथा ब्लाक स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला स्तर पर उपनिदेशक स्तर से तथा राज्य स्तर से नियमित रूप से निरीक्षण करने की व्यवस्था राज्य सरकार के निर्देशानुसार समुचित व्यवस्था की हुई है निरीक्षण हेतु राजधरा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से निरीक्षणकर्ताओं द्वारा वर्ष 2017-18 में कुल 281430 एवं 2018-19 में 233661 निरीक्षण किये गये हैं।

(3) आंगनबाडी केन्द्रों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं जिनका विभागीय नियमानुसार उच्च अधिकारियों द्वारा जांच उपरान्त सक्ष्म स्तर निर्णय लेकर प्रकरणों को निस्तारित किया जाता है। विभाग में 105 प्रकरण प्राप्त हुए थे उन्में से 90 प्रकरण निस्तारित कर दिये गयें हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्यकर्मियों के समान सुविधाएं

35. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कितना-कितना मानदेय दिया जाता है और उक्त मानदेय में विगत पांच वर्षों में कब-कब कितनी-कितनी बढ़ोत्तरी की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राज्य सरकार द्वारा देय मानदेय में बढ़ोत्तरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्यकर्मियों के समान दर्जा देकर अन्य सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय एवं उक्त मानदेय में विगत पांच वर्षों में की गई बढ़ोतरी का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय कर्मी हैं। राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधिनस्थ) सेवा नियम, 1998 एवं संशोधित नियम 2009 एवं 2018 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारियों के समान दर्जा देने का प्रावधान नहीं है। अपितु पर्यवेक्षक संवर्ग में 50 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित है जिसमें लिखित परीक्षा द्वारा विशेष सीधी भर्ती के माध्यम से उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन किया जाता है, जो स्नातक उत्तीर्ण हो एवं जिन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का कार्यानुभव हो।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मनोहरथाना में वृक्षारोपण के लक्ष्य

36. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में वर्तमान में कितने कार्य किस श्रेणी के किस क्लस्टर में चल रहे हैं तथा कौन-कौनसे स्वीकृत कार्य जो अभी तक शुरू नहीं हो पाये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य था? उसमें से कितना कार्य पूर्ण हो चुका है और कितना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना अन्तर्गत कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़ अधीनस्थ रेंज मनोहरथाना एवं अकलेरा अधीनस्थ क्षेत्र के अतिरिक्त रेंज असनावर का कुछ क्षेत्र आता है। उक्त क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018 19 में स्वीकृत कार्यों सम्बन्धित विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) सूचना बिन्दु-1 की सूचना में समाहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भोपालगढ़ में वन्य जीवों की चिकित्सा हेतु रेस्क्यू सेंटर की स्थापना

37. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में कितना वन क्षेत्र आरक्षित है तथा वन क्षेत्र के संरक्षण हेतु विगत पांच वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में वन विभाग के किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद किस-किस कार्यालय में स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में हिरण आदि वन्य जीवों के घायल अथवा बीमार होने की दशा में उनकी चिकित्सा व्यवस्थाओं हेतु रेस्क्यू सेंटर खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें!

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर अधीनस्थ वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वनों का प्रकार	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	रक्षित वन क्षेत्र	6530.37
2	अवर्गीकृत वनक्षेत्र	4.50
3	आरक्षित वन	0.00
	कुल	**6534.87**

इस विधान सभा क्षेत्र में वन क्षेत्र के संरक्षण एवं वन विकास हेतु विगत पांच वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है।

(2) जोधपुर जिले में स्थित वन विभाग के कार्यालयों में पद वार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का कार्यालयवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है।

(3) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ अन्तर्गत तीन रेस्क्यू वार्ड क्रमश: भोपालगढ़, साथीन एवं बावड़ी में वर्ष 2016-17 से स्थापित किये गये हैं, जिनमें घायल अथवा बीमार वन्यजीवों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उक्त के अतिरिक्त गंभीर प्रकरण में जिला स्तर पर स्थापित "रेस्क्यू सेन्टर, जोधपुर" में वन्य जीव का उपचार किया जाता है। अत: भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पृथक से रेस्क्यू सेन्टर खोले जाने की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदूषण मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों की पालना

38. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा हवा एवं जल के लिए मानक निर्धारित किये हुए हैं? यदि हां, तो क्या? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गडेपान स्थित यूरिया निर्माण कारखाने द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के लिए निर्धारित मानकों की पालना की जा रही है?

(श्री रामनारायण मीना)

यदि हां, तो किस प्रकार से एवं विगत एक वर्ष में उक्त बाबत की गयी जांच एवं नतीजों की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त यूरिया निर्माण कारखाने से निकलने वाली जहरीली हवा एवं कैमिकल युक्त पानी की निकासी के कारण आसपास के नाले एवं हवा में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है? यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा अब क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कारखाने के प्रदूषण की वजह से क्षेत्र में चर्म रोग आदि बीमारियों की शिकायतें मिल रही हैं तथा पक्षी अभयारण्यों में विचरण करने वाले पक्षी के अभयारण्यों से पलायन किये जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारखाने संचालक के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत केन्द्रीय सरकार के द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण एवं रोकथाम हेतु विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किये गये हैं। पर्यावरण विभाग के अधीन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा उद्योगों से सम्बन्धित उक्त मानकों की पालना सुनिश्चित करायी जाती है। यूरिया उत्पादन से सम्बन्धित इकाई हेतु मानकों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य के कोटा जिले के ग्राम गडेपान में यूरिया निर्माण हेतु मैसर्स चम्बल फर्टिलाईजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड उद्योग स्थापित है। उद्योग द्वारा 10,800 टन प्रतिदिन यूरिया उत्पादन हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से सम्मति प्राप्त की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 30.06.2022 तक है। इसके अतिरिक्त उक्त उद्योग के परिसर में एक सिंगल सुपर फास्फेट बनाने की इकाई भी स्थापित है, जो वर्तमान में कार्यरत नहीं है।

उद्योग द्वारा यूरिया उत्पादन हेतु नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है। अधिरोपित मानकों की पालना हेतु खाद उत्पादन के दौरान वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उद्योग ने समुचित व्यवस्था यथा वैट स्क्रबर एवं उचित

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

ऊंचाई की चिमनी स्थापित की है। खाद उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट जल के उपचार हेतु उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित है। इसके अतिरिक्त उद्योग द्वारा मल जल के उपचार हेतु मल जल उपचार संयंत्र की स्थापना भी की गयी है। उपचारित उच्छिष्ट को उद्योग द्वारा स्वयं के परिसर में वृक्षारोपण एवं अन्य लाभकारी प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किया जाता है। वर्षा ऋतु के दौरान उद्योग को, उपचारित उच्छिष्ट को कालीसिंध नदी में सशर्त निस्त्रवित करने की अनुमति प्रदान की गयी है। मानकों की पालना सुनिश्चित कराये जाने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है।

विगत एक वर्ष में की गयी जांचों में उद्योग राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा अधिरोपित मानकों की पालना करता हुआ पाया गया है। जांचों के नतीजों की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विगत वर्ष में की गयी परिवेशीय वायु की जांच में प्रदूषक तत्व निर्धारित मानकों की सीमा में पाये गये हैं। खाद उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट जल के उपचार हेतु उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित है। इसके अतिरिक्त उद्योग द्वारा मल जल के उपचार हेतु मल जल उपचार संयंत्र की स्थापना भी की गयी है। उपचारित उच्छिष्ट को उद्योग द्वारा स्वयं परिसर में वृक्षारोपण एवं अन्य लाभकारी प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किया जाता है। वर्षा ऋतु के दौरान उद्योग को उपचारित उच्छिष्ट को कालीसिंध नदी में सशर्त निस्त्रवित करने **की** अनुमति प्रदान की गयी है।

गत वर्ष में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा की गयी जांचों में उद्योग अधिरोपित मानकों की अनुपालना करता हुआ पाया गया है**,** अतः राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) जी नहीं। उद्योग के कारण से क्षेत्र में चर्म रोग आदि की बीमारियों की शिकायतें एवं अभयारण्यों से पक्षियों के पलायन बाबत कोई भी अधिकारिक सूचना राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को स्वास्थ्य विभाग अथवा वन विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक 11.01.2018

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

को राजस्थान पत्रिका में भोंरा में चर्म रोग बाबत समाचार प्रकाशित हुआ था, किन्तु स्वास्थ्य विभाग से इस विषय में कोई अधिकृत सूचना अथवा रिपोर्ट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्राप्त नहीं हुई। तथापि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उक्त ग्राम में स्थित टयूबवैलों से जल के नमूने एकत्रित किये गये थे जो सामान्यता पीने योग्य पानी हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये (एक नमूने में कठोरता को छोड़कर)।

यहां उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल द्वारा किये गए निरीक्षणों में उद्योग के द्वारा स्वयं के परिसर से बाहर उच्छिष्ट का निस्त्रव नहीं किया जाना पाया गया, तथापि नागदा-बलदेवपुरा योजना के इनटेक वेल (intake well) से एकत्रित नमूने पीने योग्य पानी के मानकों के अनुरूप पाये गये।

इसके अतिरिक्त पूर्व में ग्राम बलदेवपुरा पेयजल परियोजना के लाभार्थियों का ज्ञापन जून 2018 में प्राप्त हुआ था जिसमें उद्योग के प्रदूषित जल को नदी में निस्त्रवित करने एवं इस पानी को पीने से लोगों में एलर्जी, दम घुटने इत्यादि बीमारियां होने की शिकायत की गयी थी। जांच में उद्योग से किसी भी प्रकार के जल का निस्त्राव नदी में नहीं होना पाया गया। अतः राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार गढ़ेपान स्थित यूरिया कारखाने के प्रदूषण की वजह से समीपस्थ अभयारण्यों में पक्षियों के पलायन के क्रम में वन विभाग द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। अपितु माह जनवरी, 2019 में विभाग द्वारा कराई गई पक्षी गणना (रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ट-स) अनुसार पक्षियों की अच्छी "नेस्टिंग" पायी गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में शुभ शक्ति योजना के लाभार्थी

39. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा संचालित शुभ शक्ति योजना के अन्तर्गत बीकानेर संभाग के कितने श्रमिकों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संतोष)

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र पर सत्यापन करवाने पर लाभ हेतु पात्र माना जाता है? यदि हां, तो 11 जनवरी, 2019 तक कितने श्रमिकों को पात्र माना गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना में आवेदन पश्चात विवाह पंजीयन दस्तावेज अनिवार्य कर एवं स्थानीय पंचायत द्वारा सत्यापन करवाकर लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित शुभ शक्ति योजना के अन्तर्गत बीकानेर संभाग में कुल 15287 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1	बीकानेर	510
2	श्रीगंगानगर	7859
3	हनुमानगढ़	4542
4	चूरू	2376
कुल		**15287**

(2) दिनांक 01.01.2016 से लागू शुभ शक्ति योजना में पंजीकृत हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक व उच्च अभियन्ता, सरकारी माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किये जाने की शर्त लगाई गई थी, परन्तु श्रमिकों को नहीं जानने के कारण बहुधा राजपत्रित अधिकारी सत्यापन करने एवं फोटो आईडी देने से मना कर देते हैं। अत: इसके समाधान हेतु दिनांक 18.10.2017 को योजना के बिन्दु संख्या 4.8 में निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किया गया- "प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने की भौतिक सत्यापन होने की शर्त पर देय होगी। पात्रता का सत्यापन मण्डल सचिव द्वारा निर्देशित अधिकारियों/निरीक्षकों/कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा"। वर्त्तमान मे राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन किये जाने की शर्त नहीं है|

(राज्य मंत्री, श्रम)

योजना के प्रारम्भ से अब तक प्रदेश में कुल 116146 आवेदनों को स्वीकृत किया जा चुका है। जिसमें से 18.10.2017 से पूर्व राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन पश्चात 85434 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है तथा बीकानेर संभाग में 18.10.2017 से पूर्व राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन पश्चात 4098 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है।

(3) विवाह पंजीयन दस्तावेज अनिवार्य कर स्थानीय पंचायत से सत्यापन करवाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।